खण्ड-342, अंक-3
गुरूवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1901
(30 अगस्त, 1979 ई0)

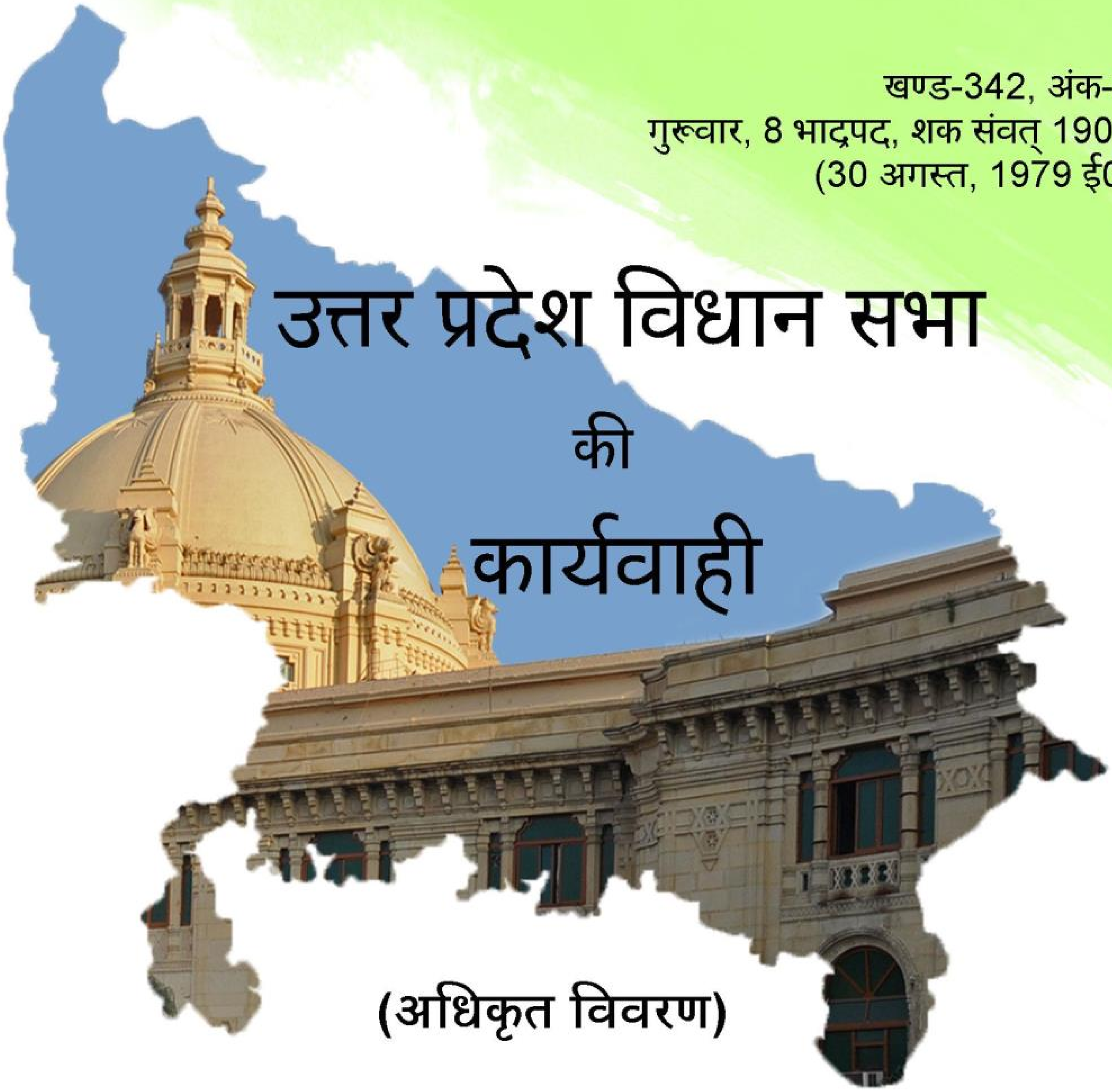

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 342 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	179–183
प्रश्नोत्तर	183–213
अविश्वास प्रस्ताव पर हार जाने की दशा में मुख्य मन्त्री द्वारा विधान सभा भंग करने की राज्यपाल से सिफारिश से सम्बन्धित समाचार 'पायनियर' समाचार-पत्र द्वारा छापे जाने पर आपत्ति	213–215
फिरोजाबाद में कोयले के अभाव में चूड़ी उद्योग ठप्प हो जाने से श्रमिकों की बेकारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	215–216
इलाहाबाद जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	216
प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज बाजार में श्री भैरोदीन के यहाँ पड़ी डकैती की जाँच सी0आई0डी0 द्वारा कराए जाने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	216–217
माध्यमिक शिक्षक संघ की माँगों तथा आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	217
देवरिया जिले के उत्तरांचल में बड़ी गण्डक नदी में भीषण बाढ़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	217–218
सदन का विघटन न किए जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत दिए गए प्रस्ताव को लिए जाने की माँग (जारी)..	218
जनता पार्टी के नामकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	218–219
सदन का विघटन न किए जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत दिए गये प्रस्ताव को लिए जाने की माँग	219
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रगति प्रतिवेदन–वर्ष 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	220
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	220
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (बाईसवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	220
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	220
उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि संरक्षण (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	220
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष 1979–80 (सदन के पटल पर रखा गया)	220
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 तथा उसके सम्बन्ध में जारी किए गए शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखे गए) ..	221

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	221
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	221
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियाँ (सदन के पटल पर रखी गयीं)	221
ग्राम दुर्गजोत, थाना मेंहदावल, जिला बस्ती में घटी घटनाओं के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जाँच आयोग का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	222
ग्राम नौनारी तथा ग्राम सजनी, आजमगढ़ में हुई घटनाओं की एक-सदस्यीय जाँच आयोग का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	222
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया।)	222
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति (1979–80) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	222
फैजाबाद की तहसील टाँडा के ग्राम भारीडीहा के पूरब थिरुआ नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) .	222
फैजाबाद सदर तहसील में सरयू नदी के शेखाघाट के पास कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) . ..	222
किसान सहकारी चीनी मिल्स, लिमिटेड, अकबरपुर के लाइसेन्स नवीनीकरण तथा फैजाबाद में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी)	223
फैजाबाद में तिवारीपुर-नन्सा बाजार सड़क को पक्की करने तथा मड़हा (तमसा) नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी)	223
फैजाबाद में विकवाजीनपुर–भगोला–महरूआ रोड पक्की करने एवं मड़हा (तमसा) तथा विसुड़ी नदियों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	223
दिनाँक 3 मई, 1979 को पूछ गए अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य (जारी)	223–224
भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री सत्य प्रकाश मालवीय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	224
दिनाँक 3 मई, 1979 को पूछे गए अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य . ..	224–225
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	225
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	
श के कतिपय जिलों में सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के	223–226
सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	227–251

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किए गए) ..	251
प्रदेश में सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं से सम्बन्धित चर्चा कल तक के लिए स्थगित करने की सूचना	251–252
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 (जारी)	252–253
विधान सभा सदस्य, श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के साथ लखनऊ के रीजनल पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार की घटना ..	253–254
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	254–263
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	263–267
उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर (निरसन) विधेयक, 1979 (पारित) ..	267–273
नियम 51 की सूचनाएं	273
नत्थियाँ	274–281

अवर सचिव विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 30 अगस्त, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 1 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--388

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डा0
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी वड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भैया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाडेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णा कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह महरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रभान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छदा सिंह चौहान, श्री
छदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोट लाल, श्री
छोट लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश , श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तजमान सिंह, श्री
तज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सवक, श्री
दीपनरायन, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रम नारायण अहरवार, श्री
प्रमवती, श्रीमती
फजलुलरहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुबाँठा "अरविन्द", श्
बलदेव, श्री

बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बाँकेलाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबूलाल 'सरोज' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धूराम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही,' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
माधव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोत लाल देहलवी, श्री
मोहन ला , श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमश चन्द्र, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री

अस्तर प्रदेश सभा

राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री

श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल , श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट—श्रम मन्त्री श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्दावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 30 अगस्त, 1979

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

भटनी, भटपार रानी तथा बनकटा विकास खण्डों में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम

*1—श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा में अब तक कुष्ठ रोग निवारणार्थ कौन सा काम हुआ ? क्या यह सही है कि 10 साल पहले देवरिया जनपद के उक्त तीन ब्लाकों में 1 कुष्ठ रोगी प्रति हजार था और अब यह संख्या चार (4) हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अविलम्ब इस दशा में व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा ब्लाकों में निम्न कुष्ठ नियंत्रण कार्य हो रहा है:—

भटनी—इस ब्लाक में एस० ई० टी० (सर्वे एजूकेशनल एण्ड ट्रीटमेन्ट) कार्य बाबा राघवदास सेवाश्रम देवरिया द्वारा, जो कि एक स्वैच्छिक संस्था है, भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता द्वारा किया जा रहा है। पूरे ब्लाक में चार सेन्टर चिकित्सा सर्वेक्षण तथा स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य करने हेतु स्थापित है और कार्य कर रहे है।

भाटपार रानी—इस विकास खण्ड में एक कुष्ठ नियंत्रण इकाई 1969 से कार्यरत है जिसने अब तक 55,570 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया और 36,949 की जाँच करके 214 रोगियों को पंजीकृत किया है जिनका इलाज चल रहा है। इन केन्द्रों पर प्रोजेक्ट एरिया के बाहर के भी 112 रोगी चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं।

बनकटा—इस विकास खण्ड में कुष्ठ नियंत्रण इकाई 1972 से कार्य कर रही है जिसने अब तक 33,195 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके 22,995 व्यक्तियों का परीक्षण किया और 93 रोगी पंजीकृत किये है जो चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें अतिरिक्त 57 रोगी प्रोजेक्ट एरिया के बाहर के उपचार प्राप्त कर रहे है।

10 (दस) वर्ष पहल देवरिया जनपद में कुष्ठ रोग की व्यापकता 2.5 से 5 प्रति हजार आँकी गयी थी। यह व्यापकता दर केवल सेम्पल सर्वे द्वारा प्राप्त की गयी थी जो कि बहुत अन्थेटिक (Authentic) नहीं कही जा सकती है। अब इन तीनों विकास खण्डों में सर्वेक्षण उपरान्त व्यापकता दर 4 प्रति हजार पायी गयी है।

श्री राज मंगल तिवारी—

यह सहायता केन्द्र-किन किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

स्थानों के संबंध में इस समय जानकारी नहीं है, सूचना चाहिये।

श्री राज मंगल तिवारी—

भाटपार रानी और बनकटा विकास खंड में जो सहायता केन्द्र काम कर रहे हैं, वे किस माध्यम से कार्य करते हैं और उन पर कितना रुपया खर्चा हो रहा है, सालाना।

श्री रमा शंकर कौशिक—

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमारी कन्ट्रोल यूनिटें काम कर रही हैं। खर्चे का जहाँ तक सवाल है, उसके लिये अतिरिक्त समय की जरूरत है, इस समय सूचना नहीं है मैं बाद में दे दूंगा।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने रोगी स्वस्थ हुये।

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्रीमन्, कुष्ठ रोग के संबंध में माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि इसके लिये जो नियन्त्रण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, वहाँ इस रोग के उपचार की व्यवस्था होती है और उसके जरिये से पहली कोशिश तो यह होती है कि केसेज निगेटिव हो जायं, वह पाजिटिव न रहें। तो उसमें तो शतप्रतिशत सफलता प्राप्त होती है और दूसरे लोगों को रोग फैलने से रोक दिया जाता है। रोगियों को पूरा स्वस्थ होने में समय लगता है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी क्या इस बात का पता लगायेंगे कि देवरिया या चकिया में जहाँ कहीं पर इस संस्था के द्वारा

कुष्ठ रोग के अस्पताल संचालित किये गये हैं, उस पर कितना व्यय किया जाता है ? यदि अपव्यय हो रहा है, और हकीकत है, तो उस पर जाँच करा कर मुनासिब कार्यवाही करेंगें ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसी शिकायतें जो आयेंगी, तो उस पर निश्चित रूप से जाँच की जायगी और कार्यवाही की जायगी ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

जब इस कुष्ठ रोगों की 1 से 4 की तादाद हो गयी है, तो क्या कारण है कि कुष्ठ रोग इतना अधिक फैला हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने सवाल को स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

तीन ब्लाकों में तो कुष्ठ रोगियों की तादाद बढ़ रही है, वह कौन-कौन से मुख्य कारण है, जिससे कि यह रोग ज्यादा बढ़ रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह कहना गलत है कि रोग बढ़ रहा है, बल्कि रोग कम हो रहा है । इसके संबंध में बहुत सर्वेक्षण हो रहे हैं । जानकारी बहुत प्राप्त की जा रही है कि किन कारणों से यह रोग फैलता है । इसके सम्बंध में पूरी-पूरी जानकारी अभी नहीं हुई है । रोगी को पूर्ण ठीक कर देने के संबंध में जानकारी की जा रही है । दिल्ली के आसपास के भाग में यह रोग कम है । जो तराई के इलाके हैं, उनमें शायद यह रोग अधिक होता है । लेकिन निश्चित जानकारी दे पाना अभी विज्ञान के लिए संभव नहीं है ।

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के आशुलिपिक, श्री लालचन्द केशरवानी का निलम्बन

*2—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद का एक आशुलिपिक श्री लाल चन्द्र केशरवानी दिनाँक 10 दिसम्बर, 1977 को 200 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ कर जेल भेज दिया गया था तथा अल्पकालिक निलम्बन के पश्चात् उसे पुनः बहाल कर पूर्ववत् सेवा पर उसी कालेज में रख दिया गया है ? यदि हाँ, तो यह कार्यवाही किस आधार पर की गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ । जिला सरकारी वकील (सिविल) इलाहाबाद के द्वारा दिये गये विधिपरामर्श के आधार पर प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद द्वारा श्री लाल चन्द्र केशरवानी को पुनः बहाल कर दिया गया ।

राजकीय मेडिकल कालेजों एवं छात्रावासों के सम्बन्ध में श्री एस०के० वर्मा की जांच रिपोर्ट

*3—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्मा आयोग द्वारा सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के सम्बन्ध में जो जाँच की गयी थी उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है ? और शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

अवकाश प्राप्त माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री एस0 के0 वर्मा एक सदस्यीय जाँच आयोग ने सभी राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध शिक्षण अस्पतालों तथा छात्रावासों के मामलों आदि के सम्बन्ध में जाँच की थी जिसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है†। यह रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। सम्प्रति रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों/सुझावों को स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा गया है कि आयोग द्वारा इंगित छात्रों की कठिनाइयों तथा अन्य विभिन्न कमियाँ, त्रुटियों तथा अनियमितताओं को तुरन्त दूर कराने की कार्यवाही की जाय और जिन मामलों में शासन के स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव अपनी संस्तुति के साथ शासन को भेजे।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर के संबंध में। यह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, शासन को कब प्राप्त हुई है और जो संस्तुति है आयोग की, उनको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा शासन को ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह रिपोर्ट 1975 में प्राप्त हो गयी थी और जहाँ तक समय का ताल्लुक है, इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजे है जो फाइनैंस से ताल्लुक रखती है और जैसे-जैसे अर्थ की व्यवस्था ठीक होती जायेगी वैसे-वैसे उनको पूरा किया जायेगा। जहाँ तक प्रशासनिक सुधार का संबंध है, आदेश दे दिये गये है और वे शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

वे कौन-कौन सी संस्तुतियाँ है, जिन पर शासन ने अमल करने के आदेश प्रदान कर दिये हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

उस रिपोर्ट में ऐसी संस्तुतियाँ हैं, जिन में आर्थिक व्यय निहित नहीं है, उनको पूरा कर दिया जाये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मेरी जानकारी में है कि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है इस लिए वे कौन सी प्रशासनिक संस्तुतियाँ की थीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो रिपोर्ट यहाँ पर है। लिखा हुआ है। आपने देखा होगा। वह सूचना उपलब्ध है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

ऐसी संस्तुतियाँ है, जिन पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, तो व संस्तुतियाँ मैं जानना चाहूंगा।

श्री रमा शंकर कौशिक--

निदेशालय स्तर से इस प्रकार के आदेश चले गये हैं कि जिनमें आर्थिक संबंध नहीं जुड़ा है, जैसे अध्यापकों और छात्रों का संबंध कैसे ठीक हो, छात्रावासों में अगर कोई कठिनाई है तो उसे उसी स्तर पर ठीक किया जाये, बिजली व्यवस्था ठीक की जाये, टेलीफोन छात्रावासों को दिये जा सकते हैं, इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

यह प्रश्न से ही स्पष्ट है कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सदस्यीय अधिकरण आपने बैठाया, रिपोर्ट बहुत लम्बी आयी। आपने जिस फाइनेंस की बात कही, उसमें कितना फाइनेंस इनवाल्ड है ? और कितनी संस्तुतियाँ शासन ने स्वीकार कर ली ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री उपाध्यक्ष—

यह रिपोर्ट उपलब्ध है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रशासनिक संस्तुतियाँ और वित्तीय संस्तुतियों में से इनको पूरा करने में अब कितना समय लेंगे। क्या वित्तीय संस्तुतियों के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श करके इस साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

समय के बारे में आप बता दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसका परीक्षण हो रहा है। इतना वायदा निश्चित रूप से कर सकता हूं कि 2–3 माह में निश्चित कार्यक्रम जरूर बना लेंगे और निश्चित लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से इसे कितने वर्षों में कर लिया जायगा, इसका निर्णय दो माह के अन्दर कराने की कोशिश करेंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोरों, जिला एटा के भवन निर्माण की मांग

*4—श्री मान पाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोरों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोरों की बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य भवन के अभाव में महिला चिकित्सालय भवन में ही चल रहा है। यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1979 में एटा को राजकीय लाटरी फण्ड से प्राप्त होने वाली लगभग 4 लाख की धन-राशि सोरों में चिकित्सालय भवन निर्माण एवं उपकरण हेतु आवंटित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोरों के भवन निर्माणार्थ हास्पिटल फण्ड से अनुदान दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस विषय में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री मानपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। सोरों भवन निर्माण के लिये हास्पिटल फंड से अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव कहाँ से प्राप्त किया जायेगा और अब तक शासन द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक हास्पिटल फंड का सवाल है उसका प्रस्ताव निदेशालय से प्राप्त होता है। हास्पिटल फंड कितना है, उससे निर्णय लिया जायेगा। हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण करने हेतु प्रतिवर्ष बजट में प्राविधान करते हैं। इस वर्ष भी 60 ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण करने का प्राविधान है जिनमें भवन नहीं बने हैं। सोरों में स्थिति कुछ ऐसी है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। सोरों में हास्पिटल फंड से या उसके बजट से इसको कर दिया जायेगा।

श्री नेम सिंह चौहान—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में प्राथमिकता का आधार क्या है ? क्या सिफारिश ही आधार होती है या उसकी जाँच भी कराते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट--

महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

महत्वपूर्ण है लेकिन यह इससे नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में सरकार का कितना खर्च प्रति वर्ष बैठता है । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में सरकार का क्या खर्च होता है । उनका बजट जो है उससे कितने स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हो सकता है ? इस वर्ष बजट कितना है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैंने निवेदन किया कि इस वर्ष 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के निर्माण का प्राविधान है । जहाँ तक इस बात का सवाल है कि कितना उस पर खर्च आता है, मैं समझता हू कि 5 लाख पहले आता था, अब वह बढ़कर 7-8 लाख होगा । माननीय नेम सिंह जी क प्रश्न के बारे में अगर आप इजाजत दें तो मैं निवेदन कर दूं कि जितने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, उन सभी की आवश्यकता है । जिसकी जैसे आवश्यकता होगी, जिसका जैसे नम्बर आयेगा, उन्हें बन जाना चाहिये ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लाटरी से जो आमदनी होती है, शासन उसको किस मद में खर्च करता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह लाटरी का प्रश्न इससे नहीं उठता ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

प्रश्न पढ़ें उसमें लिखा है ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इस प्रकार का बजट अस्पताल के उपकरणों, रख-रखाव, साज-सज्जा, भवन आदि के बनाने में जैसी आवश्यकता हो इस्तेमाल किया जाता है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

जब भवन निर्माण का प्राविधान है, तो क्या 1979 में एटा को राजकीय लाटरी फण्ड से प्राप्त होने वाली 4 लाख की धनराशि सोरों में चिकित्सालय भवन निर्माण एवं उपकरण हेतु आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि उसमें विचार किया जायेगा । मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि सोरों के भवन को जो इस वर्ष 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्राविधान है, उसमें सम्मिलित कर लिया जाये ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कम से कम 5 लाख रुपये का खर्च बैठता है । चूंकि सोरों के सम्बन्ध में जो बताया गया है, उसमें 4 लाख का है, तो यह जो एक लाख की कमी है, उसको कहाँ से पूरा करेंगे । क्या यह आश्वासन देंगे कि जितना खर्च उस पर बैठेगा उसको पूरा करेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सारा प्राविधान कर देंगे इसकी स्पष्ट घोषणा कर दिया तो 4-5 लाख का क्या सवाल है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी है।

बिड़ला राजकीय महिला चिकित्सालय, कासगंज, जिला एटा में आक्सीजन की व्यवस्था

*5--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में बिड़ला राजकीय महिला चिकित्सालय, कासगंज में आक्सीजन देने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे प्रसव काल में माता तथा शिशु को आक्सीजन दी जा सके ? यदि हाँ, तो क्या शीघ्र ही उक्त चिकित्सालय में आक्सीजन सुलभ कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

दिनांक 3 फरवरी, 1979 से बिड़ला राजकीय महिला चिकित्सालय, कासगंज में एक आक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था कर दी गयी है। इससे अधिक आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज से भी आक्सीजन सिलेण्डर माँगा कर आक्सीजन दी जाती है।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य कासगंज में कितने आक्सीजन सिलेंडर हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक--

एक और है।

जूनियर डाक्टरों को दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स

*6--श्री केशरीनाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में प्रदेश के जूनियर डाक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के 224 स्नातकोत्तर छात्रों को वर्ष 1979 में छात्रवृत्ति दी गयी है।

प्रदेश के कतिपय मेडिकल कालेजों में फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों की बन्दी

*7--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के मेरठ, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी मेडिकल कालेज स्थित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान बन्द हैं जबकि प्रदेश में फार्मेसी ऐक्ट, 1948 के सेक्शन 42 का विधिवत् पालन कराने हेतु कम से कम प्रतिवर्ष एक हजार फार्मासिस्ट प्रशिक्षित होकर निकलना चाहिए ? यदि हाँ, तो संस्थान क्यों नहीं चालू कराए जा रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मितव्ययता के कारण मेडिकल कालेज, झांसी स्थित फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्र अप्रैल, 1976 में ही बन्द कर दिया गया था। मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद स्थित फार्मेसी प्रशिक्षक केन्द्रों में अस्थायी रूप से छात्रों का प्रवेश रोक दिया गया है क्योंकि फार्मेसी

कौंसिल आफ इंडिया ने इन केन्द्रों में साज-सज्जा, उपकरण तथा अध्यापकों की कमी बतलाई थी। अधिकाँश कमियाँ अब पूरी कर दी गयी है और आशा है कि इन केन्द्रों को पुनः चालू करने की अनुमति फार्मेसी, कौंसिल आफ इंडिया से शीघ्र प्राप्त हो जायेगी।

फार्मेसी ऐक्ट, 1948 की धारा 42 एक प्रतिबन्धात्मक धारा है जिसके प्राविधानों को लागू कर देने के बाद किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति से फार्मेसिस्ट का कार्य लेना वर्जित हो जाता है। प्रदेश में स्थित फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता को देखते हुए, उक्त प्रतिबन्धात्मक धारा लागू हो जाने के बाद प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की कमी नहीं रह जाएगी।

श्री जगन्नाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का यह कथन पूर्णतयः असत्य है कि कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं आगरा मेडिकल कालेज स्थित फार्मेसी संस्थानों की सभी कमियाँ पूर्ण कर दी गयी हैं तथा उक्त संस्थानों के चालू कराने पर प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की प्रदेश में कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस तरह कुछ महीने पूर्व फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया ने मान्यता हेतु जाँच की थी, परन्तु कमियाँ थीं। आज भी इन संस्थानों में न पर्याप्त प्रवक्ता हैं न डिमाँस्ट्रेटर। संस्थानों में उपकरण भी पर्याप्त नहीं है, मरठ संस्थान की दशा शोचनीय है तथा चारों संस्थानों को चालू करने पर भी 300 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जबकि प्राइवेट एवं सरकारी सेक्टर में लगभग 1000 व्यक्तियों की प्रतिवर्ष आवश्यकता है। अतः संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये। यह संस्था कब तक चालू होगी और यह व्यवस्था क्या प्राइवेट सेक्टर के लिये पर्याप्त होगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया ने जो हमको कहा था, उसके मुताबिक हमने अपनी तरफ से कमियाँ पूरी कर दी हैं। यह बात सही है कि अब भी फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिये फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हमने उनको लिखा है, हमारी कोशिश है कि वह मान्यता दें, हमें उम्मीद है कि मान्यता मिल जायगी और जो कमियाँ रह जायेगी, उनको पूरा करेंगे। अगले सत्र से इसको चालू कर देंगें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, क्या झांसी मेडिकल कालेज में इस संस्थान को चलाने का प्रयास किया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

अभी इसका प्राविधान नहीं है। हमारे पास जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनके नाम मैंने बताये हैं, उनसे हम अपने प्रदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में सक्षम होंगे।

*8--श्री अजीत सिंह सेठी--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

टाउन एरिया कमेटी, अमापुर के बख्शी, श्री शारदा शरण का निलम्बन

*9--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में टाउन एरिया कमेटी, अमापुर के बख्शी श्री शारदा शरण अक्टूबर, 1974 से निलम्बित हैं ? यदि हाँ, तो उनको अब तक कितना निलम्बन भत्ता दिया जा चुका है और अब तक उनके निलम्बन का निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

जी हाँ ।

प्रश्नगत बख्शी को कोई निलम्बन भत्ता नहीं दिया गया है ।

श्री शारदा शरण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच पूरी हो चुकी है । जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति इस सम्बन्ध में प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, श्री शारदा शरण, बख्शी को अक्टूबर, 1974 से अब तक निलम्बन भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बना रखा है कि 5 वर्ष तक उसको निलम्बन भत्ता नहीं दिया जायेगा और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, टाऊन एरिया के चेयरमैन ने श्री बख्शी को 1974 में निलम्बित किया था और तीन साल तक निलम्बित रहने के बाद 1977 में जब एस0 डी0 एम0 इंचार्ज बने तब उस पर कार्यवाही की गयी और 19 आरोप इनके विरुद्ध चेयरमैन ने लगाये थे, जिनमें से अधिकाँश आरोप सत्य पाये गये हैं । परन्तु माननीय सदस्य का कहना सही है कि इनको निलम्बन भत्ता दिया गया । इस पर आवश्यक जाँच करके आदेश दे दिये गये हैं कि 1974 से लगातार अब तक जितना निलम्बन भत्ता है, उनको तुरन्त दे दिया जाय ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर के कार्यालय एवं स्टोर के विरुद्ध गबन की शिकायत

*10—श्री भगवान दीन कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के कार्यालय एवं स्टोर में लाखों रुपए का गोलमाल का मामला जानकारी में आया है ? यदि हाँ, तो गोलमाल की धनराशि क्या है तथा इसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी सम्बन्धित हैं ? उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो उत्तर भेजा गया है, उसमें कुछ संशोधन करना चाहता हूं । इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन को जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और जाँच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि राधेश्याम शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध 18 लाख रुपये के गम्भीर आरोप हैं । श्री शर्मा ने फर्जी वाउचर दिये हैं और 18 लाख में स 11,12,095 रु0 के वउचरों की फोटो कापी मेरे पास है । इसलिये मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि सी0 एम0 ओ0, कानपुर का तुरन्त स्थानान्तरण करके गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच करायग ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी का और दो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का भी नाम था, जैसा कि अभी कहा गया, तो उनकी बात सही है । लेकिन इसक अतिरिक्त दो और अधिकारियों के नाम थे । इस प्रकार 5 अधिकारियों के संबंध में शिकायतें मिली थीं और उस पर तुरन्त जाँच के आदेश दे दिये गये थे । लेकिन उसी दौरान जो शिकायतें प्राप्त हुई उनसे दो और नाम जोड़े गये और इस प्रकार 7 कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ आरोप हैं और उनकी जाँच के लिये अतिरिक्त निदेशक को नियुक्त कर दिया गया है । हम शीघ्र ही उसकी आख्या मंगायेंगे इसलिये ट्रांसफर का सवाल नहीं है वल्कि जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को आदेश दिये हुये कितने दिन हो गये और अब तक जाँच की रिपोर्ट मंत्री जी को मिली या नहीं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

शुरू में जाँच नहीं की गयी थी। जैसे ही शिकायतें मिलीं 23-4-79 को जाँच शुरू की गयी। जैसा मैंने कहा उसके बाद दो व्यक्ति उसमें और जोड़ दिये गये। इस सिलसिले में और शिकायतें मिलीं, तो 7 जून को फिर लिखा गया कि 7 व्यक्तियों की और जाँच करनी है। पहले माने में 23 अप्रैल और दूसरे माने में 7 जून को आप समझ सकते हैं कि जाँच के आदेश हैं और जाँच चल रही है। मैं रिपोर्ट शीघ्र ही मंगाऊगा और मुझे आशा है कि इस महीने के, जो महीना शुरू होने वाला है उसके पहले सप्ताह में जाँच की आख्या प्राप्त हो जायेगी और अग्रेतर कार्यवाही हो जायेगी।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुयें कि जाँच में जाँचकर्ता अधिकारी अनावश्यक बिलम्ब कर रहा है जो अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में हैं उनको यह मामला सुपुर्द करेंगे जाँच के लिए, ताकि वह इसकी जाँच करके रिपोर्ट निश्चित समय 15 दिन में दे दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

सितम्बर के पहले सप्ताह तक जाँच आख्या मिल जायगी।

श्री मैनेजर सिंह—

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन के द्वारा —

श्री रमा शंकर कौशिक—

उसी के जरिये तो करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इतनी बड़ी सरकार के लिए 18 लाख का गबन कम है, फिर भी यह देखते हुये कि उसमें लगभग एक दर्जन अधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के इनवाल्व पाये जा चुके और हो सकता है कि उनमें और भी सिलसिला जुड़ता रहे इसीलिए डिप्टी डाइरेक्टर जाँच की रिपोर्ट देने में जान बूझ कर बिलम्ब कर रहा है क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की तुरन्त विजीलेन्स को इनक्वायरी के लिए देने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

अभी उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यदि महसूस हुई तो दिया जायेगा।

श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आये दिन अस्पतालों में फर्जी वाउचर, फाइलों में दवाईयों का कम आना, इस प्रकार की शिकायतें होती हैं, क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जो इन का जल्दी निर्णय हो सके ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह बात माननीय सदस्य की सही है। अगर वह या कोई और माननीय सदस्य इस संबंध में सुझाव देंगें तो मैं जल्दी कार्यवाही करने में जो सफलता मिल सकती है वह कदम उठाने के लिए तैयार हूं।

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर द्वारा कर्मचारी का स्थानान्तरण

*11—श्री कौशल किशोर (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर ने पिछले वर्ष कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण शासन के आदेश पर किये थे उनमें से

कितने लोगों को फिर उन्हीं अस्पतालों में उन्हीं जगहों पर वापस कार्य पर लगा दिया है और क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर ने पिछले वर्ष शासन के आदेश पर केवल एक कर्मचारी का स्थानान्तरण किया था और उसे फिर उसी के स्थान पर वापस नहीं किया गया।

हस्तकरघा वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित लक्ष्मी सूत पर टोल टैक्स एवं चुंगी से सम्बन्धित श्री राजेन्द्र कुमार गौतम, इलाहाबाद का पत्र

*12--श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को श्री राजेन्द्र कुमार गौतम बीरो रोड, इलाहाबाद का दिनाँक 22 अप्रल, 1978 व 7 जून, 1978 का पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है, कि हथकरघा वस्त्रों तथा उनके बनाने में प्रयोग किये जान वाले लक्ष्मी सूत को टोल-टैक्स, टरमिनल टैक्स एवं चुंगी से मुक्ति सम्बन्धी शासनादेश संख्या 4054-बी/11-6-77-345-77 का उल्लंघन प्रदेश में किया जा रहा है ? अगर हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जी हाँ।

शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु पुनः समस्त जिलाधिकारियों को आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री संगम लाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह शिकायतकर्ता राजेन्द्र कुमार गौतम का पत्र 22 अप्रैल, 1978 का है और मेरा प्रश्न 24 अप्रैल, 1979 का है, तो जो आदेश इन्होंने जिलाधिकारी को दिए हैं वह कब के हैं, मेरे प्रश्न आ जाने के बाद के या शिकायतकर्ता की शिकायत पा जाने के बाद के।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस प्रकार की शिकायतें शासन के पास बहुत पहले से निरन्तर रूप से आती रही हैं। बहुत से लोग जो हथकरघा के काम करने वाले गरीब किस्म के लोग हैं, उनको सताया जा रहा है, इसीलिए शासन ने पहले इसमें 10 जनवरी, 1977 को एक शासनादेश निकाला उसके बाद 25 अक्तूबर, 1977 को इसकी जो कमियाँ आ गई थीं, उसके बाद उसको पूरा किया। अभी 24 अगस्त, 1979 को दूसरा आदेश फिर से भेजा गया है कि यदि इसके बाद भी किसी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति की शिकायत रह जायेगी तो उसको दंडित किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जो शासनादेश जारी किया गया है, उसमें इस तरह का भी उल्लेख किया है कि अगर किसी बात पर मतभेद होता है कि यह हथकरघा का माल है या नहीं, तो इसका निर्णय अधिकारी करेंगे। इसी कारण बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे कि जो आदमी माल लेकर चुंगी पर जाय तो तत्काल उसका पालन हो जाय।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जी हाँ, इस प्रकार का 25 अक्तूबर, 1977 को जो शासनादेश निकला था, वह इसी प्रकार की शिकायतों के आधार पर किया गया था। 10 जनवरी, 1977 का शासनादेश भी इसी सन्दर्भ में किया गया है और जो भी अधिकारी चुंगी पथकर में वांछित मुक्ति

प्रदान करने में लोगों को परेशान करते थे, उनके लिए कहा गया है कि इस प्रकार की शिकायतें अगर आती हैं, तो सहायक निदेशक या जिले के जो भी उपलब्ध अधिकारी हैं, उनके द्वारा निर्णय कर दिया जाय।

श्री संगम लाल--

माननीय मन्त्री जी, मान्यवर, शब्दजाल और [* * *] के सहारे सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह शिकायती-पत्र अप्रैल, 1978 महीने का है। प्रश्न ठीक दो दिन के बाद किया है। इस बीच माननीय मन्त्री जी के पास उस सन्दर्भ में शिकायतें करते रहे। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की शिकायतें अधिकारियों की लापरवाही के बारे में हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका शब्द [* * *] निकलवा देते हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैंने जो-जो शासन के आदेश थे, उनका ही जिक्र किया है और उसके आधार पर मैंने कहा है कि जिन-जिन अधिकारियों के बारे में माननीय सदस्यों को शिकायत है, उनके बारे में जाँच करवा दी जायेगी। उनको दंडित भी किया जायगा। लेकिन जो शासनादेश यहाँ दिया गया है, उसका ही मैंने जिक्र किया है, अन्यथा कोई बात नहीं कही।

श्री संगम लाल---

मान्यवर, लिखित शिकायत इनके पास आई है। उसको स्वीकार भी करते हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि हम भी लिखकर दे दें। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक जो शिकायतें थीं, उनके बारे में क्या हुआ? क्या हमारी शिकायत का भी तो वही हश्र नहीं होगा, जो पिछली शिकायतों का हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष --

जो पहले शिकायतें आई हैं, उनमें क्या कोई आरोप रह गये हैं? माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यदि पहले शिकायतें आई हैं तो उनसे क्यों लिखवाना चाहते हैं?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, शिकायतें जनरल किस्म की हैं। उन पर कार्यवाही कर दी गयी है। अगर व्यक्तिगत किसी की शिकायत है, उसमें व्यक्तिगत किसी अधिकारी पर आरोप है, तो बता दें। जनरल शिकायतों में तो शासनादेश कर दिया गया है। यदि व्यक्तिगत आरोप हैं, तो बता दें तो उसमें भी जाँच करवा दी जायेगी और उस अधिकारी को दंडित भी किया जायगा।

बाबा रामाधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह है--जी हाँ, शासनादेश के कड़ाई से पालन हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मामला चुंगी का है। कलेक्टर स्तर पर प्रशासक होता है। तो शिकायत के लिए आदेश कलेक्टर को भेजी गयी है या प्रशासक को भेजी गयी है?

श्री उपाध्यक्ष --

कलेक्टर को भेज देते हैं, वह प्रशासक को भेज देते हैं।

बाबा राम अधार यादव--

जब सीधे मन्त्री जी का विभाग है तो क्या वह सीधे ही प्रशासक को नहीं भेज सकते?

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बहस का प्रश्न है। मैं इजाजत नहीं देता।

कोयला खानों में काम करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों में क्षय रोग का प्रकोप एवं टी०बी० क्लीनिक की व्यवस्था

*13--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या शासन को जानकारी है कि पूर्वांचल के पिछड़े बेरोजगारी ग्रस्त जनपद देवरिया, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर के लाखों गरीब ग्रामीण बिहार, बंगाल, उड़ीसा की कोयला खानों में सेवारत रहते हैं, तथा हजारों क्षयरोग से पीड़ित हो जाते हैं ? यदि हाँ, तो क्या उक्त जनपदों में क्षय रोग से ग्रस्त होने के बाद रहने वाले खान श्रमिकों के कल्याणार्थ पूर्ण सर्वेक्षण कराकर हितार्थ पृथक टी0 बी0 क्लीनिक तथा सेनीटोरियम की व्यवस्था हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ।

क्षयरोग से ग्रस्त सभी रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने हेतु उक्त सभी जन पदों में एक एक जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र स्थापित हैं।

क्षय रोग के उपचार हेतु व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, जैसा कि मेरा प्रश्न है कि क्या शासन को जानकारी है कि पूर्वांचल के पिछड़े बेरोजगारी ग्रस्त जनपद देवरिया, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर के लाखों गरीब ग्रामीण बिहार, बंगाल, उड़ीसा की कोयला खानों में सेवारत रहते हैं तथा हजारों क्षयरोग से पीड़ित हो जाते हैं ? इसका उत्तर आया है "जी हाँ"। वह क्षयरोग से पीड़ित हैं। इन हजारों लोगों के लिए मन्त्री जी ने उन जिलों में एक-एक क्षय केन्द्र खोला है। मैं जानना चाहता हूं कि उन हजारों की तादाद में जो लोग हैं, उनकी उन केन्द्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो रही है ? यदि हो रही है तो कौन-कौन सी औषधियाँ क्षय रोग के निवारण के लिए मोहय्या की गयी हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जैसे उत्तर प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में क्षयरोग के केन्द्र स्थापित हैं और इनका काम ही यह है कि वह सर्वेक्षण करें और उसके बाद इलाज करें, बी0सी0जी0 के टीके लगायें। 20 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को यह टीके लगते हैं। जहाँ दवाओं की उपलब्धता का प्रश्न है वह क्षय रोग के हर केन्द्र पर उपलब्ध रहती हैं। इतना अवश्य है कि जो पहली स्टेज पार कर जाने के बाद रोगी आते हैं और उनके इलाज के लिए जिन दवाओं की आवश्यकता है, वह उन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। जो रोगी पहली ही स्टेज में पकड़ में आ जाते हैं या स्वयं आ जाते हैं, उनके इलाज के लिए दवाओं की पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि तपेदिक के रोगियों के लिए आवश्यक हो कि वह अस्पताल में ही भरती रहें। घर में भी उसका उपचार किया जा सकता है, बी0सी0जी0 के टीके लगाए जा सकते हैं। जहाँ तक केन्द्रों की स्थापना का सवाल है, तो बस्ती में खलीलाबाद, देवरिया में पडरौना और गोरखपुर में महाराजगंज में भी हमारे केन्द्र स्थापित हैं। शैय्याओं की कमी अवश्य है। मैं उनकी जानकारी के लिए बतला दूं कि जौनपुर में 48 और बस्ती में 108 शैय्याएं उपलब्ध हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में पूछा है कि उनके लिए कोई सेनीटोरियम की व्यवस्था है। इसका उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

बिहार, बंगाल, उड़ीसा की कोयला खानों में जो श्रमिक सेवारत रहते हैं, उनकी बात आपने कही है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैंने सर्वेक्षण की बात कही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका क्या मतलब है जो वहाँ जाते हैं फिर लौट कर आते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जाते हैं और लौट आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

तीन राज्यों की खदानों में पूर्वांचल के जो लोग जाते हैं वे अगर क्षय रोग के मरीज हो जाते हैं, तो उनके उपचार के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

बिहार और उड़ीसा की खदानों में काम करने वालों के लिए वहाँ व्यवस्था होगी। यहाँ वापस आते हैं और उनको यह रोग होता है तो 1 महीने की दवा हमारे केन्द्र से उनको उपलब्ध करा दी जाती है। अब साल भर बाद लौटेंगे तो साल भर के दवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। जहाँ तक सेनिटोरियम की बात है कि वहाँ शय्याओं की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, तो इस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन कोयला खदानों में काम करने के लिए गोरखपुर में एक भरती केन्द्र कायम है जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है ? यदि हाँ, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को मद्देनजर रखते हुए गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ तथा तमाम पूर्वी जिलों के लोगो की भरती गोरखपुर में होती है और 6 महीने काम करने के बाद वे अपने घरों पर वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या वह सेनिटोरियम कायम करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

विचार करेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जब भारत सरकार की ओर से कोयला खदानों के लिए भरती केन्द्र खुले हुए हैं तो क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय से बातचीत करेंगे ताकि उनसे भी सहायता मिल सके, बड़ा सेनिटोरियम खोलने में जहाँ ज्यादा लोगों का उपचार हो सके?

श्री रमाशंकर कौशिक—

माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही अच्छा है। मैं बात ही नहीं करूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा तथा उनसे लड़ूंगा भी ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को मालूम है कि बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार जहाँ ये खदाने हैं वहाँ पर क्षय रोग के अस्पताल हैं और उनमें क्षय रोग से पीड़ित श्रमिक भरती होते हैं ? यदि ही, तो क्या माननीय मन्त्री उसका ब्योरा देने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका ब्यौरा माननीय मन्त्री यहाँ कैसे दे सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

आपने कहा है कि सेकेण्ड स्टेज पर जो क्षयरोग हो जाता है उसके लिए दवा की व्यवस्था नहीं है । वास्तविक स्थिति यह है कि प्राथमिक स्थिति में तो खदानों में भी दवा

की व्यवस्था रहती है लेकिन जब वह घर लौट कर आते है, तो सेकेण्ड स्टेज की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी दवा की व्यवस्था उन जिलों में सरकार करा सकेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह सही नहीं है कि जो 6 महीने बाद लौट कर आते हैं वे सभी सेकेण्ड स्टेज पार कर चुके होते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि क्षय रोग जब हो जाता है और प्राथमिक स्थिति रहती है तो वह इलाज शुरू करा देता है लेकिन इलाज बीच में छोड़ देता है जिससे फिर उस पर दवाइयों का असर नहीं पड़ता। 99 फी सदी केसेज में यही होता है कि प्रथम स्टेज में वह दवा करा चुके होते हैं लेकिन पूरा इलाज नहीं कराते। लेकिन 6 महीने बाद जब कोई रोगी वापस जाता है और वह सेकेण्ड स्टेज का रोगी होता है तो जहाँ तक दवा की उपलब्धता की बात है उसमें यह बात निहित है कि जहाँ वह रोगी भर्ती होते हैं। वहाँ पर उनको वे दवाएं भी दी जाती हैं।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि बहुत से जनपदों में केवल टी0बी0 क्लीनिक्स खुले हुए हैं जहाँ प्राथमिक उपचार होता है और वहाँ पर शय्याओं की व्यवस्था नहीं है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए हर जनपद में टी0 बी0 शय्याओं की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष —

आपका प्रश्न बड़ा है। लेकिन अगर कोई ऐसी योजना हो तो मन्त्री जी बता दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह शैय्याएं हर वर्ष बनाई जाती रही हैं और इस वर्ष भी प्राविधान है। इस वर्ष भी नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। एक जिल में यह सुविधा नहीं है, वहाँ भी इस वर्ष हम खोलने को व्यवस्था कर देंगे।

(दिनाँक 30 अगस्त, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बहेरू, जिला लखनऊ के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध जांच

*1—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि लखनऊ जिले के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बहेरू का हरदोई जनपद की जनता की शिकायत के आधार पर गत मई, 1979 के अन्त में उप निदेशक डा0 ए0 सी0 सक्सेना तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तृतीय लखनऊ द्वारा किया गया ? वहाँ नियुक्त चिकित्साधिकारी को गम्भीर अनियमितताओं का दोषी पाया गया ? यदि हाँ, तो आरोप क्या थे तथा जाँच रिपोर्ट क्या है ? सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। प्रश्नगत जाँच 2 जून, 1979 को की गयी। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बहेरू लखनऊ के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध बहेरू में निवास स्थान न बनाकर हरदोई में स्थायी रूप से सपरिवार रहने तथा शाम को नित्य हरदोई चले जाने तथा हरदोई में प्राइवेट प्रक्टिस करने के आरोप थे। जाँच के फलस्वरूप यह पाया गया कि उक्त अधिकारी अपनी तनाती के स्थान पर रुचि से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा वहाँ पर अपना निवास स्थान नहीं बनाया है। जाँच के पश्चात सम्बन्धित चिकित्साधिकारी की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, सम्बन्धित डाक्टर पहले हरदोई में तैनात थे और उसके बाद उनका स्थानान्तरण लखनऊ में बहेरू में कर दिया गया। पहले जब ये हरदोई में थे तो उस समय हरदोई के लोगों ने इनके विरुद्ध शिकायत की थी और जब ये लखनऊ में आए तो ये आज भी प्राइवेट प्रैक्टिस हरदोइ में करते हैं। उनका परिवार हरदोई में ही रहता है। मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि जाँच में यह पाया गया कि ये अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, और अभी तक अपना कोई निवास-स्थान नहीं बनाया है। ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वे पुनः हरदोई में पहुंच जायं जहाँ के लोगों की उनके प्रति शिकायतें हैं। तो जैसा मन्त्री जी ने स्वय बताया है वे अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उसका क्या कारण है और अभी तक अपना निवास स्थान न बनाने का भी क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह तो प्रश्न के उत्तर में ही साफ कर दिया गया है कि जो जाँच हुई, उसमें यह पाया गया कि वे अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं और सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और शाम को हरदोई चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी। उनका स्थानान्तरण पिछले वर्ष 1978 जून में, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा गाजीपुर में पहले किया गया था और उसके बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने इनका स्थानान्तरण बहेरू, लखनऊ में कर दिया। वहाँ भी काम नहीं कर रहे हैं। और हरदोई चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी है और इनको कहीं दूर भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है एक डाक्टर का प्रश्न है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि उनका स्थानान्तरण पुनः हरदोई नहीं किया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने तो कहा कि उनको दूर भेज दिया जायगा और वे हरदोई ले जाना चाहते हैं।

*2--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*3--श्री भीषम, श्री राम आसरे पासवान, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

मुण्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर के दोआबा क्षेत्र में पेयजल योजना की मांग

*4--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर के दोआबा क्षेत्र में (जोकि राप्ती व गोरी नदियों के बीच में स्थित है) बरसात व बाढ़ के दिनों में लोगों को दूषित जल पीने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था हेतु कोई योजना बनाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पाण्डेय)--

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में जल निगम को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हजरतगंज, लखनऊ में मेजर जनरल हबीबुल्लाह की भूमि का विक्रय

*5—आचार्य धर्मदत्त वद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ, हजरतगंज में स्थित मेजर जनरल हबीबुल्ला की भूमि 30/31-5-79 को बेच दी गयी जिसकी अनुज्ञा सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ द्वारा 27 मार्च, 1979 को निरस्त कर दी गई थी ? यदि हाँ, तो सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि किस प्राविधान के अन्तर्गत बेची गयी ? क्या सरकार दोषी व्यक्ति को सजा दिलायेगी ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*6—श्री अशफाक अहमद खाँ—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

*7—श्री राम नरेश पाण्डेय—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कालेज, इलाहाबाद में छात्रों की संख्या

*8—अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेद कालेज, जवाहर नगर, हंडिया में कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? क्या इस विद्यालय को मान्यता दी गयी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्नगत कालेज में कुल 49 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

जी नहीं। मान्यता देने के प्रश्न पर कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री अठई राम—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस भवन में यह स्कूल चल रहा है, वह सरकारी भवन है और स्कूल प्राइवेट संस्था चला रही है क्या इस वजह से उसको मान्यता नहीं दी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मान्यता देने का कार्य तो शासन करता नहीं है, वह विश्वविद्यालय देता है जिस पर कानपुर विश्वविद्यालय विचार कर रहा है। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट संस्था का सवाल है कि एक संस्था के जरिए कालेज चलाया जा रहा है, इस संस्था ने बिना मान्यता प्राप्त हुए छात्रों को भर्ती कर लिया और उसके बाद एक वर्ष तक भी कानपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं ली। यह बात सही है कि इस संस्था को जो भवन का निर्माण हुआ है, उसके लिए 1976 में लगभग 9 लाख रुपए दिए गए और वह भवन बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सी कमियाँ हैं जो पूरी होनी हैं, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय मान्यता देता है। यह प्रश्न नहीं है कि किसी संस्था या किसी प्रबन्ध समिति के जरिए कालेज चलाया जा रहा है इसलिए मान्यता नहीं दी जा रही है और सरकार द्वारा चलाई जाती, तो मान्यता प्राप्त हो जाती। प्रश्न यह है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए जो अर्हताएं होनी चाहिए, उसकी पूर्ति उस कालेज ने नहीं की है इसलिए सम्भवतः विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है।

श्री अठई राम—

जिस भवन में वह स्कूल चल रहा है, वह भवन क्या सरकारी है और सरकार के आदेश से उसमें स्कूल चल रहा है या अपने आप लोग उसे चला रहे हैं ? इसमें सरकार का 9 लाख रुपया लगा हुआ है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैंने शुरू में निवेदन किया कि इस प्रबन्ध समिति को लगभग 9 लाख रु0 उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन यह कहना कि वह कालेज सरकारी हो गया यह गलत होगा। प्रबन्ध समिति द्वारा उस कालेज को चलाया जा रहा है और उसको 9 लाख रु0 अनुदान के रूप में 1976 में दिए गए और वह भवन बन गया। चूंकि मान्यता की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं इसलिए मान्यता नहीं मिल पाई।

श्री अठई राम—

क्या वह भवन सरकारी है जिसमें कालेज चल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित संस्था को जो 9 लाख रुपया दिया गया उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है ? क्या शासन ने इसकी जाँच कराई है कि जिस काम के लिए रुपया दिया उसमें खर्च हो गया ? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, 9 लाख रु0 जैसा मैंने निवेदन किया अनुदान के रूप में दिया गया और उसका इस्तेमाल हो गया और जो भवन बना है वह पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा ही बनाया गया है। वह भवन 9 लाख की लागत का बना है जहाँ तक सर्टिफिकेट का सम्बन्ध है, मैं जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा, इस समय मेरे पास वह उपलब्ध नहीं है।

मलेरिया उन्मूलन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*9—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मलेरिया उन्मूलन विभाग में सेवारत ऐसे कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या कितनी है, जो 3 वर्ष से अधिक निरन्तर सेवारत रहते हुए भी अस्थायी हैं और ऐसे अधिकारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थायी कर दिया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है। उक्त योजना के अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 2006 है, जो 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पद स्थायी नहीं है। अतः उक्त पद पर पद-धारकों के स्थायीकरण का प्रश्न फिलहाल अपरिपक्व है।

*10—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

लखनऊ में पकड़ी गयी, "लिमका", "थम्स अप" एवं "गोल्ड स्पाट" की बोतलों की जांच

*11—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में प्रथम सप्ताह जुलाई, 1979 में 9 हजार बोतलें मधु पेय की ऐसी मिली हैं जिनमें मक्खियाँ, कीड़े अथवा गन्दगी तैर रही थी ? यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित कम्पनी की जाँच करवाई गयी ? इसके निर्माण में क्या दोष पाया गया और अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिनाँक 7 जुलाई, 1979 को कालरा निरोधक कार्यवाही के सम्बन्ध में श्रीमंत के0पी0 एजेन्सी, 10 मोहन होटल, चारबाग, लखनऊ के यहाँ छापा मारकर लिमका, थम्स अप एवं गोल्ड स्पाट आदि की 7,261 बोतलों को सीज किया गया। उनमें से कुछ बोतलों में कीडे, मक्खियाँ तथा गन्दगी तैरती हुई देखी गयी। इस सम्बन्ध में लिमका आदि कारबोनेटेड वाटर के नमूने जाँच हेतु जन विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेज गए। विश्लेषण के पश्चात जन विश्लेषक, उत्तर प्रदेश ने उन्हें अशुद्ध घोषित किया और यह भी लिखा कि वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जिसके आधार पर जब्त की गयी बोतलों को नष्ट करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया गया। न्यायालय ने लिमका एवं गोल्ड स्पाट की बोतलों को नष्ट करने तथा थम्स अप की बोतलों को रिलीज करने के आदेश दिए।

मधुपेय निर्माता जै हिन्द वाटलिंग कम्पनी, कानपुर के यहाँ छापा मार कर नमूने लिए गए। वहाँ पर भी बोतलों में गन्दगी पाई गयी। नमनों को जाँच हेतु जन विश्लषक उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया। जन विश्लेषक की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

*12—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*13—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

जलालपुर, महिला चिकित्सालय, जिला फैजाबाद में डाक्टर की नियुक्ति की मांग

*14—श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा जलालपुर, जनपद फैजाबाद महिला चिकित्सालय में कब से डाक्टर नहीं हैं? यदि हाँ, तो कब तक महिला डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

महिला अस्पताल, जलालपुर, जिला फैजाबाद में माह अक्तूबर, 1978 से महिला डाक्टर नहीं है। महिला डाक्टरों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु साक्षात्कार कर लिया गया ह और उक्त अस्पताल में शीघ्र ही एक महिला डाक्टर की तैनाती कर दी जायगी।

*15—श्री हरिश्चन्द्र—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

झांसी जिले में परीक्षा थरमल पावर हाउस प्रोजेक्ट द्वारा मांगे गए टेंडर

*16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में परीक्षा थरमल पावर प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकेशन 2302 के द्वारा दिनाँक 12 मार्च, 1979 को पाइप फाउण्डेशन बनवान के लिए जो टेंडर माँग गए थे, उसमें कितने निर्माण कम्पनियों ने भाग लिया और उनके क्या रेट थे? क्या यह सही है कि उनमें से न्यूनतम टेंडर देने वाली कम्पनियों को कार्य न देकर उससे दूना रेट देने वाली निर्माण कम्पनी का टेंडर स्वीकार किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी हाँ।

उपरोक्त टेंडर में पाँच कम्पनियों ने भाग लिया था। उनके नाम तथा रेट निम्न प्रकार थे :—

क्रम-सं0	निर्माण कम्पनियों के नाम	पाइलिंग का प्रति मीटर रेट (20 मीटर की पाइलिंग तक)	
		विकल्प—1 (डिवेन कास्ट इन-सीट)	विकल्प—2 (कास्ट इन सीट-बोर्ड पाइल)
1	2	3	4
1	—मेसर्स सिम्प्लेक्स काँक्रीट पाइल्स (ई0) प्रा0लि0, नई दिल्ली।	220.00	..
2	—मेसर्स एशिया फाउन्डेशन एण्ड कान्सट्रक्शन, प्रा0लि0, नई दिल्ली।	..	230.00
3	—मेसर्स एम0एस0जे0 कन्सल्टेन्ट्स लि0, लखनऊ	234.00	222.00
4	—मेसर्स बहल इन्जीनियरिंग ऐण्ड कान्सट्रक्शन कं0, नई दिल्ली।	262.50	.. ..
5	—मेसर्स मैमन निर्माण लि0, कलकत्ता	..	270.00

यह सही नहीं है। क्योंकि सबसे कम रेट देने वाली निर्माण कम्पनी मेसर्स सिम्पलेक्स काँक्रीट पाइल्स, नई दिल्ली का ही टेंडर स्वीकार किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*17—श्री राम जी सिंह—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

औषधि नियन्त्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी पत्र

*18—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 6 जून, 1979 को औषधि-नियन्त्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण के सन्दर्भ में विधान सभा सदस्य का कोई पत्र प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

राज्य में औषधि नियन्त्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधान सभा सदस्य महोदय ही का दिनाँक 6 जून, 1979 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में वस्तु-स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्हें दिनाँक 9 जुलाई, 1979 को उत्तर भेज दिया गया था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में जयगुरु देव द्वारा सतयुग आगमन महायज्ञ का आयोजन एवं सरकार द्वारा दी गयी कथित वित्तीय सहायता

*19—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार को जानकारी है कि निकट भूत में दिनाँक 19 मार्च, 1979 को जय गुरुदेव द्वारा कोई जय गुरुदेव महायज्ञ प्रदेशीय अंचल काशी में आयोजित किया गया था?

यदि हाँ, तो उक्त आयोजन में किस प्रकार की कौन-कौन सी आर्थिक प्रशासनिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

जय गुरुदेव द्वारा सतयुग आगमन महायज्ञ दिनांक 15 फरवरी, 1979 से 25 फरवरी, 1979 तक वाराणसी में गंगा पार रेती पर आयोजित किया गया था। सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी थी।

*20--

[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बहेरू, लखनऊ के चिकित्सा अधिकारी का निवास स्थान

*21--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ जिले के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बहेरू के चिकित्साधिकारी, हरदोई जिले से बहेरू (100 कि0मी0) तक प्रति दिन रेल द्वारा आते जाते हैं जिससे वहाँ की जनता में असन्तोष व्याप्त है ? जबकि उन्हें अपने मुख्यालय पर या उससे आठ किलोमीटर की दूरी पर ही रहना चाहिए ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुण्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर की जल सम्पूर्ति योजना

*22--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुण्डेरा बाजार (चौरी चौरा) नगर क्षेत्र समिति, जिला गोरखपुर में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जो स्कीम आज से लगभग चार साल पहले उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा शुरू की गयी थी वह नलकूप के निर्माण एवं चालू हो जाने के उपरान्त भी स्थानीय लोगों को पीने के पानी अभी तक उपलब्ध नहीं कर पा रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

मुण्डेरा बाजार जल सम्पूर्ति योजना वर्ष 1973 में प्रारम्भ की गयी थी तथा नलकूप और वितरण नलिकाओं के निर्माण के पश्चात् 5 जुलाई, 1977 से सीधे पम्पिंग द्वारा टेस्टिंग के रूप में जल वितरण प्रारम्भ किया गया।

मार्च, 1979 में न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य रोक देना पड़ा।

नगर क्षेत्र समिति द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों का चार्ज लेकर उनका रख-रखाव न किए जाने के कारण जलपूर्ति में व्यवधान पड़ गया।

*23--श्री अठई राम--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*24--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*25--श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*26--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

जिला चिकित्सालय, सीतापुर में ई0 एन0 टी0 विशेषज्ञ की सुविधा दिए जाने की मांग

*27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित समस्त जिला चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक विशेषज्ञ सुविधाएं स्वीकृत हो चुकी हैं तब सीतापुर जिला चिकित्सालय ई0एन0टी की व्यवस्था न होने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पंचम पंचवर्षीय योजना काल में ई0एन0टी0 की व्यवस्था, न्यूनतम आवश्यक विशेषज्ञ सुविधाओं में शामिल नहीं थी। इस कारण इस विशेष सुविधा की व्यवस्था जिला चिकित्सालय, सीतापुर में नहीं की जा सकी। छठी पंच वर्षीय योजना में यह सुविधा थी न्यूनतम आवश्यक विशेषज्ञ सुविधाओं में शामिल कर ली गयी है। सीतापुर जिला चिकित्सालय में ई0 एन0 टी0 की व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रस्तावित है।

अतारांकित प्रश्न

कठेला, जिला बस्ती के अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति की मांग

1—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र इटावा में कठेला नामक स्थान पर सरकारी अस्पताल है जहाँ से डाक्टर का ट्रान्सफर माह अप्रैल, 1978 में हो गया ? यदि हाँ, तो कठेला नामक स्थान पर किसी डाक्टर की नियुक्ति अभी तक न होने का कारण क्या है और नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। विभाग में इन्टीग्रेटेड चिकित्सकों के अभाव के कारण उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी परन्तु 14 जून, 1979 को एक चिकित्सक के तैनाती के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

होम्योपैथिक कालेजों के प्रधानाचार्यों की अर्हतायें

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दि होम्योपैथिक सेन्ट्रल कौंसिल ऐक्ट, 1973 के अधीन स्थापित केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के होम्योपैथिक कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अर्हताएं क्या हैं ? क्या इन अर्हताओं को राज्य के राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा अन्य गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों में भी लागू कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब से ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दि होम्योपैथिक सेन्ट्रल कौंसिल ऐक्ट, 1973 के अधीन स्थापित केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा पारित डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के होम्योपैथिक कालेजों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अर्हताओं का विवरण संलग्न है। †

जी नहीं। इन अर्हताओं को भारत सरकार के द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना शेष है, जिसके उपरान्त ही उन्हें प्रदेश के होम्योपैथिक कालेजों में लागू करने पर विचार किया जायगा।

---

†छापा नहीं गया।

निदेशक, होम्योपैथिक की अर्हताएं

3—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, होम्योपैथिक हेतु होम्योपैथी की डिग्री की अर्हता अनिवार्य रूप से निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

निदेशक होम्योपैथी हेतु होम्योपैथी की डिग्री की अर्हता अनिवार्य रूप से रखने पर पुनर्विचार किया जा रहा है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत स्थापित जच्चा-बच्चा केन्द्र

4—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना कहाँ-कहाँ की है ? क्या मन्त्री इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक बड़े ग्राम तथा न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना की जा सके ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर, कनैली तथा सरसवाँ में एक-एक जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आठ-आठ जच्चा-बच्चा उप केन्द्र भी स्थापित हैं।

इस समय एक लाख की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिसके अधीन एक जच्चा-बच्चा केन्द्र तथा आठ जच्चा-बच्चा उपकेन्द्रों की व्यवस्था है। सामान्यत: दस हजार जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र की व्यवस्था की गयी है। अब पाँच हजार की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विसन्डा, जिला बांदा के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

5—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र विसण्डा के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण करने वाली दाइयों को वेतन न देने तथा परेशान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र 15 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अभी तक उपरोक्त प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ।

उक्त शिकायत की जाँच कराई गई। जाँच में जाँच अधिकारी द्वारा किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका क्योंकि दाइयों द्वारा दिये गये बयान उनके द्वारा बदल दिये गये। मामले में पुलिस द्वारा जाँच कराय जान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ताकि दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना संभव हो सके।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला बांदा के चिकित्सा अधिकारियों की आवासीय सुविधाएं

6—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद में कितने ऐसे राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहाँ प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी के रहने की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार इन अधिकारियों के रहने की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक।

श्री रमा शंकर कौशिक--

बाँदा जनपद के कुल 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 6 केन्द्रों पर केवल प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के लिये ही आवासीय सुविधा उपलब्ध है। शेष 7 केन्द्रों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा सहायक चिकित्सा अधिकारी दोनों में किसी को भी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य हेतु धन उपलब्ध होने की दशा में शासन की निर्धारित नीति के अनुसार इन चिकित्सा अधिकारियों को भी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

बांदा जिले के नरैनी में महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग

7--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद नरैनी में महिला चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का 21 अक्तूबर सन् 1978 का पत्र प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हाँ। संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था।

इस सम्बन्ध में निर्धारित शासकीय मापदण्डों के प्रकाश में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार समिति के विधिवत् पारित प्रस्ताव तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाँदा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश की निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति के अभाव में कोई भी कार्यवाही सम्भव नहीं है।

विकास खण्ड खैराबाद व परसेण्डी, जिला सीतापुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला के विकास खण्ड, खैराबाद तथा परसेण्डी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दिनाँक 3 मई, 1979 तक किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा वर्ष 1979 के अन्त तक किन-किन अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा?

श्री रेवती रमण सिंह--

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसैडी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दिनाँक 3-5-1979 तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी में ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ के अन्तर्गत किया जाना है। यह योजना नवम्बर 1978 में स्वीकृत हुई है तथा माह फरवरी 1979 से इस पर कार्य प्रारम्भ हुआ है। अतएव अभी तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण पूरा नहीं किया जा सका है वर्ष 1979-80 में उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड खैराबाद के पाँच (5) तथा विकास खण्ड परसैण्डी के दस (10) ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से ग्राम इटारी तथा गौरिया का कार्य वर्तमान स्थिति म प्रगति पर है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 274 पर)

9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद परसैण्डी तथा एलिया के किन-किन हरिजन बहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में किया गया तथा 1979-80 में किन-किन हरिजन बहुल्य ग्राम को बिजली दे दी जायगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

वर्ष 1977–78 में सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद के हादीपुर, इलिसिया धनईखेड़ा तथा कंचनपुर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया तथा विकास खण्ड परसेंडी व एलिया में किसी भी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

वर्ष 1978–79 में उक्त विकास खण्डों में किसी भी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

वर्ष 1979–80 में विकास खण्ड खैराबाद में 5 (पाँच) तथा विकास खण्ड परसेंडी में 10 (दस) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सम्बन्धित ग्रामों का नवम्बर 1978 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (चतुर्थ) के अन्तर्गत विद्युतीकरण करने के साथ-साथ प्रस्तावित है।

एलिया विकास खण्ड के लिए कोई भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है, अतएव इस विकास खण्ड के गाँवों एवं सम्बन्धित हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण बिजली के कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र इतनी संख्या में प्राप्त होने पर कि इनके विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत राजस्व प्रतिलाभ उपलब्ध हो जाय, किया जायगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 275 पर)

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा रेलवे को दिया गया डेमरेज एवं वारफेज

10—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 में राज्य विद्युत् परिषद् ने रेलवे स्टेशनों पर पड़े अपने सामान के लिए कितने रुपये प्रतिवर्ष रेलवे को डेमरेज तथा वारफेज के रूप में दिया है और प्रतिवर्ष का कितना रुपया इन मदों में देना शेष है? रेलवे को डेमरेज तथा वारफेज के रूप में इतनी बड़ी राशि देने का कारण क्या है?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

11—श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में 1977–78 में कितने हरिजन ग्रामों (हरिजन कालोनी) का विद्युतीकरण किया गया है और वर्ष 1978–79 में कितनी हरिजन कालोनी के विद्युतीकरण की योजना विचाराधीन है? क्या अयोध्या स्थित नये घाट के हरिजन कालोनी का भी विद्युतीकरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री रेवती रमण सिंह—

फैजाबाद जनपद में वर्ष 1977–78 में 49 (उन्चास) (सूची–I संलग्न) तथा 1978–79 में 28 (अठाइस) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। (सूची–II संलग्न)। अयोध्या स्थित नये घाट की हरिजन कालोनी के विद्युतीकरण पर होने वाले व्यय का भार नगरपालिका, अयोध्या को वहन करना है। इस सम्बन्ध में व्यय का आँकलन नगरपालिका को मई 1979 में भेजा जा चुका है। नगरपालिका द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करने पर इस हरिजन कालोनी का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 276–278 पर)

खीरी जिले के फार्मेसिस्ट श्री के०एन० परवार का स्थानान्तरण एवं उनका निवास स्थान

12—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में ऐसे कितने और कौन-कौन से फार्मेसिस्ट हैं जिनका स्थानान्तरण जून, 1978 के बाद हो गया है और बावजूद निदेशक

व सी0 एम0 ओ0 के आदेश के सरकारी आवास गृह अभी तक खाली नहीं किए है ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अभी तक न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जून 1978 के बाद जनपद खीरी में केवल एक फार्मेसिस्ट श्री के0 एन0 परवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंसगवाँ मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुहम्मदी स्थानान्तरित किया गया है जिन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। श्री परवार को सरकारी आवास तुरन्त खाली कर देने के लिये सख्त आदेश दे दिये गये हैं।

टाण्डा तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

13—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युतीकरण के अन्तर्गत फैजाबाद जिले की टाण्डा तहसील में किन-किन हरिजन आबादी में अब तक बिजली की व्यवस्था की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

फजाबाद जिले की टाण्डा तहसील में विद्युतीकरण के अन्तर्गत दिनाँक 31-5-1979 तक 39 (उन्तालीस) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 279 पर)

श्री राम लाल, चौकीदार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोसाईगंज, लखनऊ की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

14—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के माध्यम से श्री रामलाल, स्वीपर कम-चौकीदार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोसाईगंज, जनपद लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनाँक 1 दिसम्बर, 1978 को पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ हैं ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरवल, जिला सीतापुर के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान

15—श्री रामनरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78, 1978–79 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरवल, जनपद सीतापुर में कितना पैसा कर्मचारियों के वेतन पर औषधियों के रूप में, किराए के रूप में तथा अन्य भत्तों के रूप में खर्च किया गया ? वर्ष 1977–78, 1978–79 में किन-किन कर्मचारियों ने कितना भत्ता प्राप्त किया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वाँछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 280 पर)

16—श्री देव बहादुर सिंह—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

17—श्री देव बहादुर सिंह—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

सिसवा बाजार, गोरखपुर की भूमि का कथित विक्रय

18—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया सीमा के अन्दर सिसवा बाजार, गोरखपुर के सार्वजनिक भूमि को बेचने की सूचना गत वर्ष शासन को मिली है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मामले की जाँच जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा कराई गई। उन्होंने सूचित किया कि टाउन एरिया सिसवा बाजार में सार्वजनिक भूमि बेचने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तदनुसार माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक को 25 मई, 1979 को उत्तर दे दिया गया। माननीय विधायक ने इस सम्बन्ध में पुनः जुलाई, 1979 में एक शिकायत की जो जिला मैजिस्ट्रट को पुन: जाँच के लिए भेजी गई है।

19—श्री रवीन्द्र सिंह—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

20—श्री रवीन्द्र सिंह—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

जिला अस्पताल, गोरखपुर द्वारा चावल, दाल, फल आदि की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित टेंण्डर

21—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिला अस्पताल में दवा के अतिरिक्त विभिन्न सामग्री-चावल, दाल, फल, सोडा, साबुन आदि की आपूर्ति के लिए फरवरी-मार्च, 1979 में टेण्डर आमंत्रित किए गए थे ? यदि हाँ, तो क्या निश्चित समय पर टेंडर खोले गए ? यदि हाँ, तो क्या अधिकतम चीजों में श्री राम चन्दर तथा कुछ चीजों में श्री उमा शंकर का टेण्डर लो था ? यदि हाँ, तो टेण्डर खोलने के बाद जिन चीजों में जिसका टेण्डर लो था उसे आपूर्ति करने का आदेश दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हाँ। टेण्डर निश्चित समय पर निविदादाताओं की उपस्थिति में परचेज कमेटी के सम्मुख खोले गये थे। निविदादाताओं में श्री राम चन्द्र के 232 आइटम, श्री अशोक कुमार न कि उमाशंकर के 47 आइटम एवं मेसर्स पवन एजेन्सी के एक आइटम के दाम सबसे कम पाये गये। इन्हीं तीनों ठेकेदारों को उनके कम दर वाले आइटमों को सप्लाई करने के आदेश दिये गये।

22—श्री रवीन्द्र सिंह—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

23—श्री रवीन्द्र सिंह—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

अनधिकृत चिकित्सा, व्यवसाइयों के विरुद्ध जांच किये जाने की मांग

24—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायगी कि अनधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य करने वालों की प्रदेश स्तर पर कोई जाँच हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या गोरखपुर जनपद में कुछ बिना पंजीयन के लोग मिले ? और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं। फिर भी अनधिकृत रूप से चिकित्सा व्यवसायियों के विरुद्ध यदि शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जाँच की जाती है और आरोप सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध इंडियन

मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 की दन्डात्मक धारा 15 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है। गोरखपुर जनपद में भी यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायगी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

25—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल-मई-जून, 1979 में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयीं? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी ने तत्काल स्थानान्तरित कर उन्हें निलम्बित करने के लिए भी लिखा है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हाँ। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, गोरखपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं उनके स्थानान्तरण के लिए ही लिखा था। स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा जाँच करने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय को आदेशित कर दिया गया है।

26—श्री जय शंकर पाँडेय—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

27—श्री रामपति—

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीतापुर के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

28—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिल रहा है? इन कर्मचारियों को वेतन न मिलने का क्या कारण है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सीतापुर जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसे पिछले चार माह से वेतन न मिल रहा हो।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

29—श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में 1 मई, 1979 से 15 मई, 1979 तक कौन प्रधानाचार्य था? इस विषय में क्या सरकार यह भी बताएगी कि पिछले प्रधानाचार्य (डा0 वी0 एन0 लाल) की सेवानिवृत्ति के पश्चात् कितने लोगों ने और कितने-कितने दिन प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में दिनाँक 1 मई, 1979 से 15 मई, 1979 तक डा0 के0 वी0 भार्गव प्रधानाचार्य थे। डा0 वी0 एन0 लाल की सेवानिवृत्त के पश्चात् डा0 के0 वी0 भार्गव ही प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त टी०बी० हेल्थ विजिटर

30—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 टी0 बी0 हेल्थ विजिटर आगरा से प्रशिक्षण प्राप्त करके बेकार बैठे हुए हैं और उनके स्थान पर 40 अप्रशिक्षित लड़कों से काम लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं।

नगरपालिकाओं द्वारा समाचारपत्रों को विज्ञापन दिए जाने सम्बन्धी परिपत्र

31--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं को समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में शासन द्वारा निर्धारित नीति का कड़ाई से पालन करने और समस्त विभागीय विज्ञापन केवल उन्हीं समाचार-पत्रों को जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरी करते हैं देने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं ? यदि हाँ, तो कब और उसका पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

जी हाँ। निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 24-8-79 द्वारा प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों को शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

32--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

33--श्री मथुरा प्रसाद पाँडेय--

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

34--श्री जगदीश सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य विभाग, बस्ती के अधिकारियों द्वारा औषधि, शल्य सामग्री की खरीद

35--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा औषधियों, शल्य सामग्री, वस्त्र तथा अन्य सामग्री सन् 1975 से सन् 1978 तक कितनी धनराशि की किन-किन फर्मों से क्रय की गयी ? क्या वे फर्म एप्रूव्ड थीं ? क्या यह सही है कि उसमें लाखों रुपयों का गबन और गोलमाल है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में विशेष आडिट कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सन् 1976 से सन् 1978 तक रुपये 39,99,251.76 की औषधियाँ, शल्य सामग्री, वस्त्र तथा अन्य सामग्री संलग्न सूची † में अंकित फर्मों से क्रय की गयी। वे सभी फर्में एप्रूव्ड थीं। जो सामान रेट कन्ट्रेक्ट में नहीं थ वे क्रास कोटेशन से स्टोर पर्चेज रूल्स के अनुसार क्रय किये गये। चूंकि प्रश्नगत क्रय में कोई गबन अथवा गोलमाल का मामला दृष्टिगत नहीं हुआ, अतः विशेष आडिट कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आंख अस्पताल, सीतापुर का कथित विशेष आडिट

36--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने सीतापुर आँख अस्पताल का 5 वर्ष पूर्व स्पेशल आडिट करने का आदेश दिसम्बर माह में किया था ? क्या जाँच की गयी और कौन-कौन सी अनियमिततायें पायी गयीं?

---

†छापी नहीं गई।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं। विशेष आडिट के आदेश जनवरी 1978 में दिये गये थे परन्तु बाद में विचारोपरान्त विशेष आडिट की आवश्यकता नहीं समझी गयी। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

37--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

चिकित्सालय कुसमरा, जिला मैनपुरी के डाक्टर राम प्रकाश मिश्रा का स्थानान्तरण

38--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, कुसमरा, मैनपुरी में डा0 राम प्रकाश मिश्रा कितने वर्ष सेवा करने के बाद वर्ष 1978 में स्थनान्तरित किए गए थे ? क्या उन्हें यह जानकारी है कि 9-10 माह के बाद उन्हें पुनः उसी चिकित्सालय में भेज दिया गया है जहाँ उन्होंने अपना निजी मकान बनाकर बैंक आफ इंडिया को किराए पर उठा दिया है ? यदि हाँ,तो उनको पुनः उसी चिकित्सालय में स्थानान्तरित करने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

डा0 राम प्रकाश मिश्रा राजकीय चिकित्सालय कुसमरा, मैनपुरी में 9 वर्ष 7 माह सेवा करने के बाद स्थानान्तरित किये गये थे। उनको पुनः उसी चिकित्सालय में उनकी घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवता के आधार पर स्थानान्तरित किया गया था। किन्तु पुनः उन्हें ताजपुर, फर्रुखाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है। उनका कोई निजी मकान कुसमरा स्थित बैंक आफ इंडिया को किराये पर नहीं दिया गया है।

39--श्री जय शंकर पाण्डेय--

[3रे गुरुवार के लिये स्थगित]

औद्योगिक शिक्षण संस्थान, सीतापुर में मोटर मैकेनिक एवं रेडियो मैकेनिक का प्रशिक्षण

40--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री विधान सभा द्वितीय सत्र सन् 1979 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर मैकेनिक तथा रेडियो मैकेनिक व्यवसाय खोल दिए गए हैं और अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक खोल दिए जायेंगे ?

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)--

चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतापुर में रेडियो एण्ड टेलीविजन मैकेनिक, मोटर मैकेनिक तथा कटिंग एण्ड टेलरिंग (युवक) व्यवसाय की एक-एक यूनिट खोले जाने के लिये आवश्यक प्राविधान बजट में नई माँगों के माध्यम से कराया गया है। प्रस्ताव पर अभी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। आशा है कि ये व्यवसाय शीघ्र खोल दिये जायेंगे।

ग्राम सभा शिवाजोत, जिला बहराइच में जनस्वास्थ्य रक्षकों के चुनाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

41--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा शिवाजोत, ब्लाक इकौना, जनपद बहराइच में ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक (सी0 एच0 डब्लू) के चयन में अनियमितता किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच व स्वास्थ्य मन्त्री को फरवरी, 1979 से अब तक कई बार श्री राम सुन्दर मिश्र, प्रधान व अन्य कई व्यक्तियों, निवासी शिवाजोत द्वारा दिया गया ? यदि हाँ, तो अब तक उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन शिकायती-पत्रों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा आवश्यक जाँच की गई। जाँच से ज्ञात हुआ कि शिकायतें निराधार हैं।

सरैया शुगर फैक्ट्री तथा डिस्टिलरी सरदार नगर का गन्दा पानी

42—श्रीमती शारदा देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील सदर के सरैया शुगर फैक्ट्री व डिस्टलरी सरदार नगर के गन्दे पानी को फरेन नाले में गिराने से रोकने का प्रबन्ध करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक की आख्या

43—श्री रवीन्द्र सिंह—

द्वितीय सत्र 79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक की आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

स्वास्थ्य सेवा निदेशक की आख्या अभी प्रतीक्षित है।

जिला अस्पताल, फैजाबाद के रोगियों की संख्या

44—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में वर्ष 1977–78 में चिकित्सा कराने हेतु कुल कितने रोगी पंजीकृत हुए और वर्ष 1977–78 में राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद को दवाओं को खरीदने के लिए कुल कितना रुपया दिया गया तथा कितने रुपए की दवा चिकित्सालय को उसी वर्ष में दी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

राजकीय चिकित्सालय (जिला पुरुष अस्पताल), फैजाबाद में वर्ष 1977–78 में चिकित्सा कराने हेतु आउटडोर तथा इन्डोर में कुल 1,11,896 रोगी पंजीकृत हुए। वर्ष 1977–78 में उक्त अस्पताल को दवाइयाँ क्रय करने के निमित्त 3,68,900 रुपये दिये गये तथा 2,17,170 रुपये मूल्य की औषधियाँ निदेशालय के केन्द्रीय औषधि भण्डार के माध्यम से उपलब्ध कराई गईं।

अविश्वास प्रस्ताव पर हार जाने की दशा में मुख्य मन्त्री द्वारा विधान सभा भंग करने की राज्यपाल से सिफारिश से सम्बन्धित समाचार 'पायनियर' समाचार-पत्र द्वारा छापे जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, कल जब मुख्य मंत्री सदन में भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हम इस सदन को डिजोल्व करने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं, किन्तु कल यह खबर समाचार-पत्रों में आई है कि जिस समय सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में हार गयी, उसके तुरन्त बाद मुख्य मंत्री राज्यपाल के पास गये और उनसे इस बात की सिफारिश की कि सदन को भंग कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

यह खबर कुछ अखबारों में गलत छप गयी है और मैंने अखबारवालों, खास कर 'पायनियर' से कह दिया है कि वह शुद्ध कर इसको छाप दें और इसके लिए खेद प्रकाश करें कि यह इस तरह से गलत खबर छपी।

(व्यवधान)

मेरे पास अखबार वाले आए थे..... (व्यवधान) मेरे पास अखबार वाले स्वयं आए थे और उन्होंने कहा था। यदि अखबार वालों से कोई खबर गलत छप जाती है तो उसके बारे में वह हमें इत्तला देते हैं, वह हमारे पास आए थे.....

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

हमें यह कहना है कि आपने यह सारा षडयंत्र रचा है। यह झूठ है, इसलिए इसका खंडन होना चाहिए और जिस पत्रकार ने यह किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वैसे तो अखबार वाले मिल चुके हैं मुझसे, आप इसके लिए लिखित नोटिस हमारे पास भेज दें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

जहाँ तक मेरी जानकारी है मुख्य मंत्री को बदनाम करने के लिए वह खबर जानबूझकर छपवाई गई है।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह 'पायनियर' में यह समाचार पाकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि कल मतदान के बाद जब आपने घोषित किया कि अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया है, मैंने राज्यपाल महोदय को विधान सभा भंग करने की संस्तुति की है। यह बिलकुल निराधार और मनगढ़न्त है और यह एक पूर्व-नियोजित षडयंत्र है। एक महीने से यह चल रहा है कि विधान सभा भंग होगी। कल जैसा मैंने कहा था कि श्री नारायणदत्त तिवारी और उनकी पार्टी की यह साजिश थी कि यह सरकार गिर जाए, तो विधान सभा भंग हो, क्योंकि सरकार नहीं बन सकती है। उनकी साजिश आज खत्म हो गयी है और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि विधान सभा को किसी स्थिति में भंग नहीं किया जाएगा, विधान सभा यथापूर्व चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसक बारे में राजेन्द्र कुमार जी ने जो आपत्ति उठाई है, वह उसे लिखकर भेज दें। वैसे अखबार वाले मेरे पास आए थ और कह रहे थे कि यह गलत छप गया है। . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुझे अखबार वालों से कोई शिकायत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंन स्वयं कहा था कि हम सही करके इसे छाप देंगे। तो मैंने निर्देश दिया था कि उसको ठीक करके छाप दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन माननीय मुख्य मंत्री जी जब क्रुद्ध होते हैं तो उनकी मुद्रा बड़ी वीभत्स हो जाती है। झूठ वह है कि जो सर पर चढ़ कर बोले, एक कहावत है। हमारे मुख्य मंत्री जी को बार-बार हमारी कोई साजिश नजर आ रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब फर्क पड़ गया, तिवारी जी। पहले आप यहाँ बैठते थे वह वहाँ बैठते हैं। उनके साथ आमने सामने नजर रखते थे। अब तिरछे बैठते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमारी सीधी नजर है। वह तिरछी नजर से देखते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अब तो बात खत्म हो गयी। अब तो आपने व्यवस्था दे दी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैंने इजाजत दे दी। वह ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारा नाम ले कर कहा। माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारी साजिश नजर आती रहती है। जब वह श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री उमाशंकर दीक्षित जी और श्रीमती मोहसिना किदवई जी से कई दिन बात करते रहे तो वह साजिश नहीं है। वह राय मशविरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आरोप-प्रत्यारोप. . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं इस आरोप का जोरदार खंडन करता हूं। हम माननीय मुख्य मंत्री की साजिश में शामिल होने वाले नहीं हैं चाहे कितनी कोशिश कर लें, प्रदेश और देश में काँग्रेस (आई) के प्रभाव को उनकी कोई शक्ति रोकने के लिए सक्षम नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, दोनों माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापक शिक्षा निदेशक के कार्यालय के सामने धरना दिये बैठे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री बयान दें।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले नियम 301 की सूचनाएं हो जाने दें।

फिरोजाबाद में कोयले के अभाव में चूड़ी उद्योग ठप्प हो जाने से श्रमिकों की बेकारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में गत दो माहों से चूड़ी का समस्त प्रतिष्ठान कोयला के अभाव में बन्द हैं? और इस कारोबार में लगे डेढ़ लाख श्रमिक भूखों मरने लगे हैं। श्रम कार्यालय और ए0 जी0 टी0 के कार्यालय और गिलास इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट पर श्रमिकों क प्रदर्शन दिन प्रति दिन इस आशय के आयोजित हो रहे हैं कि चूड़ी के प्रतिष्ठानों को तत्काल चालू किया जाय ताकि गरीब शोषित चूड़ी मजदूरों को रोटी रोजी मिल सके।

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ यह निवेदन करना पड रहा है कि उद्योग विभाग की अदूरदर्शिता के कारण वर्ष 1979 को आवंटित कोयला जनवरी, 1979 से अगस्त, 1979 तक का अभी तक कोल फील्ड से कोयला सप्लाई नहीं हो पाया है। अभी जून, 79 तक केवल नवम्बर, 1978 की कोयले की सप्लाई चूड़ी प्रतिष्ठानों को मिल

[श्री रघुबरदयाल वर्मा]—

सकी है। इसलिए फिरोजाबाद में कोयले का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। श्रमिकों एवं सेवायोजकों में भी कुछ मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति गत दो महीने पूर्व पैदा हुई थी। सेवायोजक और श्रमिक में विवाद की स्थिति तथा कोयले के अभाव से फिरोजाबाद का चूड़ी प्रतिष्ठान गत दो मास से बन्द हैं। इससे सम्पूर्ण फीरोजाबाद का चूड़ी कारोबार बन्द है और श्रमिकों और सेवायोजकों में असंतोष की ज्वाला धधक उठी है। सम्पूर्ण जन मानस की स्थिति इस बंदी से हिल उठी है।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि फीरोजाबाद के श्रमिकों के जनहित को ध्यान में रखते हुए समस्त चूड़ी-कारोबार तुरन्त चालू करावें और कोयले की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर दिलावें और उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को कर्त्तव्यहीनता के लिए दंडित करें।

इलाहाबाद जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं। इलाहाबाद सम्पूर्ण जनपद सूखे की चपेट में बर्बाद हो चुका है, किसानों की सारी फसल सूख कर बर्बाद हो चुकी है। बहुत से गाँव में पीने के पानी के कुएं भी सूख गये हैं, पशुओं के पीने के लिए तालाब में भी पानी नहीं रह गया है। ग्रामों में बिजली भी नहीं दी जा रही है। बिजली के अभाव से तमाम पम्पिंग सेटों तथा राजकीय नलकूप बन्द पड़े हैं। सम्पूर्ण जिले में सूखे तथा बिजली के अभाव से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी दशा में सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र युद्ध स्तर पर इस ओर तत्काल उचित कार्यवाही करने के लिए आदेश दें।

प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज बाजार में श्री भैरोदीन के यहां पड़ी डकैती की जांच सी०आई०डी० द्वारा कराए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, आपका ध्यान प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत रानीगंज बाजार मे दिनाँक 3–4 अगस्त, 1979 ई0 की रात में भैरों दीन गुप्त के यहाँ हुई अभूतपूर्व डकेती एवं आश्चयमयी हत्या की ओर आकृष्ट करता हूं। दिनाँक 3–4 अगस्त की रात में कथित गृहस्वामी के पुत्र सुभाष की बदमाशों ने चाकू छुरे से प्रहार करके नृशंस हत्या कर डाली। अनेक परिवार के सदस्यों को मार कर घायल कर दिया और सम्पूर्ण आभूषण धन एव वस्त्र लूट लिया किन्तु आश्चर्य इस बात का है कि न गोली चली और शोर हुआ। जनता में पूर्ण आतंक व्याप्त है। वह सही बदमाशों की गिरफ्तारी की प्रतीक्षा कर रही है। जनता का कथन है कि बदमाश स्थानीय हैं तथा काँड पूर्व नियोजित है। स्थानीय पुलिस जानकारी रखते हुए भी कुछ बिशेष कारणों से गिरफ्तारी करने तथा निष्पक्ष विवेचना करने में अपने को अक्षम अनुभव कर रही है।

अस्तु श्रीमन्, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर मैं माँग करता हूं कि सी0 आई0 डी0 जाँच तुरन्त बैठाई जाय जिससे कि सत्य उभर कर प्रकाश में आ जाय साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को और सक्रिय होने का निर्देश दिया जाय। मृतक के परिवार वालों को सरकार अनुताष दे और सम्बन्धित स्थानीय अपराधियों एवं गुन्डों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर कार्यवाही करे जिससे कि गिरता हुआ जनता का मनोबल ऊंचा हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है और सी0 आई0 डी0 द्वारा इसकी विवेचना इसकी छानबीन होना नितान्त आवश्यक है। आप इस पर वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

जाँच करा ली जायगी।

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें तथा आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शून्य प्रहर में मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की न्यायसंगत माँगों को शासन द्वारा निरन्तर उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। सतत उपेक्षा के कारण उन्हें मजबूरन आन्दोलन की राह पकड़नी पड़ी है। कल से उनके प्रतिनिधि माननीय शिक्षा मंत्री के निवास पर धरना दे रहे हैं।

उनकी माँगें हैं कि शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों के अध्यापकों के हित लाभ सम्बन्धी विषमता को दूर करने का आश्वासन पूरा किया जाय। प्रत्येक पहली तारीख को वेतन मिलने की गारन्टी हो। भविष्य निधि की रख-रखाव की व्यवस्था ठीक की जाय। विद्यालयों को मान्यता एवं सहायता साथ ही साथ दी जाय। विज्ञान प्रदर्शकों के वेतन निर्धारण की विसंगतियाँ दूर हों। इन्टर कक्षाओं की क्राफ्ट, संगीत, व्यायाम, कला, वाणिज्य पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रवक्ता क्रम दिया जाय। शिक्षकों के वोर्डों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाय तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू किया जाय आदि।

मान्यवर, माँग न्याय संगत है। शासन द्वारा समय-समय पर आश्वासन देने के बाद भी उनका कार्यान्वियन न करने से असन्तोष निरन्तर बढ़ रहा है। आशावान हूं कि शासन माँगों के कार्यान्वियन हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायेगा तथा शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता करके कोई समाधान कारक एवं सम्मानपूर्ण समझौता करने की पहल की जायेगी जिससे कि परिस्थिति सामान्य बन सके।

देवरिया जिले के उत्तरांचल में बड़ी गण्डक नदी में भीषण बाढ़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जिले के उत्तरान्चल में बड़ी गंडक नदी की भीषण बाढ़ से विकास खंड खड्डा के 28 गाँव जलमग्न हो गये हैं, लोग पानी में तथा छप्परों पर खड़-खड़े अपने संकट के दिन काट रहे हैं। 24-7-79 को प्रथम बार बड़ी गंडक नदी का पानी खतरे का बिन्दु पार कर गया। इसकी सूचना जिलाधिकारी को वायरलेस से मिली। दूसरी बार 22-8-79 को पानी पुनः खतरे का बिन्दु पार किया। इसकी भी सूचना शासन को मिली परन्तु अब तक वहाँ कोई राहत कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। सरकार ने एक दाना अन्न, एक माचिस तथा एक छटाँक मिट्टी का तेल भी नहीं दिया है। साथ ही साथ बिहार बाँध पर बड़ी गंडक (नारायणी) नदी का भीषण प्रहार हो रहा है। और अब बंध ध्वस्त होने ही वाला है। बंध के ध्वस्त होते ही हाटा तथा पडरौना तहसील पूरा का पूरा जलमग्न हो जायेगा और सारी फसलें पानी में डूब कर बर्बाद हो जायेंगी तथा माल मवेशियों के डूब मरने की भीषण आशंका बनी हुयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीनारायण]

पूरे क्षेत्र में भय और आतंक व्याप्त हो गया है। सरकार उदासीन है। सरकार की इस उदासीनता से लोगों में भीषण रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से यह माँग करता हूं कि वह अविलम्ब लोगों को राहत पहुंचाने, खाने को अन्न, पहनने के लिए वस्त्र तथा रहने के लिए आवास की व्यवस्था करे तथा बिहार सरकार से तत्काल बिहार बंध ध्वस्त होने से बचाने की व्यवस्था करने का आग्रह करें।

सदन का विघटन न किए जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत दिए गए प्रस्ताव को लिए जाने की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है और वह यह है कि मैंने भी नियम 103 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी मंशा यह है कि जब तक यह सदन प्रस्ताव न करे तब तक सदन का विघटन न किया जाय। मुझे माननीय नारायणदत्त तिवारी और मुख्य मंत्री की साजिश नजर आती है। जब सभी लोग चाहते हैं तो उसको सर्व सम्मति से पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 103 में जो सूचना आपने मेरे पास भेजी है, जब मैं उसकी स्वीकृति दूंगा और घोषणा करूंगा तभी वह कार्य-मंत्रणा समिति के सामने आयेगी। यह तो सदन की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, उसकी कार्य-मंत्रणा समिति में लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैं उसकी ग्राह्यता तय करूंगा।

जनता पार्टी के नामकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित किया था जिसमें आपने कल निर्देश दिया था कि उसे आप आज लेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के चतुर्थ संस्करण के पृष्ठ 47 पर दी हुयी धारा 203 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने अपने औचित्य के प्रश्न में इस बात को उठाया है कि माननीय मुख्य मंत्री को जनता विधान मंडल या जनता पार्टी के नाम के प्रयोग का कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं है। वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया है कि उनका सम्बन्ध श्री राजनारायण की अध्यक्षता वाली जनता (एस) से है हालाँकि उन्होंने कहा है कि वहाँ (एस) शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में ही होता है। मेरी उस पर कोई आपति नहीं है लेकिन आप इस पैरा 203 को देखें। इसमें कहा गया है कि "उन्हीं" दलों और समुदायों को मान्यता दी जायगी जिनके सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में समानता हो और उन्हीं सिद्धान्तों और कार्यक्रमों की घोषणा करके वे निर्वाचन लड़े हों।

मान्यवर, जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र है, उसका अपना एक चुनाव निशान है और उसका एक रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में हुआ है। इसी करण के सब क्लाज (2) में लिखा है— "(2) उनके कार्यक्रम सदन के अन्दर और बाहर भी रहें"। उनका एक संगठन रहे और वह सदन के अन्दर और बाहर अपने सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यरत रहे। जनता पार्टी वही जनता पार्टी है जिसके अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर हैं। इलैक्शन सिम्बल (रिजर्वेशन एन्ड एलाटमेंट) आर्डर 1968 में पृष्ठ 429 पर पैराग्राफ 2 के सब पैराग्राफ (एच) में साफ लिखा है—

"Political Party" means an association or body of individual citizens of India registered with the Commission as a Political Party under Paragraph 3 and includes a Political Party deemed to be registered with the Commission under the Proviso to sub-paragraph (2) of that paragraph ;"

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या आपने इस पर विवाद की आज्ञा दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है जिसकी सूचना उन्होंने कई दिन पूर्व मुझे दी थी। मैंने उनको सुनना मुनासिब समझा। मैंने उनको आज्ञा दी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

औचित्य का प्रश्न तो विधान सभा की किसी कार्यवाही से संबंधित होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको सुनने का मौका दिया है। यह नियमानुसार है।

तिवारी जी, अब आप अपनी बात कह चुके हैं। मैं इस पर अपना निर्णय बाद में दूंगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मेरा निवेदन है कि मैंने जिस आर्डर का अभी हवाला दिया है तथा समय-समय पर जो आपकी पीठ से निर्णय हुये हैं उनका हवाला दिया है उन सब को देखते हुये उनको जनता पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, अगर वे जनता (एस) का नाम रखते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल जो मने व्यवस्था दी थी वह केवल सदन की कार्यवाही की सुविधा के लिये थी, उनकी पार्टी को मैंने नाम नहीं दिया था, वह केवल कार्य की सुविधा के लिये ही था।

सदन का विघटन न किए जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत दिए गए प्रस्ताव को लिए जाने की मांग (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

नियम 103 के अन्तर्गत हमारी भी सूचना थी, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने भी रखा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कह दिया है, उसको मैंने समाप्त कर दिया, उस पर अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, हमारे ऊपर एक साजिश का आरोप लगाया गया था, तो आप उसे खत्म न करें, माननीय मुख्य मंत्री जी की राय पूछ लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

यह तो कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

ग्राह्यता तय करने का काम अध्यक्ष का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वही तो मैं कह रहा हूं कि ग्राह्यता आप तय कर दीजिए, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके ऊपर तो मैं निर्णय लूंगा।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1977-78†

ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री दीनानाथ सेवक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 29 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1979††

परिवहन राज्य मंत्री (श्री उदय नाथ)—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 631–टी। तीस–4–17 पी–77, दिनांक 8 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (बाईसवां संशोधन) नियमावली, 1979††

परिवहन राज्य मंत्री (श्री उदय नाथ)—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 723–टी/तीस–4–38 पी–67, दिनांक 10 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (बाईसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1978††

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 113/8–73–रा–8, दिनांक 27 अक्तूबर, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1979††

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 162/2–1 (2)/78–रा–1–उ0 प्र0–अधि0–1–1951–नियम–1952–संशोधन (12)–79, दिनांक 8 फरवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1979 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष 1979–80†

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री विष्णु प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम तथा द्वितीय) वर्ष 1979–80 की इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 तथा उसके सम्बन्ध में जारी किए गए शुद्धि-पत्र‡

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0 आर0 530/दस–500 (82)–75, दिनांक 30 जनवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 तथा उसके संबंध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या एस0 आर0–2362/दस–500 (82)–75, दिनांक 1 जून, 1979, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979††

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस0 आर0 2663/दस–500 (II)–77, दिनांक 28 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 क साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1979††

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री उदय नाथ)—

मान्यवर, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 74 (जी0 आई0) टी/तीस–4–9 (I) पी–77, दिनांक 23 जून, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1979 को संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की धारा 20 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां††

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 30 जून, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–5023/दस–6 (12)–79-उ0 प्र0 अधि0 15/48 आदेश–79, दिनांक 30 जून, 1979 एवं .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप आइटम नं0 12 भी पढ़ दीजिये।

श्री मधुकर दिघे—

विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2–5024/दस–6 (12)–79–उ0 प्र0 अधि0 15/48 आदेश, 79, दिनांक 30 जून, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 30 जून, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–3846/दस–6–(I)–79 उ0 प्र0 अधि0 15/48 आदेश-79, दिनांक 30जून, 1979 को उत्तर प्रदश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3 की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

‡ छापी नहीं गयी।
†† छापी नहीं गयी।

ग्राम दुर्ग जोत, थाना मेंहदावल, जिला बस्ती में घटी घटनाओं के सम्बन्ध में एक-सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन†

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

23 जनवरी, 1973 को ग्राम दुर्गजोत, थाना मेंहदावल, जिला बस्ती में घटनाओं के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जाँच आयोग के प्रतिवेदन को ज्ञापन सहित कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

ग्राम नोनारी तथा ग्राम सजनी, आजमगढ़ में हुई घटनाओं की एक-सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन†

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

नवम्बर, 1972 में ग्राम नोनारी, थाना सराय मीर, आजमगढ़ तथा दिसम्बर, 1972 में ग्राम सजनी, थाना अहरौला, आजमगढ़ में हुई घटनाओं की सम्पूर्ण श्रंखलाओं के विषय में एक सदस्यीय जाँच आयोग क प्रतिवेदन को ज्ञापन सहित कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3942 सं0/सत्रह-78-275-सं0-69, दिनांक 31 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 जो दिनांक 8 मार्च, 1979 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, से संबंधित शुद्धि-पत्र अधिसूचना संख्या 2549 सं/17-79-275 सं/68, दिनांक 4 मई, 1979 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति (1979-80) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री रघुबर दयाल वर्मा (ज़िला आगरा)--

मैं, श्री रघुबर दयाल वर्मा, सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति (1979-80) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

फैजाबाद की तहसील टांडा के ग्राम भारीडीहा के पूरब थिरुआ नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से फैजाबाद की टाण्डा तहसील, ग्राम भारीडीहा के पूरब थिरूआ नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री जयश्री प्रसाद यादव ग्राम भारीडीहा पोस्ट खजौवा, जिला फैजाबाद तथा श्री राम कुमार सिंह, ग्राम टीकम पारा, पोस्ट अशरफपुर बरवा, जिला फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

फैजाबाद सदर तहसील में सरयू नदी के शेरवां घाट के पास कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से फैजाबाद सदर तहसील में सरयू नदी के शेरवां घाट में, सरयू नदी के बढ़ते हुए कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामहेत सिंह, प्रधानाचार्य एम0 एल0 इण्टर कालेज, फैजाबाद तथा श्री सैयद शबीब अहमद, ग्राम व पोस्ट ऊंचा गांव, फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

छापी नहीं गयी।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, अकबरपुर के लाइसेन्स के नवीनीकरण तथा फैजाबाद में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के लाइसेन्स का नवीनीकरण और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में लगाई जाने वाली प्रस्तावित चीनी मिलों में से एक फैजाबाद जनपद में लगाने के सम्बन्ध में श्री नरसिंह नारायण वकील, ग्राम तरैय, पोस्ट लालमनपुर, फैजाबाद तथा श्री सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी, ग्राम भारीडीहा पोस्ट खजाँवा फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

फैजाबाद में तिवारीपुर–नन्सा बाजार सड़क को पक्की करने तथा मड़हा (तमसा) नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर–नन्सा बाजार रोड को जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करके पक्की कराने और अकबरपुर में मड़हा (तमसा) नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द बहादुर तिवारी तथा श्री फतेह बहादुर तिवारी ग्राम छीतन पट्टी, पोस्ट मिझौड़ा, फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

फैजाबाद में विकवाजीतपुर–भगोला–महरुआ रोड पक्की करने एवं मड़हा (तमसा) तथा विसुड़ी नदियों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में विकवाजीतपुर भगोला–महरूआ रोड को जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करके पक्की कराने एवं उक्त सड़क पर मड़हा (तमसा) तथा विसुड़ी नदियों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री शीतला प्रसाद तिवारी, एडवोकेट, ग्राम बहरी, पोस्ट नरहरपुर, फैजाबाद तथा श्री अनिल तिवारी एडवोकेट, ग्राम भगोला, सोनाँक, फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

दिनांक 3 मई, 1979 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

दिनाँक 3 मई, 1979 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में श्री मैनेजर सिंह के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु स्वास्थ्य मन्त्री शोधन वक्तव्य देंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आइटम नं0 24 नहीं लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आज इसमें कोई नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने तो कल दिया था, आपने कहा मैं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो पूछा गया है। अब आज जायेगा तब ले लूंगा।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री विष्णु प्रताप सिंह)—

जी हाँ, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों के स्थायीकरण का मसला काफी समय से शासन के विचाराधीन है। चूंकि परिवार कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना है और इस योजना का समस्त व्यय-भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः इन पदों को स्थायी किए जाने के फलस्वरूप पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि पर होने वाले व्यय-भार को वहन करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है। भारत सरकार का उत्तर प्राप्त हो जाने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बजट पर भारित मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारियों के अस्थाई पदों को स्थायी किए जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है। अभी कोई निश्चित समय बता पाना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी, आपने नत्थी 'ग' का संलग्नक पढ़ दिया, यह ठीक नहीं है....

भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री सत्य प्रकाश मालवीय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, विधान परिषद् के सदस्य सर्वश्री ब्रह्म दत्त तथा रमेश सिन्हा द्वारा विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 223 के अन्तर्गत भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय के कार्यकाल में उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में आपके माननीय पूर्वाधिकारी के आदेश पर, जिन्होंने उसे अस्वीकृत कर दिया था, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान परिषद् में 26 सितम्बर, 1977 को मेरे पूर्व मन्त्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 20 सितम्बर, 1977 को उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसका आधार नगर महापालिका कर्मचारियों का प्रस्ताव तथा 20 सितम्बर, 1977 का रेडियोग्राम था। उन्होंने यह भी सूचित किया था कि उनको किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा गलत सूचना नहीं दी गयी थी। अतएव मेरा अनुरोध है कि अब इस मामले को समाप्त किया जाय।

दिनांक 3 मई, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, आपको नत्थी "ग" पढ़ना चाहिए था। आप नत्थी "ग" को पढ़ें।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री विष्णु प्रताप सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 3 मई, 1979 को श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में श्री मैनेजर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मेरा स्पष्ट प्रश्न है, मन्त्री जी बतावें कि वे केन्द्रीय कर्मचारी हैं या केन्द्र पोषित योजना में प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। केवल यह उत्तर दीजिए कि केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "उन लोगों को जो पुरोनिधानित योजना के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जिनका पूरा पैसा दे रही है उनको राज्य सरकार ने अपना कर्मचारी नहीं माना है उनको केन्द्र सरकार का कर्मचारी माना है इसी आधार पर केन्द्र सरकार से माँग कर रही है कि उनके सारे दायित्वों का वह वहन करे।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—

"केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिर्धारित योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी जिनका पूरा व्यय भारत सरकार वहन करती है वे भी राज्य सरकार के ही कर्मचारी हैं। भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित परिवार कल्याण योजना का शत प्रतिशत व्यय जब तक भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है तब तक के लिए इन कर्मचारियों के स्थायीकरण के फलस्वरूप पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि पर होने वाले व्यय को भी भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाय।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 281 पर)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

उप मुख्य मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनाँक 21 अगस्त, 1978, दिनाँक 7 दिसम्बर, 1978 और पुनः दिनाँक 22 मई, 1979 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्ष 1979 के मानसून सत्र के अन्तिम दिन तक है;

और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिनाँक 29 फरवरी, 1980 तक के लिए बढ़ाया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनाँक 21 अगस्त, 1978, दिनाँक 7 दिसम्बर, 1978 और पुनः दिनाँक 22 मई, 1979 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्ष 1979 के मानसून सत्र के अन्तिम दिन तक है,

और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिनाँक 29 फरवरी, 1980 तक के लिए बढ़ाया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम 56 के अन्तर्गत आज दो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। पहली श्री मित्रसेन और श्री राम आसरे वर्मा की है जिसमे दिनाँक 18—19 अगस्त की रात को लखनऊ

[श्री उपाध्यक्ष]

जिले के थाना इटौंजा के ग्राम चतुराबाग में पुलिस और कथित डकैतों की मुठभेड़ में 5 व्यक्तियों की मृत्यु से व्याप्त असन्तोष के कारण थाना घेरने की व्यापक तैयारी। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया।

दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीमती मालती शर्मा और श्री राघव राम मिश्र की प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा बाजार में उनके अनुपलब्ध होने से जनता में असन्तोष के सम्बन्ध में है। इसको भी मैंने अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, इसमें ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 52 में राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना को मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मुझे भी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई महत्व की बात नहीं है। इसलिए आप बैठें।

श्री मित्र सेन—

इससे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 4 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन में आपने दिया है इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री मित्र सेन—

ग्राह्यता पर आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

सुनने की आवश्यकता नहीं है। शासन को मैं भेज दूंगा। कार्य-स्थगन में इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उपभोक्ता वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ 6 व्यक्तियों के एक परिवार में केन्द्र सरकार के बजट आनेके बाद 125 रुपए प्रति माह की वृद्धि हो गई है। वनस्पति घी के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। सबसे गम्भीर बात यह है कि सरकार ने घोषणा की थी कि उपभोक्ता वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो हजारों दुकानें खोली जायेंगी उनसे उपलब्ध होंगी। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक एक भी दुकान नहीं खुली है और जो दुकाने खुली थीं उन पर भी सामान नहीं है और उनसे कहा गया कि बाजार से लेकर दुकानों पर बेचें। परिस्थिति यह है कि लोगों ने गोदामों में सामान दाब लिया है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे 'उपभोक्ता वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें। इसलिए यह विषय तात्कालिक महत्व का है अतः आग्रह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसको आप स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के कतिपय जिलों में सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-मन्त्रणा समिति ने जो समय इस पर निश्चित किया है, ढाई घंटे तो यह समस्या पूरे प्रदेश की है इसलिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसको मैं बढ़ा दूंगा लेकिन 5 बजे सप्लीमेन्टरी बजट पेश होगा तो उतने समय के लिए इस बहस को स्थगित करके आवश्यकतानुसार चलाया जायेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह 11 अगस्त को नियमानुसार मैंने सूखे पर चर्चा के सम्बन्ध में लिखकर दिया था। तो उस समय इस प्रदेश में केवल 10 जिलों में सूखे की स्थिति थी और अन्दाजा यह था कि उन 10 जिलों में 22 करोड़ रुपए की फसल किसानों की बरबाद हो चुकी थी।

श्रीमन्, जैसे-जैसे समय बढ़ता गया सूखे का प्रभाव इस प्रदेश के अन्य अंचलों को भी ग्रसित करता गया और आज स्थिति यह है कि सम्पूर्ण प्रदेश सूखे की चपेट में है। आज इस प्रदेश का कोई भी अंचल सूखे से बचा नहीं है। 56 जिलों में से 50 जिले हमारे सूखा ग्रस्त हैं। 5-6 जिले जो पर्वतीय अंचल के हैं वहाँ जो खाद्यान्न पैदा होता है वह इतना कम पैदा होता है कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें सूखे के साथ-साथ आज हमने जोड़ दिया है अन्य दैवी आपदायें, जिसमें बाढ़, भू-स्खलन भी आ जायेगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

वही मैं कह रहा हूं। बाकी में से तीन पर्वतीय जिले हमारे भू-स्खलन से प्रभावित हैं। वहाँ पर 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है श्रीमन्, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। हजारों जानवर वहाँ पानी में बह गये, कई लाख की फसल बरबाद हो गयी।

जब सूखे की यह स्थिति हमारे प्रदेश में धीरे-धीरे बढ़ने लगी तो पानी उपलब्ध न होने के कारण हमारा किसान अपनी जमीन पर कुछ नहीं बो सका। जो भी फसल बोई गयी थी वह सारी सूख रही है कुछ तो सूख गयी है। अरबों रुपयों का नुकसान किसानों का इस प्रदेश में हो चुका है। श्रीमन्, मैं तो साफ कहता हूं कि यह स्थिति बचाई जा सकती थी अगर सरकार सतर्क रहती। किसानों की फसल को बचाया जा सकता था। श्रीमन्, आपसी लड़ाई में यह सरकार इतनी व्यस्त रही कि किसानों की तरफ इसका ध्यान ही नहीं जा सका। ध्यान गया होता तो उन्हें बिजली मिली होती। हम सब जानते हैं कि किसानों को पहले ही मार पड़ी थी जब गन्ना बोया था, जब आलू बोया था और आज जब धान बोने का समय आया तो क्या हुआ, बिजली बन्द रही। रात में बिजली कभी-कभी आती थी। कोई रोस्टरिंग नहीं, किसानों को पता नहीं चलता था कि बिजली कब आई और कब चली गयी। किसान अपने खेत में पहुंचा तो बिजली बन्द हो जाती थी। एक आँख मिचौनी का खेल बिजली विभाग का चलता रहा। किसान के भाग्य के साथ खिलवाड़ चलता रहा। बिजली विभाग की इतनी लापरवाही कभी देखने को नहीं मिली है। मैं तो कहूंगा जितने नलकूप थे, 15,000 नलकूप हमारे प्रदेश में हैं, इन्हें बिजली दी गयी होती तो इस स्थिति से निबटा जा सकता था लेकिन इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरी बात जो पम्प सेट डीजल के हमारे प्रदेश में है डीजल की कमी के कारण से किसानों के घरों में बेकार पड़े हैं। आज भी डीजल न मिलने के कारण वे बेकार पड़े हैं। यदि डीजल की व्यवस्था की जाय तो. . . .

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देव बहादुर सिंह जी ने कल रिश्ता बनाया था आज टूट गया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—

रिश्ते टूटते जुड़ते रहते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

हमारी पार्टी का लक्ष्य तो रचनात्मक सहयोग और रचनात्मक आलोचना रहा है।

आज स्थिति यह है कि तीन चार रुपए लीटर डीजल बाजार में बिक रहा है उसे नियन्त्रित करने की कोई कोशिश नहीं की गयी है जिससे किसान उसका उपयोग कर सकें।

हमारी जो नहरें हैं जलाशय हैं, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं की जाती जिसमें पानी किसानों को उपलब्ध हो सके जिससे वे अपनी धान की फसल बो सके। मैं सीधे सरकार पर चार्ज कर रहा हूं कि उसकी अकर्मण्यता से ही सूखे की स्थिति को नहीं बचाया जा सका। दूसरी बात किसानों की हालत आज क्या है ? श्रीमन्, जो भी उनके घर में था वह सब. .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

देव बहादुर सिंह जी, आप चार्ज कर रहे हैं कल डिस्चार्ज कर दिए होते तो अच्छा होता.....

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, यह देखा गया है कि किसानों ने जो उनकी सारी पूंजी थी, उसको खेत में लगा दिया है। केवल यही नहीं, बैंकों से और सहकारी समितियों से भी रुपए लेकर खेतों म लगा दिया और आज यह स्थिति है कि उसके पास एक पैसा नहीं है और न खेतों से ही कोई आशा है। पूंजी अलग समाप्त हुई और जो बैंकों से पैसा लिया, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। किसानों की पूरी स्थिति इस समय अकाल की स्थिति हो गयी है। उससे निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर प्रयास करें जिससे प्रदेश की जनता की रक्षा हो सके।

मान्यवर, हमने अखबारों में पढ़ा कि सवा तीन एकड़ तक कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है। सवा छः एकड़ वाली बात कि आधी की जाय या पूरी वसूली की जाय, वह अलग है। केवल राहत कार्यों से किसानों का भला होने वाला नहीं। अकाल की स्थिति में यह भी देखना है कि उसकी आगे की फसल अच्छी हो। आज केवल यही नहीं देखना कि उसकी फसल बर्बाद हुई है। यह भी देखना है कि रबी की फसल के लिए कौन सी व्यवस्था कर सकते है। केवल यही नहीं, कि उसकी खरीफ की फसल मारी गयी। रबी की फसल भी संकट में पड़ गयी है। सरकार को इस संकट के लिए भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा। मान्यवर, पिछले चालीस वर्षों में इस तरह का सूखा देखने को नहीं मिला। अब दिन प्रति दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार शीघ्र यह बतलाएं कि सूखे से राहत के लिए क्या व्यवस्था की गयी है।

इसी के साथ कुछ सुझाव की बात भी है। मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो राहत कार्यों के लिए गल्ला भेजा जाता है। टेस्ट वर्क चलाए जाते है। लेकिन देखा यह गया है कि सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और अधिकारीगण उस सारे पैसे को खा जाते हैं। तो केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। जो भी राहत कार्य हों, उसमें जन प्रतिनिधियों का सहयोग लें। तभी उसका पूरा सदुपयोग हो सकेगा। यह जो मन्त्रियों की फौज है उनको कुछ जिले बाँट दिए जायं। दो-दो/चार-चार जिले मन्त्रियों के पास हों और वे देखें कि जो राहत कार्य है वह उचित प्रकार से चल रहा है कि नहीं। जिनको मिलना चाहिए, उनको वह सहायता मिल रही है कि नहीं। पिछले दिनों, मान्यवर, जब बाढ़ आई, दुर्भिक्ष पड़े, दैवी आपदायें आयीं, उस समय जो राहत की चीजें दी गयीं, वे जिनके हाथों में जाना चाहिए था, उन हाथों में नहीं पहुंचीं। अधिकारीगण उनको खा गए। तो इस तरह से प्रदेश की जनता

की सहायता नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार सतर्क हो जाय और जितने भी माननीय सदस्य हैं—चाहे इधर के हों या उधर के हों, इस सूखे से लड़ने के लिए सहयोग करें और सब मिलकर सरकार की सहायता करें क्योंकि यह सामूहिक काम है। एक अच्छा काम है।

इन शब्दों के साथ आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उनके इसके बारे में कुछ सुझाव आएं, कुछ सरकार के सुझाव आयें और तब कुछ रचनात्मक कदम उठाए जायं।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

अब तक की परम्परा यह रही है कि जब कभी ऐसे गम्भीर विषय आए तो सरकार की तरफ से फैक्ट्स ऐण्ड फिगर्स के साथ एक स्टेटमेन्ट दिया जाता है कि इतना काम सरकार ने किया है और जितना और करने की सोच रहे हैं कंटिजेंसी फण्ड वगैरह से। मैं नहीं जानता कि इस तरह का कोई विस्तृत विवरण दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं आया है। लेकिन आना चाहिए था। मैं इसको बिल्कुल मुनासिब समझता हूं। माननीय राजस्व मन्त्री इसको प्रकाशित करवा कर इस बहस के दौरान ही यहाँ देने की व्यवस्था करा देंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

इस पर चर्चा करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा तो चल ही रही है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जितना दुख मुझे इस बात का है कि विवरण नहीं आया इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि आपने इनको इतनी छूट दे दी है कि यह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप इनको लज्जित क्यों नहीं करते कि इनको तैयारी करके आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कोई छूट नहीं दी है। इनको स्वयं ही सोचना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दिनाँक 27 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह कार्यक्रम निश्चित हुआ। माननीय देव बहादुर जी के सूखा के ऊपर प्रस्ताव पर ढाई घण्टे की बहस होने के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 27 तारीख को सरकार को मालूम हो गया कि सदन में सूखा के ऊपर ढाई घंटे की बहस होगी लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई विवरण नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उनको निर्देश दे चुका हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

कोई विवरण ही नहीं है तो बहस किस चीज पर हो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं समझता हूं, सूखा पर बहस की कोई अहमियत नहीं है। आपकी सदारत में जब एक कार्यक्रम निश्चित हुआ था तो मैंने सादर अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश का किसान सूखा से पीड़ित है, किसान चिन्तित है इसलिए पहले दिन सूखा के ऊपर गम्भीरतापूर्वक और दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार होना चाहिए। लेकिन सत्ता के लोग और जो

[श्री मैनेजर सिंह]
पिछलग्गू है उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव के दौरान मौका मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने फैसला किया था तो यह मुनासिब नहीं कि उसकी चर्चा यहाँ पर करें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैनेजर सिंह ने एक बात उठाई पिछलगुवों की। उस पर दूसरों की बात भी सुन लें। मैनेजर सिंह जी को उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में इतनी ही चिन्ता थी तो कल अविश्वास का प्रस्ताव वापस ले लेते ।

उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

पिछले साल बाढ़ की स्थिति भयंकर थी और तब प्रदेश की जनता उससे चिन्तित थी और इस साल सूखे की स्थिति है। मैं इसको मानता हूं कि यह सूखे की स्थिति, 66, 67, 72 तथा 74 में भी आई थी लेकिन उस समय दो जिलों अथवा चार जिलों में आई थी ज्यादा आई तो 15 जिलों में आई लेकिन इस दफा जो आई तो प्रदेश में कोई भी जिला सिवा 5, 6 पहाड़ी जिलों के कोई भी नहीं बचा। देव बहादुर सिंह जी ने कहा कि शुरू में उसकी जाँच या रखवाली की जाती तो सूखे की स्थिति में उतना नुकसान न होता। मैं इस सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि जुलाई के महीने में जो नार्मल रेन हो जाती थी आगरा, एटा, फर्रुखाबाद, कानपुर, अल्मोड़ा, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, टेहरी, बाराबंकी, बदाँयू में, वह नहीं हुआ बल्कि उससे भी कम 25 से 30 प्रतिशत तक ही हुआ। 17 जिलों में जहाँ नार्मल से भी कम वर्षा हुई वे जिले हैं बुलन्दशहर, अलीगढ़, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बाँदा, ललितपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, देहरादून, नैनीताल, रायबरेली, हरदोई तथा पिथौरागढ़। इसके बाद अगस्त में 18 जिले ऐसे हैं जहाँ बहुत कम वर्षा हुई है यानी 25 परसेंट से भी कम हुई। आखिरी अगस्त है और प्रदेश में 38 जिले हैं जहाँ कहीं भी बारिश नहीं हुई। हर जिले का चार्ट मेरे पास है माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं

(व्यवधान)

हर जिले में कितना नुकसान हुआ, कैसी फसल हुई उसके आँकड़े मेरे पास हैं, उसे माननीय सदस्य देख सकते हैं. . . . .

(व्यवधान)

इस वर्ष प्रारम्भ में मानसून देर से आया लेकिन जुलाई के तीसरे पखवारे में वर्षा होने से कई जिलों में काफी राहत नजर आई, कुछ जिलों में बाढ़ भी आई लेकिन अगस्त के आखिर तक प्रदेश के सभी मैदानी जिलों में वर्षा की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक रही और सभी जिले सूखे से प्रभावित रहे। इस आधार पर प्रदेश में 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका ह । यह स्थिति बनी रही तो धान की फसल को 30 परसेन्ट से 60 परसेन्ट तक हानि की सम्भावना तो है ही ज्वार, बाजरा, मक्का व गन्ना तथा दलहनी फसलों को भी 15 से 30 परसेंट तक की क्षति हो सकती है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आपने निर्देश दिए हैं कि मन्त्री जी इन फैक्ट्स को सबको उपलब्ध करा देंगे लेकिन वह पहले यह बतलायें कि सरकार की ओर से सूखे का मुकाबला करने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं। इस तरह से ढाई घंटे का समय तो ब्योरा बतलाने में ही लग जायगा फिर बहस क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो 7, 8 मिनट ही हुए हैं, वह यह भी बतला देंगे ।

श्री नारायण सिंह—

मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कितनी फसलें बोई गयीं और कितना नुकसान हुआ और यह भी बतलाऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, और क्या अब तक किया है। धान हमारे प्रदेश में 46 लाख 53 हजार हेक्टर में बोया गया है। उसका कुल सिंचित एरिया 9 लाख 82 हजार हेक्टर है। ज्वार 70 हजार हेक्टर में बोई गई है, मक्का 13 लाख 23 हजार हेक्टर में बोई गई है। उर्द 1 लाख 34 हजार हेक्टर में, मूंगफली 3 लाख 89 हजार हेक्टर में, अरहर 5 लाख 31 हजार हेक्टर में तथा गन्ना 14 लाख 56 हजार हेक्टर में बोया गया है और कुल सिंचित एरिया 11 लाख 18 हजार हेक्टर का होता है।

श्री रियासत हुसैन—

पिछले साल कितना धान बोया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनके पास पिछले साल के और तेरों साल के आँकड़े थोड़े ही होंगे। इस साल के वे बतायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

तभी तो इस साल की स्थिति का पता चल पाएगा।

श्री नारायण सिंह—

श्रीमन, यह कहना ठीक है कि वर्ष जुलाई और अगस्त में धान बोने के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं हो पायी इसलिए रोपाई का काम पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष कम हुआ और धान का पौधा पनप नहीं पाया है।

दिनाँक 11 जुलाई, 1979 को बेतार सन्देश द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं कि वे आपदा मैनुअल के अनुसार सूखे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ करें। इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हम इस विषय में सजग नहीं हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई कार्यवाही न की हो।

दिनाँक 8 अगस्त, 1979, 3 अगस्त, 1979 और 20 अगस्त, 1979 को पुन. विस्तृत निदेश भेजे गए कि जिला स्तर आदि पर सूखा कमेटियों की बैठकें बुलाई जायं और इस सम्बन्ध में सारी योजनाएं तैयार करने तथा कार्य संगठन सम्बन्धी कार्यवाही पूरी की जायं। रोस्टर के अनुसार तथा नहरों, ट्यूबवेलों को उनकी पूरी क्षमता से चलने की व्यवस्था स्थानीय विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके सुनिश्चित की जाय। ब्लाक स्तर पर अधिकारियों की टीमें गठित की जायं। कन्ट्रोल रजिस्टर रखा जाय और सिंचाई के साधनों में कोई कमी या त्रुटि के निराकरण का तुरन्त प्रबन्ध किया जाय।

मेरे पास हर साल के आँकड़े हैं। आप मुझे मौका दें, मैं आपको सब बता दूंगा। पानी की आवश्यकता और उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए सभी नहरें चलाई जा रही हैं। नहरों में जितना पानी है और जहाँ हम पानी दे सकते हैं वहाँ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पानी को समुद्र में डाल रहे हैं। नलकूप भी क्षमतानुसार चल रहे हैं। इस वर्ष जून में 154 व जुलाई में 161 नए सरकारी नलकूपों को बिजली के कनेक्शन दिए गए और 110 नलकूपों को पूर्ण करके विद्युत विभाग को बी0एल0 फार्म प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रदेश में 230 छोटी व 10 बड़ी पम्प नहरें भी अपनी क्षमतानुसार चलाई जा रही हैं। इन सभी निर्देशों व कार्यवाहियों के फलस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा अब तक अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की गयी है। पार साल वर्षा होने के कारण सिंचाई की अधिक जरूरत नहीं पड़ी थी। पार साल सिंचाई की आज तक इन दिनों जो जरूरत थी वह चाहे ट्यूबवेल से हो, नहर से हो या पम्पिंग से हो, हम दे पाए हैं। अब तक खरीफ का 8.50 लाख हेक्टर क्षेत्र

[श्री नारायण सिंह]

नहरों से और 2.30 लाख हेक्टर क्षेत्र ट्यूबवेलों से सींचा जा चुका है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 7.30 लाख व 2.00 लाख हेक्टर क्षेत्र सींचा गया था।

शासन कृषि कार्य हेतु यथेष्ठ मात्रा में विद्युत् आपूर्ति के लिए सजग है। पम्प नहरों को चौबीसों घंटे और रोस्टरिंग के अनुसार कृषि क्षेत्र में 12 घंटे बिजली की आपूर्ति किए जाने के निदेश भेज दिए गए हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से सदस्य यह कहेंगे कि मैं उनके जिलों में नहीं गया। कल ही बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा। यह सही है कि मैं सभी जिलों में नहीं जा सका लेकिन 10/15 जिलों में गया हूं। जहाँ-जहाँ मैं जा सकता था वहाँ गया. . . . .

(व्यवधान)

सुल्तानपुर गया, जौनपुर गया।

एक सदस्य—

पीने के पानी तक की बड़ी दिक्कत है।

श्री नारायण सिंह—

आपकी बात सच हो सकती है मैं सब जिलों की बात नहीं कह रहा हूं। जितना मुझे अवसर मिला अपनी ड्यूटी समझकर, अपना धर्म समझ कर मैंने किया चाहे उसमें मुझ से कुछ लापरवाही हो गयी हो लेकिन जो काम मेरे जिम्मे है, वह मैंने किया है।

बिजली के सिलसिले में मैं कह रहा था। बिजली की बहुत सी शिकायतें की गयी हमने कागज मंगा कर देखें, बहुत से किसानों से बात की किसी ने कहा तीन मिनट आई फिर नहीं आई, बहुत से लोगों ने कहा 12 घंटे नहीं आई या 8 घंटे आई तमाम प्रदेश में लोगों की शिकायत आई। जहाँ बिजली की सुविधा है हमने आदेश दे दिए हैं बिजली विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको कि प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाय बहुत सख्त तौर पर आदेश दिए गए हैं कि पहले काश्तकारों को बिजली दी जाय। उद्योगों के लिए भी बिजली दी जा रही है लेकिन उसके लिए समय निर्धारित करें और उसमें कटौती करें काश्तकारों को जितनी बिजली दी जा सकती है वह दी जाय। जो थोड़ी कठिनाई है जितनी चाहिए उतनी बिजली हमारे पास नहीं है अगर हमारे पास काफी बिजली होती तो यह दिक्कत न होती और फिर सूखे पर बहस भी न होती। जो किसान अपना ट्यूबवेल लगाना चाहे उसे तुरन्त बिजली दी जाय। कृषि कार्य हेतु यथेष्ठ मात्रा में विद्युत् आपूर्ति के लिए सजग है। पम्प नहरों को चौबीसों घंटे और रोस्टरिंग के अनुसार कृषि क्षेत्र में 12 घंटे बिजली की आपूर्ति किए जाने के निर्देश भेजे गए हैं, इस सन्दर्भ में शासन की कुछ सीमाएं अवश्य हैं। उदाहरणार्थ विद्युत् उत्पादन और प्रेषण में यदाकदा खराबियाँ पैदा होती हैं। कुछ सीमा तक औद्योगिक एवं दैनिक गृह कार्य हेतु बिजली की आपूर्ति अनिवार्य है। इन सभी सीमाओं के भीतर सरकार का पूरा प्रयत्न है कि कृषि कार्य हेतु बिजली की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक की जाय।

अप्रैल, 79 से जुलाई, 79 तक 6254 प्राइवेट ट्यूबवेलों और 295 सरकारी ट्यूबवेलों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। यह भी निदेश है कि नए विद्युत् कनेक्शन शीघ्रतापूर्वक कृषि कार्य हेतु दिए जायं।

शासन द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में श्रम विनियोजन सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सूखे से विशेष प्रभावित अंचलों में चल रही विभागीय योजनायें प्राथमिकता के आधार पर चलने दी जायं, आवश्यकतानुसार उन्हें और तीव्र गति से चलाया जाय।

रेवेन्यू विभाग जहाँ समझता है कि पानी की कमी हो गयी है और सूखा पड़ गया है वहाँ पर मजदूरी के बदले में अनाज की व्यवस्था करा सकता है। उसके लिए तमाम प्रदेश के

अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी नौबत न आने पाए जितना हो सके काम के बदले अनाज दिया जाय और इसमें कोई कमी न करी जाय।

श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)—

हमारे जनपद बलिया में न गत वर्ष कोई काम हुआ और न इस वर्ष हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मन्त्री जी बोल रहे हैं, बोलने दें।

श्री नारायण सिंह—

आपके जिले में कोई शिकायत हो तो उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरी नोटिस में इस चीज को लायेंगे तो मैं पूर्ण सहयोग करने के लिए अपने अधिकारियों से कहूंगा। जिन जिलों में यह योजनाएं चल रही हैं वहाँ यह चलाई जाय यह निर्देश दिए हैं सब जिलों में नहीं चल रही है।

इसके अतिरिक्त इसके बदले खाद्यान्न योजनाए चलाने हेतु भी निर्देश दिए गए हैं और इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उनसे स्पष्ट है कि जिलाधिकारीगण आवश्यकतानुसार ऐसी योजनायें चलाने के लिए यथोचित तैयारियाँ कर रहे हैं।

पीने के पानी की कमी और पशुओ के चारे की कमी के सम्बन्ध में आवश्यक योजनाएं तैयार रखने हेतु जिलाधिकारियों को पहले से ही निर्देश भेजे जा चुके हैं।

सूखाग्रस्त अंचलों में वन विभाग के क्षेत्रों में पशुओं को चराने के सम्बन्ध में भी निदेश जारी किए जा चुके हैं। कृषकों को कृषि देयों की वसूली में राहत दिए जाने हेतु निदेश प्रसारित किए गए हैं कि जिन ग्रामों में पचास प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है वहाँ 3 1/4 एकड़ तक की सीमा वाले कृषकों से कृषि देय की वसूली न की जाय तथा 3 1/4 एकड़ व 6 1/4 एकड़ की जोत सीमा के बीच के कृषकों के विरुद्ध कृषि देयों की वसूली में कोई उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय तथा इससे ऊपर की सीमा के काश्तकारों से वसूली यथानियम की जाय. .

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

कृषि देयों को जरा स्पष्ट कर दीजिए।

श्री नारायण सिंह—

जो ब्लाक्स से लिए हैं, लोन्स लिए हैं कृषि के वास्ते। मेरे पास प्रार्थना-पत्र आये हैं, यदि चाहते हैं तो स्टे कर दिया जाए या किश्त कर दी जाए. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

चौहान जी, आपको बाद में मौका मिलेगा, स्पष्टीकरण लेने के लिए।

श्री नारायण सिंह—

कृषि देयों का मतलब है जो जमीन के सिलसिले में किसान ने कहीं से भी यदि कोई कर्ज लिया हुआ है, तो वह है इसमें। जो बैंक से ट्रैक्टर आदि के लिए कर्ज लिया है, लगान या मालगुजारी आदि का देय है तो 50 फीसदी के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ऐसे कर्जों के बारे में भी कहा गया है कि उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी देय धनराशि रोक दी जाय। इसमें बैंकों का रुपया वह चाहे कोआपरेटिव, स्टेट बैंक या पंजाब नशनल बैंक का हो, जो कृषि क्षेत्र में लिया गया है और जो काश्तकारों ने लिया है, उसके सिलसिले में भी मैंने आदेश दो-तीन दिन पहले दिए हैं। इस किस्म के काश्तकार जो बैंकों का रुपया नहीं देंगे, उनके साथ कोई उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय, इस बात के आदेश किए गए हैं। जहाँ हो सके, उस कार्यवाही को वह रोके और यदि वह बिलकुल रोक नहीं सकते तो किश्तों में उसे देने की व्यवस्था करायें। यह भी किया गया है बाढ़ और सूखा से पीड़ित जिलों के जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार लम्बित कृषि देयों को सामान्य किश्तों

[श्री नारायण सिंह]
में देने के लिए आदेश दे सकते हैं और अगली फसल आने के समय तक भी कर सकते हैं एक जानकारी मैं और यहाँ देना चाहूंगा, 6 1/4 एकड़ मैंने जो कहा है, प्रदेश में 5 परसेंट किसान सवा छः एकड़ का किसान है और उसके ऊपर दूसरे हैं। मैंने यह भी किया है, भारत सरकार से यह प्रार्थना की है। पिछली बार भी किया था, तो उस समय उन्होंने कहा था बाढ़ आई हुई है, इसलिए उन्होंने बिना कीमत के दिया। इस बार प्रार्थना पर उन्होंने कहा यदि हम अन्न आपको देंगे तो कीमत लेकर देंगे, कीमत देकर हमें मिल सकता है। हम इसके लिए सोच रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो वह बहुत मंहगा हो जायगा। इसलिए मैं फिर सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं वह बिना किसी कीमत के कुछ अन्न अपने यहाँ से हमें मुफ्त में अवश्य दें। 20 हजार टन गेहूं हम चाहते हैं, तमाम प्रदेश में हमारे पास आ जाय। साथ ही साथ जैसा ट्यूबवेल के बारे में आपसे निवेदन किया, जहाँ कहीं ट्यूबवेल बनने हैं, उसके लिए सीमेन्ट और जिन चीजों की जरूरत है, और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से अल्म्युनियम वायर के लिए कोशिश कर रहे हैं, चूंकि बिजली के विषय में जिस वक्त मालूम किया कि बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने असमर्थता प्रकट की कि हमारे पास अल्म्युनियम वायर नहीं है। उसके लिए भारत सरकार को बहुत तेजी के साथ लिखा है और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जहाँ तक सम्भव हो कुछ काश्तकारों को बिजली दे सकें। वह प्रबन्ध कर रहे हैं।

आपका प्रदेश देश है, जब हम पहाड़ के इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पर जमीन खिसक जाती है और गाँव के गाँव तबाह हो रहे हैं। फसल का नुकसान हो रहा है। वहाँ पर दूसरे तरीके की समस्या है। वहाँ जो सहायता कर सकते है, कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर जो प्रयत्न कर सकते है, कर रहे है। कुछ दिनों पहले गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जिलों में नदियों का बढ़ने से बाढ़ का प्रकोप आया था। जहाँ तक सरकार कर सकती थी, कोशिश किया। मैं स्वयं मौके पर गया। हर तरह से प्रयत्नशील है। जो बाढ़ का, सूखे का इलाका है, सरकार पूरी सचेत है, काश्तकारों को मदद देने के लिए। अगर फसल बरबाद हो जायगी तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी और मजदूरी नहीं मिलेगी तो प्रदेश में त्राहि-त्राहि का वातावरण पैदा हो जायगा तो हमारे विपक्ष के नता जी ने जो बात कही कि तैयारी नहीं की, देखा नहीं गया, मैं फिर उनसे चाहूंगा कि वह प्रदेश के बारे में कहीं बतायें, मुझे सुझाव दें और सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है, मैं दावा नहीं करता हूं कि मेरी हर बात मुकम्मल है, मैं गलती नहीं करता गलती हो सकती है। लेकिन जो सुझाव दें, उनको हर तरह से पूरा करने के लिए मैं और मेरी सरकार प्रयत्नशील है। आप जो सुझाव देंगे, मैं विश्वास दिला सकता हूं, हम पूर्णतया कोशिश करेंगे कि जो कमियाँ हैं, उनको दूर कर सकें और इस प्रदेश की आम जनता और प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का हमारा प्रयत्न है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

एक मिनट, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। राजस्व मन्त्री जी की सरकार, वह यह बता दें, कि सूखे के कारण भूख से तड़प कर मौत होगी तो भूख से तड़प कर मौत, सरकार की परिभाषा में क्या कही जायगी, भूख से तड़प कर मौत किसको कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह खुद ही समझ लेंगे। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायण सिंह—

अगर आपको बहस करना है तो दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप कृपया बैठिए।

इस पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। तमाम जिलों की अपनी बातें कहनी हैं, तो पाँच मिनट समय काफी होगा। मैं यही मुनासिब समझता हूं। नेताओं को समय बढ़ा दिया जायगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मैं आपसे जानना चाहूंगा, साढ़े तीन बजे हैं, ढाई घंटे का डिबेट है। छः बजे तक डिबेट चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वैसे चलना चाहिए पाँच बजकर दस मिनट तक। लेकिन मैंने पहले कह दिया था कि अगर तमाम लोग बोलने से रह जाते हैं तो आवश्यकतानुसार समय बढ़ा दूंगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

सरकार की ओर से पहले विवरण आना चाहिए था। विवरण 3–25 पर आया है। इसके लिए आप ढाई घंटे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

विवरण अभी आया कहाँ है? सरकार क्या कर रही है इसका उत्तर उन्होंने दिया।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

3–25 पर शुरू किया और उसके बाद ढाई घंटा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय की जो बात है, तो आप चाहेंगे तो बढ़ा दिया।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह 2–50 से ही शुरू माना जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, नियम 52 के अन्तर्गत मैंने भी दिया था, परन्तु उसका उल्लेख नहीं है। मेरा भी सूखे के बारे में था।

श्री उपाध्यक्ष—

स्वीकार तो एक ही प्रस्ताव होगा। तिवारी जी, आप शुरू करें।

श्री रवीन्द नाथ तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में जिस तरह का सूखा है वह अभूतपूर्व है। इस प्रकार का सूखा आज तक के इतिहास में नहीं दिखाई दिया। सारे प्रदेश पर अकाल की काली छाया मंडरा रही है। यह सही है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस के लिए दैवी आपदाएं हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह मेरा आरोप है। राम नरेश यादव ने बिड़ला को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी सरकार बदलते ही बिड़ला को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली की मात्रा दुगुनी कर दी गयी। आज सारा प्रदेश सूखे की आग में झुलस रहा है। सी0 पी0आई0 के मित्र और काँग्रेस के लोग, प्रगतिशील और समाजवादी लोगों ने कल एक ऐसी सरकार का समर्थन किया था जिसने गरीबों के हक को मार कर बिड़ला को सस्ते दर पर बिजली देकर उसकी हिमायत की है। अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप अपनी सरकार पर (इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

हुए) दबाव डालो। जो दुगुनी बिजली बिड़ला को सस्ती दर पर दी गयी है उसको अविलम्ब काटकर सारी बिजली इस प्रदेश के किसानों की फसल को बचाने के लिए मोड़ दो। यह क्रोकोडाइल टियर्स, घड़ियाली आंसू ज्यादा दिन तक चेहरे पर नकाब के अन्दर नहीं रह सकेंगे। आप कुलक के हमदर्द हैं, पूंजीपतियों के हमदर्द हैं। आप पूंजीपतियों का समर्थन समाप्त करें, वर्ना आप अपने असली चेहरे को छिपा नहीं सकते हो। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह दैवी आपदा है। यह दैवी आपदा है इसमें हमारा हाथ नहीं है। हम इस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस सरकार को इतना तो जरूर करना चाहिए कि जो बिड़ला को सस्ती दर पर समझौते से अधिक बिजली दी गयी है उसको समाप्त करें और किसानों को बिजली उपलब्ध कराएं।

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, कम से कम पाँच मिनट में कुछ सूखा पर तो कुछ कहिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

अगर आप सोचते हैं कि सूखे पर नहीं कह रहा हूं. . . .

श्री मैनेजर सिंह--

आप बिड़ला के नाम से क्यों भड़कते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

मैनेजर सिंह जी, आप अनावश्यक आक्षेप न करें। तिवारी जी आप बैठें। इस समय मैं किसी दल की ओर से नहीं बल्कि पीठासीन व्यक्ति की हैसियत से हूं। मैनेजर सिंह, आप आरोप कर रहे हैं। यह अनुचित है।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं आक्षेप नहीं करता हूं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

आप उस गरिमा को मेन्टेन करें।

श्री अधिष्ठाता--

उनका 5 मिनट का समय अभी खत्म हो रहा है। मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जिनको मुझे निभाना है। तिवारी जी आपका 5 मिनट का समय समाप्त हो रहा है।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' के कुछ कहने पर।)

मुझे और लोग सलाह न दें।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप उस कुर्सी पर पीठासीन हों तो माननीय मैनेजर सिंह को यह चार्ज नहीं लगाना चाहिए जो वे लगा रहे हैं। इस समय आप किसी दल विशेष के सदस्य नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने (माननीय मैनेजर सिंह) कह दिया और मैंने उत्तर दे दिया। इसलिए आप बैठ जायं।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जब कभी संसदीय मर्यादाओं का हनन हुआ है, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है और माननीय भगौती सिंह को टाँग कर बाहर निकाला गया है तो मैं ही सदन में एक ऐसा सदस्य था जिसने उसका विरोध किया अब ये मेरे खड़े होने पर चिल्लाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी, अब आपका समय केवल 2 मिनट रह गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, बीच-बीच में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उस समय को भी मेरे समय में जोड़ दिया है, यह मेरे साथ इन्साफ़ नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इसको छोड़ दिया है वर्ना आपका समय समाप्त हो गया था।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, चूंकि समय बहुत कम रह गया है अतः मैं अपने चन्द सुझाव ही सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव यह है कि आपने जो बिजली के कारखाने को ज्यादा बिजली दी है, उसको न देकर उसे आप किसानों को इस आपातकाल में दीजिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप किसानों को डीजल देने का प्रबन्ध करें ताकि जहाँ पर बिजली से न चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं और पम्प सेट्स किसानों ने लगा रखे हैं, उन्हें चला सकें।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि ग्रामों में ट्यूबवेलों को नियमित और पूरी बिजली दी जाय। हमारे जिले में गोसाईगंज और मुहल्ला तथा अन्य फीडर्स जो हैं उन पर एक एक हफ्ते बिजली नहीं आती है और अगर आती भी है तो केवल 10-5 मिनट के लिए ही आती हैं। आपको अपनी नौकरशाही से सख्ती से निपटना होगा और उनको राष्ट्रीय अपराधी के रूप में लेना होगा जो इस आपातकाल में भी आड़े आते हैं।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जितने भी ट्यूबवेल्स खराब पड़े हुए हैं उनको तुरन्त ठीक कराया जाय और जो नये बने पड़े हैं और उनमें बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं उनको तुरन्त एनरजाइज कराया जाय। इस काम को सरकार द्वारा युद्धस्तर पर कराकर पूरा कराया जाय।

पाँचवाँ सुझाव मेरा यह है कि जिन जिलों में 50 प्रतिशत हानि हुयी है, उनको अकाल-ग्रस्त घोषित किया जाय और वहाँ पर हर प्रकार के राहत कार्य आरम्भ कराये जायं, सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवायी जायं, मजदूरों के लिए टेस्ट वर्क्स खुलवाये जायं ताकि जो बेरोजगार खेतिहर मजदूर हैं, उनको काम मिल सके और भुखमरी के कारण कोई मौत न हो सके।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि जिन ट्यूबवेलों की बिलों की अदायगी न करने के कारण, बिजली काट दी गयी है उनको तुरन्त कनेक्शन्स दिए जायं। बाद में भले ही आप कितनी ही सख्ती से उसे वसूल करें क्योंकि आज हमारे सामने एक राष्ट्रीय समस्या है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि शासन इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस सूखे की समस्या पर इसलिये सदन का बहुमूल्य समय लेना उचित समझा क्योंकि आम तौर से यह गलतफहमी है कि सूखे की विभीषिका केवल प्रदेश के मैदानी इलाकों तक ही सीमित है, पर्वतीय अंचलों में नहीं है। माननीय रियासत हुसैन साहब भी इसी गलतफहमी में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहाँ तो बारिश हो रही होगी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचलों में फसल एक माह

[श्री रामदत्त जोशी]

पूर्व बोयी जाती है और मैदानी इलाकों में एक माह बाद। पहाड़ों पर फसल काटी भी एक माह पूर्व जाती है फसल तैयार होने पर। इस प्रकार जिस माह में हमारे नैनीताल जिले में फसल बोयी गयी उस माह बारिश हुई ही नहीं। अगस्त के प्रथम सप्ताह तक पानी नहीं बरसा। खेतों में सूखा पड़ गया। सारी फसल नष्ट हो गयी। सदन को यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि पर्वतीय क्षेत्र खाद्यान्न के मामलों में वैसे ही डेफिसिट एरिया माने जाते हैं और वहाँ के किसानों के पास बीज तक के लिये खाद्यान्न नहीं बचता, उनको बाजार से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा नैनीताल में कुछ मैदानी क्षेत्र भी है। पूरा जिला सूखे की चपेट में आ गया है। उसे सूखा ग्रस्त घोषित करना चाहिये।

मान्यवर, यह सूखा और बाढ़ की विभीषिका दीर्घकाल से चली आ रही है। आज के वैज्ञानिक युग में भी इसका स्थायी हल नहीं निकाला जा सका है। इन्दिरा जी के शासन काल में खान अब्दुल गफ्फार खाँ भारत आये थे और उन्हें 4 माह तक भारत में घुमाया गया। यहाँ की प्रगति दिखायी गयी। उन्होंने सूखा और बाढ़ को भी देखा। उस समय कुछ छुट पुट साम्प्रदायिक दंगे भी हुये। उनको एक थैली भी भेंट की गयी थी। सरकार ने सोचा था कि उस बूढ़े बाबा से एक सार्टिफिकेट यहाँ की प्रगित के बार में ले लिया जाय। जब उनसे सार्टिफिकेट देने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि जिसमें देश में इतना पानी हो कि फसलें नष्ट हो जाती हों, आदमियों का जीवन उसके कारण समाप्त हो जाता हो, और वहीं दूसरी ओर सिंचाई की व्यवस्था न हो, खेतों को पानी न मिलता हो, आदमी को पीने के लिये पानी उपलब्ध न हो, तो यह क्या तरक्की है? उन्होंने इस कारण सार्टिफिकेट नहीं दिया। इसलिये मेरा निवेदन था कि इस सूखे और बाढ़ से निपटने के लिये कोई स्थायी और ठोस हल निकालना चाहिये। इसके लिये माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने जो अभी सुझाव दिये हैं उनका मैं भी समर्थन करता हूं उनको सरकार को मान लेना चाहिये। यही मुझे निवेदन करना था।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, सूखे और दैवी आपादाओं से आहत सारे प्रदेश की जनता अकाल की छाया के नीचे कराह रही है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश हर साल कभी सूखे का शिकार होता है, कभी बाढ़ का शिकार होता है और इसके संबंध में जैसा कि माननीय जोशी जी कह रहे थे, आजादी के पिछले 32 साल में भी हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके जिससे हम इस प्रदेश और देश की गरीब जनता को बचा सकें। मान्यवर, वक्त इतना कम है और इस समस्या के समाधान के संबंध में माननीय सदस्य बहुत चिंतित हैं और चिंतित होना स्वाभाविक है।

मान्यवर, इस देश में गंगा, यमुना, नर्वदा, और गोदावरी जैसी नदियों में जमीन के अन्दर अथाह पानी भरा है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से ऐसा भयंकर सूखा, जिस तरह की छाया में हम सब मान्यवर खड़े है, पिछले 30 वर्षों में ऐसा नहीं पड़ा है। इसके लिए आवश्यक है कि यह सरकार इस अकाल को बचाने के लिए, इस दुर्भिक्ष को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करे। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी योजनायें बनाई जायं जिससे हर साल हम यहाँ की आपदाओं को, यहाँ की जनता को, इस मुसीबत से बचा सकें। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशीय स्तर पर अगर योजना नहीं बनाते है, तो जिस तरह से पिछले तमाम वर्षों में हम सब जिस तरह रहे हैं, उसी तरह से करोड़ों रुपये हम राहत कार्यों में खर्च करेंगे और प्रदश और देश की तबाही से बचा नहीं सकते। जहाँ एक तरफ राहत कार्यों से जनता को बचाने में भरपूर कोशिश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे,उसी समय योजना विभाग के जरिये, सिंचाई विभा ग के जरिये इस बात की कोशिश भी करें कि भविष्य में हम इस विभीषिका से प्रदेश को कैसे बचा सकें। हमारे प्रदेश की 82-84 प्रतिशत जनता हर साल बाढ़ और सूखे से खेलती है। अगर बरसात अच्छी हुई, तब तो सूखी रोटी पेट भर मिल जाती है। लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। अभी माननीय तिवारी जी बिड़ला जी को सस्ती बिजली देने पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। हम उनकी भावना का आदर करते है और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक आप इस मुल्क के अन्दर समाजवादी सरकारों की स्थापना नहीं करेंगे, समाजवाद नहीं लायेंगे जब तक जनताकी गाढ़ी-कमाई का रुपया पूंजीपतियों की जेब में जाता रहेगा, तब तक न कोई आप योजना बना सकते है, न कोई विकास कर सकते हैं और न सूखे और बाढ़ से इस प्रदेश और जनता की जनता को बचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब यह सरकार कुछ प्रगतिशील कदम उठायेगी जिससे प्रदेश का कुछ भला हो सके।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड बुरी तरह से सूखे से प्रभावित है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सरकार के आँकड़ आ रहे हैं, जो जिलाधिकारियों की रिपोट आ रही है, वह गलत है। आप 50 प्रतिशत सूखे की बात करते हैं। इस वक्त मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80–82 प्रतिशत जिले इस सूखे से प्रभावित हो चुके हैं। हमारे बुन्देलखण्ड में पीने तक को पानी नहीं है। मैं गाँव के नाम बता सकता हूं जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए समय रहते अगर आप केवल अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित रहेंगे तो इस प्रदेश की जनता को दुर्भिक्ष से बचा नहीं सकते। कितने साधन आपके पास है, नलकूप है, आप उनको युद्ध स्तर पर संगठित करके उत्तर प्रदेश की जनता को दुर्भिक्ष से बचाइये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

कल भी मैंने साग्रह निवेदन किया था कि जो दिन-प्रति-दिन अकाल की काली दुर्भाग्यपूर्ण छाया प्रदेश और देश को ग्रसित कर रही है, उससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए। आज भी कृषि मंत्री से और सम्भवतः राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री भी उससे संबंधित हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि युद्ध स्तर पर उसकी योजना होनी चाहिए। माननीय देव बहादुर जी को बधाई देता हूं लेकिन मैं समझता था कि उनका लिखित वक्तव्य इस संबंध में आयेगा। अखबारों में बड़ी भयावह स्थिति सामने आ रही है। जिलों से जो दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं उनसे दिन प्रति दिन भयावह सूचनायें आ रही है। कल यहाँ पर मैंने एक सवाल पेश किया था। उस समय श्री नरेश चन्द्र जी, सत्तारुढ़ दल के हैं और किसान सम्मेलन के सचिव है, ने इसे विस्तार से बताया था कि क्या स्थिति आज हमारे प्रदेश की चल रही है।

हमारे माननीय सदस्य, रामदत्त जोशी जी ने, माननीय सदस्य, नैनीताल ने, बहुत उल्लेख किया पुरानी योजनाओं पर। श्रीमन्; योजनायें कैसी भी क्यों न हों उन्हें निरन्तरता क आधार पर देखना होता है। आप श्रीमन् केन्द्रीय मंत्री रहे हैं। आपने भी कई बार कृषि विभाग सम्हाला है, कांग्रेस के जमाने में 5–5 साल सूखा पड़ा रहा लेकिन एक भी व्यक्ति मरा नहीं। मैं समझता हूं कि वर्तमान शासन काल में दोनों उप मुख्य मंत्री, बिजली मंत्री भूतपूर्व कृषि मंत्री भी हैं। मुझे विश्वास है कि अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को इस प्रकार से संचालित करेंगे कि पुरानी विचारधारा के आधार पर ही अपने कार्यक्रम को चलयेंगें। श्रीमन् एक मानीटरी सेल कण्ट्रोल रूम बनाना चाहिये जो 24 घंटे सिंचाई विभाग,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बिजली विभाग को देखें। इसमें चीफ इंजीनियर हों, रीजनल स्तर पर कहाँ-कहाँ ट्यूबवेल हैं, कहाँ-कहाँ नहरें है, कुलाबों के झगड़े है, नहरें कट गई है और शान्ति व्यवस्था का प्रश्न सामने है, इसलिए हर ब्लाक में समितियाँ बननी चाहिए ताकि निर्बल लोगों को पानी मिल सके क्योंकि वे पानी से वंचित रह जाते है। यहाँ पर क्षेत्रीय विकास मंत्री है या नहीं, वे शायद राम गंगा विकास परियोजना गण्डक विकास परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, क्षेत्रीय विकास योजनायें इस दृष्टिकोण से बनाई गयीं थीं कि यह खेतों तक पानी पहुंचा सके। श्रीमन्, आपको मालूम है कि शारदा सहायक में पानी बहुत है। नहरें बनाई गयीं, छोटी नहरें बनाई गयीं, माइनर बनाये गये लेकिन गूल नहीं बनीं। गूलें नहीं बनी तो पानी कैसे पहुंचेगा, गरीब के खेत में पानी कैसे पहुंच सकेगा, खेती कैसे होगी। कच्ची गूलें बनवायें, पक्की गूलें बनवायें जिससे खेतों में पानी तो पहुंच सके।

जानवर मर रहे हैं। उन्हें चारा नहीं मिलता। किसान सम्मेलन के सचिव श्री नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि सैकड़ों जानवर मर रहे हैं। मातायें, बहनें, गरीब खेतिहर, हजारों लोग योग कर रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, हजारों प्रकार के जादू टोने हो रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

तिवारी जी, आजमगढ़ में औरतों ने नंगे होकर हल चलाया पानी के लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने अभी मानेटरी कंट्रोल रूम बनाने की बात कही। जितने मंत्री हैं, वह हों, व हेली-कैप्टर का और जो भी साधन उनके पास हैं उनका इस्तेमाल करें सूखे वाले क्षेत्रों को देखने के लिये। चुनाव के लिये इनका इस्तेमाल करने के बजाय सूखे और बाढ़ के लिये करें। जिन-जिन जिलों में भयावह स्थिति है उनका प्राथमिकता के आधार पर दौरा करें। खेतिहर मजदूर जो है वह बेकार हो गये हैं। जो काम हुआ करते थे उनको इस समय करने के लिये वह नहीं हो रहे है। उनके लिये क्या हो सकता है, उनके लिये काम होना चाहिये। यह प्रदेश की आवश्यकता है। यदि ऐसी कोई ठोस योजना गाँव के स्तर पर चलायें तो हमारी पार्टी आपका सहयोग देगी। सहयोग माँगने की आदत इस शासन की नहीं है। कृषि मंत्री जी और भी कुछ मंत्री माँगते रहे हैं, लेकिन शासन ने कभी नहीं माँगा। मुख्य मंत्री जी को साजिश दिखाई देती है। इसमें बहुत से मंत्रियों की ऐसी विचारधारा नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की है। छठी योजना के बारे में उन्होंने कहा था कि हम बुलायेंगे परामर्श लेंगे। आज भी परामर्श लेना बाकी है। कितना समय बीत गया उसमें सूखे और बाढ़ के बारे में बात होती। कह नहीं सकते कि हमको बुलाईये, हमारा सहयोग लीजिये, हम कैसे कहें। शासन ने नहीं कहा, मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा कि हमें विरोधी दलों का सहयोग चाहिये लेकिन हम तैयार हैं। हमें विश्वास है सरकार बनेगी। अल्पमत की सरकार है, कम्युनिस्ट का, स्वतंत्र का, प्रगतिशील विधायक दल के सहयोग पर है यह। हम इस प्रश्न को राजनीति का प्रश्न नहीं बनाना चाहते।

(नेता विरोधी दल के स्थान पर श्री शम्भूनाथ के बैठने पर)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, नेता विरोधी दल आज बदल गये क्या ?

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

मान्यवर (व्यवस्था करें, शम्भूनाथ जी कैसे बैठ गये।

[शोर]

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। वह नेता विरोधी दल के स्थान पर बैठ सकते हैं। केवल नेता सदन के स्थान पर नहीं बैठ सकते।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, जरा दाहिनी तरफ भी आपकी दृष्टि उठनी चाहिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, सूखा और दैवी आपदाओं के संबंध में विचार चल रहा है, मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को गम्भीरता से सुना। श्री तिवारी जी ने जो बातें कहीं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मान्यवर, गाँवों की जो स्थिति यहाँ प्रस्तुत की गयी उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 23 सकड़ा ऐसे लोग है जिनके पास कोई भूमि नहीं हैं लेकिन वह खेती पर निर्भर हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन 23 सैकड़ा लोगों की किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद का प्रयास 30 वर्षों में नहीं किया गया। मान्यवर, जिन लोगों ने अभी चर्चा में भाग लिया वे न किसान हैं और न उनकी समस्याओं से अवगत हैं। लेकिन ऐसे घड़ियाली आँसू बहाते हैं जबकि उनका किसानों से कोई संबंध नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूखे की स्थिति है उसमें द्रुतिगति से मामले को हल करने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये था लेकिन इस प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सूखे से निपटने के लिये, तीन समस्यायें बड़े पैमाने पर पैदा होंगी जिनको हल करना होगा। जहाँ पर नहरों के पानी का सवाल आयेगा हर आदमी कुलाब को काटकर अपने खेतों को पानी ले जाने की कोशिश करेगा जिससे शाँति व्यवस्था की स्थिति खतरनाक हो जायेगी। दूसरे जहाँ पर राजकीय नलकूप हैं और जहाँ पर बिजली नहीं आयी और वर्षों से कुयें खुदे पड़े हैं वहाँ काश्तकारों में बेचनी होगी। जो निजी नलकूप हैं, जिनके कनेक्शन कटे हैं उनको जोड़ा नहीं गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके कनेक्शन तत्काल बिना पैसा लिये जोड़ दिये जायें तो उससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद दूसरी समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जब कनेक्शन जुड़ जायेगा तो पानी ले जाने की बात होगी और अगर उस इलाके में नहर और राजकीय नलकूप की गूलें पड़ती होंगी तो जब किसान अपना पानी ले जायेगा तो उस पर नहर और नलकूप की सिंचाई लग जायेगी। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिये नहर और राजकीय नलकूपों की गूलों में से प्राइवेट नलकूपों का पानी ले जाने के लिये छूट दे दी जाय तो किसान अपनी आबपाशी कर सकता है और यह समस्या हल हो सकती है। मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी नहरों और राजकीय नलकूपों को गूलों में पानी ले जाने की आजादी दे दें जिससे किसानों को कोई परेशानी न हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं राहत के कार्यों से आप खाने की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन किसानों के पास जो जानवर हैं उनके लिये चारे की व्यवस्था करना किसान के लिये संभव नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की फसलें उगायी जायं, कृषि मंत्री जी ऐसे चारे के बीज भेजें जो जल्दी उगें जिससे चारे की समस्या हल हो और हरा चारा पैदा हो। देहात में जो भी आदमी रहता है हर एक के पास करीब-करीब गाय, भैंसा बैल आदि जानवर होते हैं। वहाँ पर दूसरी जगह से चारा भेजना सम्भव नहीं होगा।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

इसलिये हर ब्लाक के माध्यम से कृषि मंत्री चारे की फसलों, फीडर क्राप्स को उगाने की व्यवस्था करें। तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा।

(श्री जय शंकर पाण्डेय का नाम पुकारने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, वह यह है कि मैंने सिद्धान्तः यह किया है कि दो इस तरफ और दो उस तरफ के और एक बीच में जो विरोधी दल के लोग हैं उसमें से बुला रहा हूं। तो 2-2 और एक-एक करके मैं चल रहा हूं। इसलिये श्री जय शंकर पाँडेय जी बोलेंगें।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, नियम 52 में इस पर जिन लोगों ने दे रखा है उनको तो प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

कोशिश कर रहे हैं कि उनको समय मिले।

*श्री जय शंकर पाँडेय (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति है। आज संपूर्ण किसान, मजदूर वर्ग और हर वर्ग का मन सूखे से पीड़ित है। सूखे का मूल कारण एक तो दैवी आपदा है और दूसरी समस्या बिजली के कारण ट्यूबवेल और नहरों के बंद होने की है। हमारे फैजाबाद जनपद में ऐसी समस्या है कि जहाँ सूखा और बाढ़ दोनों हैं। 450 गाँवों में सूखा पड़ा है और माँझा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सरयू नदी में बाढ़ आयी है जबकि जलावृष्टि नहीं है। घाघरा नदी में पानी खतरे के निशान से एक सेन्टीमीटर ऊपर नीचे हुआ करता है। यह वहाँ की भयावह स्थिति है। आज आजादी के इतने दिनों बाद भी हमारे देश और प्रदेश में कोई ऐसा सुझाव नहीं आया है जिससे हर साल आने वाली बाढ़ और पड़ने वाले सूखे का समुचित निदान हो सकता। हमारे यहाँ ट्यूबवेलों की हालत यह है कि बिजली पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। जब इसकी शिकायत की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मान्यवर, हमारे वहाँ बिजली की इतनी विषम स्थिति है कि जिसका निदान कोई नहीं कर सकता है। खासकर विद्युत् परिषद् अब ऐसा है जैसे किसी दुबले पतले आदमी के शरीर पर एक भद्दा घेंघा निकल आये। इसलिये इस समस्या का कोई उन्मूलन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति बिजली विभाग द्वारा पैदा की गयी है। फैजाबाद में कुछ नहरें ऐसी हैं जिनमें पानी नहीं चल रहा है। कुछ माइनरों में बालू जमा हो गयी है जिससे पानी का वहाँ बहाव नहीं होता है। एक सप्ताह पहले वहाँ जिलाधिकारी ने एक मीटिंग किया था कि इसका निदान कैसे किया जाय तो वहाँ नहर विभाग द्वारा गलत आँकड़े प्रस्तुत किये गये जिससे जिले के अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। इसलिये निवेदन है कि बिजली विभाग चाहे लोगों की या बड़े-बड़े उद्योगों की बिजली कटौती करे या अन्य प्रकार से प्रदेश भर में किसानों की सुविधा के लिये टयूबवेलों को युद्धस्तर पर चलाये। ऐसी नहरें जहाँ बालू जमा हैं माइनर में अधिक संख्या में कुलावा लगाये जायं।

मान्यवर, डीजल का पूरे प्रदेश में अभाव है जिससे किसान दिन भर एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ा करता है इसलिये निर्देश दें कि प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर डीजल का लाइसेंस दें जिससे डीजल की ज्यादा से ज्यादा दुकानें खुल सकें और किसानों को इस सुविधा का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाभ मिले। इसलिये मैं चाहता हूं कि फैजाबाद की जहाँ 29 सूखाग्रस्त जिलों में गिनती हुई है वहाँ खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा सड़कें और टेस्ट वर्क शुरू किये जायं जिससे लोग भुखमरी के शिकार न हों। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक रिपोर्ट सूखे के संबंध में पेश की है। मंत्री जी ने साफ उल्लेख किया है कि 12 अगस्त को यहाँ से आदेश चला गया है कि आपदा मैनुअल के अनुसार काम किया जाय। 25 तारीख तक मैंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया है। 12 तारीख के शासनादेश का असर कहीं भी नहीं दिखाई दिया। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जिस शासनादेश में लिखा है कि आपदा मैनुअल के अनुसार राहत कार्य किया जाय वह आपदा मैनुअल बहुत पुराना है। उस में जो कुछ लिखा है आज की मंशा और परिस्थितियों से वह मेल नहीं खाता है। इस शब्द को वापस लीजिए और शासनादेश फिर से बना कर आज की आवश्यकता पूर्ति करने का आदेश भेजा जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई के जितने भी साधन हैं उनमें अशांति अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जितने ट्यूबवेल हैं वहाँ पर किसी न किसी की जान जा सकती है। जितने पम्प हैं डीजल के वहाँ पर एक-एक हजार की भीड़ लगी है। सभी जगह पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी अन्यथा इस बात की पूरी संभावना है कि ट्यूबवेलों और डीजल पम्पों पर हजारों की भीड़ होने के कारण आपस में लड़ाई होगी और किसी की जान चली गयी।

मान्यवर, कृषि देयों की वसूली रोकी गयी है लेकिन कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है कि जो फसल खराब हो गयी है उसका लगान भी माफ होगा। माननीय मंत्री जी से मैं माँग करता हूं कि इस बात की घोषणा कर दें कि पचास फीसदी से ज्यादा जहाँ कहीं फसल खराब हो गई है उसका लगान माफ कर दिया जाएगा।

मान्यवर, राहत कार्य चलाने के संबंध में आदेश गये होंगे लेकिन बड़ी बिडम्बना है कि बस्ती जिले में, गोरखपुर में, बनारस में, जहाँ-जहाँ मैं गया, अधिकारियों ने मुझसे शिकायत की कि मजदूर नहीं मिले। मैंने पूछा मजदूरों की मजदूरी कितने दिन की बकाया है। एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीने की मजदूरी उनकी बकाया है। उनकी रोजी रोटी मजदूरी पर चलती है। यदि एक महीने, डेढ़ महीने की मजदूरी नहीं मिले तो वहाँ मजदूरी कौन करेगा? मैं निवेदन करूंगा कि हर जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भिजवा दिये जायं। पिछली बार अग्रवाल साहब राजस्व विभाग के सचिव थे, युद्ध स्तर पर बाढ़ का सामना किया था। बड़ी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सूखे के संबंध में पता नहीं क्या बात हो गई है। जो खाद्यान्न पहुंचने चाहिये वे नहीं पहुंच रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं माँग करुंगा माननीय मंत्री जी से आदेश जाने चाहिए इस संबंध में कि रोज काम करने वाले को उसी दिन मजदूरी मिलनी चाहिए। कोई बकाया नहीं रखा जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। जो डीजल के स्टेशन हैं उन पर हजारों की भीड़ है। इंडियन आयल के जो अधिकारी हैं वे शासन को फिगर दे देते हैं कि इतना डीजल दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके चक्कर में न आयें। भारतीय तेल निगम के 12 डिपो उत्तर प्रदेश में हैं इनमें उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिये जायं। उनका काम होगा कि हर जिले में प्रतिदिन कितना डीजल गया और कितना सप्लाई हुआ इसका चार्ट बनाकर आपके पास भजें आपको देखना होगा कि राज्य के किस जिले में कितनी आवश्यकता है। पूर्ति हो रही है कि नहीं। तभी जाकर डीजल की सप्लाई पूरी हो पायेगी।

[श्री जय शंकर पांडेय]

इसी के साथ कहना चाहूंगा कि शायद सिंचाई मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि नहरों में पानी दिया जाय। लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि आज वह पानी किसानों के खेतों तक पहुंचता है कि नहीं। नहरों में जितना पानी जाना चाहिये, जाता है कि नहीं। बहुत सी नहरों में टेल तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। अन्यथा लोग लड़ मरेंगे। तो खेतों को पानी ज्यादा दिया जाय, इसकी आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है और उसकी ओर अगर ध्यान न दिया गया तो यह निश्चय है कि जाने जायेंगी। मान्यवर, चार हजार ट्यूबवेल हैं। उनमें या तो मोटर खराब है, या बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, या नालियाँ नहीं हैं। फलस्वरूप सिंचाई का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान भी दिया है.....कुछ जिलों की रिपोर्ट है कि ट्यूबवेल ठीक हो गया है। इस सूखे का सामना युद्ध स्तर पर करना है।

एक बात यह है कि गाँवों के लिये आदेश नहीं गये और चावल, गेहूं आदि के दाम बढ़ने लगे हैं। गाँव की सरकारी गल्ले की दूकानों पर ये खाद्यान्न नहीं हैं। तो गाँव के गल्ले की दूकानों पर चावल और गेहूं की सप्लाई पूरी करायी जाय। तभी सस्ते दामों पर खाद्यान्न मिल पायेंगे।

इन शब्दों के साथ निवेदन है कि इस सूखे की समस्या का युद्ध स्तर पर सामना किया जाय।

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो कल बोल चुके हैं—चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों—उन्हीं को अवसर दिया जायेगा या आपके सामने कोई लिस्ट है कि जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, उनको बोलने का मौका दिया जायेगा। अच्छा होता कि उन्हीं को अवसर दिया जाता जिन्होंने नहीं बोला है।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कल बोले हैं उनको न बोलने दिया जायेगा और न यही है कि जो कल नहीं बोले हैं, उन्हीं को मौका दिया जायेगा। दोनों को मिश्रित करके कर रहा हूं। वैसे आप घबड़ायें नहीं। अभी काफी समय है। 5.00 बजे तक तो 20-25 लोग बोल लेंगे। आपको भी अवसर मिल जायेगा। तो इस तरह के प्रश्न करके कृपया समय नष्ट न करें।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अकाल का भीषण रूप सबके सामने नजर आता जा रहा है। उसके बारे में सभी को चिन्ता है। इसमें संदेह नहीं है कि शासन भी उससे अवगत है और कदाचित जागरूक भी है। प्रश्न यह है कि 5 मिनट का समय इतना कम होता है कि इतनी बड़ी समस्या पर जो कहना चाहते हैं, कह नहीं सकते और न सम्भव है। इसलिये बिना किसी व्याख्या और भूमिका के दो-चार बातें शासन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री उनकी ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विषय इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण है और इसमें सभी विभागों के सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है तो इस बहस के वक्त मुख्य मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित रहते जिससे वह हमारी बातें सुनते कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों पर क्या गुजर रही है। दो तरह के क्षेत्रों से आपका पाला पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था जिन्होंने नहर, ट्यूबवेल, बिजली के बारे में कहा। मैं उस अभागे क्षेत्र से आता हूं और उसका प्रतिनिधित्व करता हूं जहाँ पर न तो बिजली है और न ट्यूबवेल और न नहर। वहाँ सिंचाई का साधन नहीं है। जहाँ सिंचाई के साधन हैं वहाँ पूरा गल्ला नहीं होगा, तो आधा होगा, आधा नहीं होगा तो चौथाई होगा लेकिन जहाँ केवल आकाश से गिरने वाले पानी का ही सहारा होता है वहाँ तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। इसलिए जब आप राहत कार्य की योजनाएं बनावें तो ऐसे दोनों क्षेत्रों को अलग रख कर बनावें तभी आप उन क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे। अभी आपदा मैनुअल की बात कही गयी। फेमिन कोड का यह तर्जुमा है। यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। यह 1900 का भी नहीं 1800 का बना हुआ है। आपने अधिकारियों से उसके आधार पर राहत देने की बात कही है तो उसके आधार पर कुछ लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आप उस मैनुअल को जमींदोज कर दें। मैं तो वह काम नहीं कर पाया लेकिन आप कर सकें तो अपने समय में एक नया मैनुअल का निर्माण कर दें जो कि आज की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर बनाया जाय। यह तो सभी ने कहा कि युद्ध स्तर पर यह कार्य होना चाहिए। एक निवेदन मैं करना चाहता हूं और शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं उससे जितना हमारा फायदा होगा शासन का भी हित होगा। युद्ध स्तर के मायने यह होते हैं कि किसी कमेटी का सृजन कर दिया जाय जिसमें सभी को विश्वास हो जाय और शिकायत का अवसर न मिले कि फलाँ के साथ रहम किया गया और पक्षपात किया गया। इसलिए आपको अध्यक्षता में इस सदन की एक कमेटी का निर्माण हो जो सब कार्यों को देखे और जहाँ आवश्यकता हो अधिकारियों से भी कह सके और नियंत्रण रख सके।

अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम नहीं होगी इसलिए अधिक से अधिक धन केन्द्र से लाने की कृपा करें। बाढ़ में दस करोड़ वहाँ से मिल चुका है। लेकिन अबकी बार दस बीस करोड़ से काम चलने वाला नहीं है। मंत्री जी को प्रदेश को पूरा ध्यान है और आप केन्द्र से अधिक धन लाने की सोचें।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, कल जिस समय इस सदन के अन्दर अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी निश्चित तौर पर प्रदेश का जनमानस इस बात का अहसास कर रहा था कि एक ओर तो पूरा प्रदेश सूखे की आग की लपेट में है और दूसरी ओर इस सदन के अन्दर विश्वास तथा अविश्वास का नाटक खेला जा रहा है। यहाँ पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाले लोगों ने झूठे तथा घड़ियाली आँसू बहाये वे जरा अपना दामन टटोल कर देखें तो पता लगेगा कि उनके दिल में जनता के लिये कितना दर्द है। इसका आभास इसी बात से लग जाता है जब सूखे के बारे में उनकी ओर से कोई चीज लिख कर नहीं आई और प्रस्ताव आता है तो देवबहादुर सिंह की ओर से आता है जिनको पिछलग्गू की संज्ञा दी जाती है। मैं इस पचड़े में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह समस्या पूरे प्रदेश के सामने है, दलगत भावनाओं के ऊपर उठकर हम सबको एक होकर इस पर सोचना चाहिये। काश कल विश्वास तथा अविश्वास का नाटक न होकर सूखे के बारे में चर्चा हुई होती तो बहुत ही अच्छा होता। एक कहावत भी है मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। एक ओर तो शासन की कुर्सी गिरा कर फेंक देना चाहते हैं और दूसरी ओर उनको मारते भी जाते हैं और कहते हैं कि सूखे के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

सीधे सूखे पर आइये ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, ये लोग तो यही चाहते हैं कि सूखे पर कोई कुछ न कहने पाये।

श्री अधिष्ठाता—

आप कहिये, आपको सुना जायगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं हरदोई जिले की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। वहाँ पर मूंगफली की फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन पानी बरसने पर बोई जाती है। वर्षा न होने पर नहीं बोई गयी। मक्का तथा बाजरा की जो फसलें बोई गयी थी वे सब नष्ट हो गयीं ? एक भयावह स्थिति पैदा हो गयी है न केवल हरदोई जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में और इस स्थिति पर जितनी गम्भीरता से शासन को सोचना चाहिये था उतनी गम्भीरता से नहीं सोचा गया। अगर शासन ने इस पर सोचा होता तो आज यह स्थिति न होती। यह एक ऐसी समस्या है जिसका निदान युद्ध स्तर पर कार्य करने पर ही हो सकता है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश सूखे की आग में जलता रहेगा और यह स्थिति अगर बनी रही तो प्रदेश की जनता हममें से किसी को माफ नहीं करेगी। मैं यह कहूंगा कि सिंचाई के साधनों को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं आपके लिये तुम नहीं कहूंगा, जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम आसरे वर्मा—

आज की सरकार को सिंचाई के सारे साधनों का इस्तेमाल जिस तत्परता के साथ करना चाहिए था, वह नहीं कर रही है। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि रजबह सूख रहे है, ट्यूबवेल बेकार पड़े हुये हैं। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिये है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके निर्देशों के मुताबिक अगर जिलाधिकारियों ने कोई काम किया है तो वह डीजल और पेट्रोल फूंकने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप निर्देश देने के साथ-साथ यह भी देखें कि उन निर्देशों का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। किन तरीकों से उन पर निगरानी रखी जा सकती है यह आपको सोचना पड़ेगा। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अभी कुछ दिन पहले जब पूरा प्रदेश और हमारा जिला हरदोई सूख की चपेट में था और अखबार में यह निकला कि जिलाधिकारी हरदोई ने यह बयान दिया है कि हमने बाढ़ का मुकाबला करने के लिये पूरी तैयारियाँ कर ली है। हम आज सूखे की चपेट में हैं और बाढ़ से बचाव की तैयारियाँ हो रही है। अगर इसी तरह से अपके निर्देशों का पालन होगा तो एक तरफ इन्सान की लाशें होंगी और दूसरी तरफ आपके अधिकारी गलछर्रे उड़ा रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर इस सूखे के मुकाबले के लिये रास्ता निकालें क्योंकि आज जो अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है, उसका हमें मुकाबला करना चाहिए।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आपने मुझे बोलने का मौका . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुनें। मैंने विजयराज सिंह जी को बुलाया है। मैंने व्यवस्था दी थी कि सुविधा के लिये दो सदस्य इधर से बोलेंगे और दो उधर से बोलेंगे और एक बीच से बोलेंगे.....

(व्यवधान)

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

ये बीच वाले कौन हैं ? सदन तो दो हिस्से में बटा है लेकिन ये तीसरे बीच वाले कौन हैं ? बीच वाले कोई नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। मैं बता देता हूं।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में दो दल होते हैं—एक सत्ताधारी और दूसरा विपक्ष। बीच का दल या बीच की पार्टी आज की संसदीय राजनीति में, इस विधान सभा के संचालन में कौन सा है, यह आप हमें बता दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप मुझे सुनिये। मैंने जो व्यवस्था दी है वह एक सीमित कार्य के लिये दी है और वह यह है कि बोलने के सम्बन्ध में आज के लिये मैंने यह समझा है और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कि दो व्यक्ति इस दल से और दो व्यक्ति उस दल से और भी दल हैं जैसा कि मैंने उस समय नाम भी लिया था आपने सुना हीं शायद। तिवारी जी का नाम लिया, राम आसरे जी बैठे हैं, रियासत साहब बैठे हैं इनके अलावा और भी दल हैं। इसलिये आप नहीं कह सकते हैं कि केवल दो ही दल हैं। (व्यवधान) मेरा यही निर्णय है, इसी के अनुसार चल रहा हूं।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सूखे की जो दैवी आपदा आई है उस पर अधिकांश सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए इसमें जो ढाई घंटे का समय रखा गया है वह कम है उसे बढ़ाया जाय चाहे आज बढ़ा लें या कल के लिए रख दें।

श्री अधिष्ठाता—

उसी के संबंध में उपाध्यक्ष जी ने स्वयं कहा था, आप शायद नहीं थे जब वह आयेंगे तो वह स्वयं बढ़ायेंगे और उसके लिये प्रस्ताव आयेगा। चाहे आज हो या कल हो, वह तय करेंगे।

श्री विजयराज सिंह—

मान्यवर, सूखे की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट निकली है कि 1980 में संपूर्ण दक्षिण एशिया में सूखे के कारण अकाल की भयावह स्थिति हो जायगी। तो यह हमारी सरकार के लिए चेतावनी है। सूखा लगभग अकाल की हालत में पहुंच रहा है, फसल मर रही है, चारा नहीं है, पशु मर रहे हैं। आदमियों के लिए रोजी रोटी का सवाल हो गया है। ऐसे में हमारी सरकार ने कहा है कि हम युद्धस्तर पर काम करेंगे।

[श्री विजय राज सिंह]

तो युद्ध स्तर पर तब काम होगा जब सरकार कुछ ऐसे काम करके न दिखा दे जिससे जनता को यकीन हो कि सूखे के लिए वाकई युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इस संबंध में मेरी पहली माँग है कि कल से इस सदन के अन्दर एयर कूलर नहीं चलने चाहिये। दूसरी माँग मैं यह करना चाहता हूं कि जितने सरकारी दफतर हैं, मंत्रियों के दफ्तर हैं वहाँ पर कल से एयर कूलर बंद हो जाने चाहिये।

तीसरी माँग मैं यह करना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकार देहली के चक्कर लगाती रहेगी तब तक वह सूखे की स्थिति से निपट नहीं सकती है। मंत्री लोग दिल्ली की तरफ न जाकर गाँवों की तरफ जायं।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। हर दैवी विपत्ति कालाबाजारियों और जमाखोरों के लिए वरदान होती है चाहे वह अकाल हो, चाहे बाढ़ हो उसमें चीजे बाजार से गायब हो जाती हैं। इस मजबूरी का फायदा कालाबाजारिये उठाना चाहते हैं नमक बाजार से गायब हो गया है, चीनी गायब हो रही है पेट्रोल पम्पों से डीजल गायब किया जा रहा है। मैं माँग करता हूं कि जब प्रदेश के लोग दैवी विपत्ति में हैं और लोग कराह रहे हैं तो उस समय जो इस दैवी विपदा से फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों की जिन्दगी को तबाह करना चाहते हैं उन लोगों के गोदामों में छापे मारे जायं, पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे जायं और पेट्रोल लोगों को उपलब्ध कराया जाय।

मैंने ईमानदारी से यह माँग रखी है और मैं यह महसूस करता हूं कि गाँवों के लिए जो बिजली जा रही है वह लोड के हिसाब से नहीं जा रही है। 440 वोल्ट के जो ट्यूबवेल चलते हैं उनको 220 वोल्ट दिया जा रहा है इससे ट्यूबवेलों की मोटर गरम होकर फुंक रही है। इसलिये लोड के मुताबिक बिजली उनको दी जाय 220 वोल्ट न दी जाय। श्रीमन्, मैं एक माँग सरकार से यह करना चाहता हूं कि शहरों के अन्दर बिजली की कम से कम खपत की जाए। आज कल गर्मी भी अधिक नहीं पड़ रही है, सुबह 12 बजे तक शहरों में बिजली बन्दी रखी जा सकती है। 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक ही बिजली केवल दी जाए और बिजली 440 वोल्ट्स की दी जानी चाहिए, उससे कम की नहीं।

ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में भी मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि जिनके कनेक्शंस कट गये हैं, उनको फिर से जोड़ा जाए, उनसे रिश्वत न ली जाए। मैं सदन से एक निवेदन और करना चाहता हूं, आप लोगों ने गाँव और गाँववासियों की तकलीफों को दूर करने की बड़ी-बड़ी बातें कहीं हैं, कल अगर इस सदन के अन्दर एयर-कन्डीशनर चलेगा, मंत्रियों के कमरों में एअर कूलर्स चलेंगे, सरकारी दफ्तरों में एयर कूलर्स चलेंगे तो मैं ठीक 11 बजे से इस सदन के अन्दर सत्याग्रह शुरू कर दूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, आज सम्पूर्ण पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में इस समय सूखे और अकाल की काली छाया व्याप्त है। पूरा पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भारत भयंकर सूखे और अकाल की लपेट में है। इस संबंध में मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :—

"चमन में गारते गुलचीं से न जाने क्या गुजरी,
कफस से हो के शबा बेकरार गुजरी है।
वह बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था,
वह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है।

यह सूखा है, लेकिन हर विपक्ष का दल भीतर से कुछ रूखा है, जो भी साथी उधर गया, लगता है कुर्सी का भूखा है। उनको चिन्ता लगी है किसी तरह इस सरकार को गिराओ और इधर आरूढ़ हो जाओ। इनको तनिक भी हया नहीं। एक कहावत है, एक नकटा

आदमी था। उससे किसी ने कहा तुम्हारी नाक कसे कट गई। उसने कहा इसे मैंने खुद काट डाला। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या? खुद काट डाला, तो जवाब दिया, "पड़ोसी का शगुन बिगाड़ने क लिए मैंने अपनी नाक काटी है। यह विधायक हैं जो विधायकों की हत्या करने पर तुले थे। वह चाहते थे, विधान सभा आज डिजाल्व हो जाए। आज यह सूखे की बात करते हैं, बिजली की बारे में शिकायत कर रहे हैं। आज नारायणदत्त तिवारी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सूबे में शासन कर चुके हैं, उनके शासनकाल में जब बारिश हुई थी, तब भी जो अभूतपूर्व बिजली का संकट इन लोगों ने पैदा किया था वह आज तक किसी को भूला नहीं है। इनमें जरा भी दयानतदारी नहीं है। पश्चिमी बंगाल में, हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली में अनेक प्रदेशों में बिजली का संकट जो आज व्याप्त ह, उसको देखते हुए इस प्रदेश में बिजली की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है। हिन्दुस्तान की औद्योगिक नगरी कलकत्ता में 20–20, 22–22 घंटे बिजली का संकट बना रहा है। लेकिन यहाँ तो केवल एकसूत्री कार्यक्रम है, कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी। मैं कहता हूं लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।...(व्यवधान)... मैं कहता हूं कड़ुवा, कड़वा थू, मीठा-मीठा गप। आप धैर्य और सहनशीलता रखें। मैं समझता हूं कि विपक्ष का समादर करना चाहिए और उनके सुझावों का आदर करना चाहिये। यह हमारा कर्तव्य है। कल बड़ी चिल्लपोंमची हुई थी, चौधरी चरण सिंह के सम्बन्ध में। इसलिए कि इस देश के ग्रामीणों के, 85 प्रतिशत आबादी के मसीहा के विरुद्ध इस देश के पूंजीपतियों ने जिनका प्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण है एक जेहाद छेड़ रखा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कौशिक जी। लाल बत्ती जल गयी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

सूखे का संकट है, आपके सहयोग की जरूरत है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में आप चलें और शासन से सहयोग करके इस दैवी आपदा का मुकाबला करें। केवल थोथी बातों से इसका समाधान मिलना मुश्किल है। यह दैवी आपदा है, प्रकृति प्रदत्त विपत्ति है, न केवल इस सूबे में बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश इस सूखे के चपेट में आ गया है। मैं शासन से भी अपेक्षा करता हूं, युद्ध स्तर पर सूखा का मुकाबला करने के लिये जितने भी जिले शेष रह गये हैं उनको सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दें। देवरिया जनपद सर्वाधिक सूखाग्रस्त है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस साइंटिफिक युग में इस माननीय सदन में सूखे पर चर्चा हो रही है मान्यवर, 15 जून से जब पुरवा हवा चलती है तब समझा जाता है कि मानसून, दो चार दिन में आ जायगा और बारिश हो जायगी। इस साल पूर्वी हवा नहीं चली। अखबारों की सूचना के मुताबिक मानसून आया ही नहीं। मेट्रालाजिकल डिपार्टमेंट है। क्या सरकार ने 15 जून के बाद मेट्रालाजिकल डिपार्टमेंट से मालूम करके मानसून न चलने की वजह जो आने वाला सूखा था उसके लिए मेजर्स लिए? इसमें सरकार कतई फेल रही? जो सूखे की हालत है कुल 25 प्रतिशत फसल जो बोई गयी थी उसमें से इसको किसान ने अपने साधनों से रिश्वत दे कर बचायी है। माननीय राजेन्द्रसिंह के पतरोलों को, अमीनों को रिश्वत दे कर अपने खेतों में पानी रोका है। माननीय राजेन्द्र सिंह मेरे साथ चलें मुरादाबाद में रोशनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी आता है। उसके ऊपर दस मील पर इतना पानी सड़कों पर बह रहा था, मैं खुद गया था, सड़कों पर घुटने भर पानी पार करके जाना पड़ा। लेकिन उस दस मील के नीचे बीस मील तक जो पानी टेल तक जाता ह, धान लगाने के लिए न पानी मिला और न सिंराई के लिए पानी मिला। पतरोल और अमीनों ने रुपया लेकर, पचास हजार रुपये की वसूलियाबी हुई है, मैंने खुद देखा ह, परसों-तरसों।

[श्री रियासत हुसैन]

चारपाइयाँ डाल कर, किसान वहाँ पर पानी की रखवाली कर रहा है। उसके नीचे बीस मील सारी ट्रेल पर पानी नहीं पहुंचता अगर इकुअल डिस्ट्रीब्यूशन करवा देते तो उस बीस मील में धान की लगायी और रोपाई हो जाती। मैं रोशनपुर डिस्ट्रीब्युटरी की बात कह रहा हूं। मैंने आपके एक्स-एन से कहा। उन्होंने जाकर देखा भी होगा। मैं रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं। 25 तारीख को मेरी मुरादाबाद के ए0 डी0 एम0 से बात हुई। उन्होंने कहा कि रेडियोग्राम और टेलेक्स भेज चुके हैं लेकिन अब तक मुरादाबाद सूखाग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं 25 तारीख की बात कह रहा हूं। श्रीमन् अफसोस की बात है कि पिछले साल इसी सदन में बाढ़ पर बहस हुई थी और उसके फलस्वरूप रेवेन्यू का ससपेंशन हुआ था, लेकिन उसको आपके अमीन लोग वसूल कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं अब डीजल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके बारे में आप अपने कमिश्नर से पूछिये। उन्होंने यह कहा कि पिछले साल अगस्त में जितना डीजल सप्लाई किया गया था उससे केवल 5 प्रतिशत बढ़ाकर सप्लाई करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि 5 प्रतिशत से बढ़कर सप्लाई किया जा चुका है और अगर अब और सप्लाई चाहते है तो शासन में बात कीजिए। अब डीजल नहीं मिलने वाला है। सिन्हा साहेब कमिश्नर है, उन्होंने यह कहा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डीजल की कमी से पम्पिंग सेट नहीं चल रहे हैं। पिछले जितनी डिमान्ड थी उससे बीस गुनी ज्यादा डिमान्ड इस साल बढ़ गयी है और आपने सप्लाई केवल 5 प्रतिशत अधिक किया है। आप ही सोचे कि इस प्रकार से काम कैसे चलेगा। आप इस पर ध्यान दें। जितनी भी रिकवरीज है आप उन सभी को ससपेंड कर दें वह लगान की हो और चाहे किसी दूसरी चीज की हो। आप किसानों की सहायता के लिए तकावी दीजिए। बुन्देलखंड और पठारी भाग जो है वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, एक दूसरी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पावर जो सप्लाई की जाती है वह 5 घंटे या 6 घंटे सप्लाई की जाती है परन्तु उसमें भी कटौती हो जाती है। किसान खेत की सिंचाई के लिए जाता है पानी खेत तक नहीं पहुंच पाता है और बिजली चली जाती है। आप इसको देखिए और प्रबन्ध कीजिए। किसानों को 18 घंटे बिजली दीजिए और डीजल की सप्लाई के बारे में विचार करिए।

मान्यवर, एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं कि जितने भी एस0 एफ0 डी0 ए0 के ब्लाक हैं वहाँ पर जो सब्सीडी 5 एकड़ तक के किसानों को दी जाती है, आप वहाँ पर इस सीमा को समाप्त कर दीजिए और सभी को दीजिए जिससे लोग बोरिंग करा सकें। आप इन्सेन्टिव दीजिए। जिससे वे अपना पैसा लगाकर कुछ कर सकें। 5 एकड़ से ऊपर वालों को भी इन्सेन्टिव दीजिए। इस समय किसी का भेदभाव न कीजिए।

श्रीमन्, आखिरी बात कहकर अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। क्राप इन्श्योरेंस के लिए जल्दी से जल्दी आप कदम उठाइये तभी किसानों की इकोनामी को इस्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो नेशनल कैलामिटी से बच नहीं सकते हैं।

श्री श्यामदेव—

यह दैवी विपत्ति है। हमारा शासन और मुख्य मंत्री एक तनाव की स्थिति में थे, वह अब दूर हो गयी है। उन्हें इन बातों को भूल कर सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इस सूखे का मुकाबला किया जाय।

मान्यवर, हमारे बनारस जनपद में नौगढ़, साहबगंज, चकिया और चन्दौली ब्लाक्स हैं जो कि सूखे से पीड़ित है जिनमें सारा धान सूख गया है। ज्ञानपुर कैनाल और चन्द्रप्रभा में केवल रोपाई ही हो पायी है। मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी उन अधिकारियों को जो बड़े ईमानदार है और अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाय। मेरी उनसे

यह भी प्रार्थना है कि बनारस जिले में जितने भी ट्यूबवेल्स लगे हैं उनकी मशीनें रोज चालू रहें। बनारस और चकिया के क्षेत्र में जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं, वे सब बन्द पड़े हैं, न वहाँ पर बिजली आती है और न वहाँ पर नालियाँ है। इस संकट की घड़ी में सरकार को चाहिए कि वे सब ट्यूबवेल्स को चलवाये, और जो वहाँ पर पम्प कैनाल हैं वहाँ पर विद्युत मंत्री जी निरन्तर बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध करायें। अखबारों में बिजली के बारे में बड़ी-बड़ी बातें निकलती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में 76,410 एकड़ में खरीफ की फसल है जिसमें से केवल 45,550 एकड़ भूमि में केवल रोपाई हो पायी है। इस समय तो फसलें लहलहा रही हैं लेकिन पानी न आने से वे बिलकुल सूख जायेंगी।

(इस समय 4 बजकर 57 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

राहत कार्यों का जहाँ तक सम्बन्ध है इस समय जो भी कानून बने हुए हैं, उनके रहते कोई राहत का कार्य नहीं हो सकता है। सड़कों के मेजरमेंट में 16 फुट का जो मापदंड अपनाया गया है वह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार अपने इस आदेश में परिवर्तन करें कि अगर 16 फुट से कम चौड़ी सड़क होगी तो उस पर कार्य नहीं होगा। मान्यवर, मिर्जापुर के दक्षिणी अंचल में और बनारस की नौगढ़ तहसील में भुखमरी फैल रही है। आप अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे चाहे ट्यूबवेल्स हों या सड़क हों उनमें काम करने में तेजी लायें और ताकि इस सूखे की स्थिति में बनारस जनपद का जो हक है वह उसे मिल सके।

वित्तीय वर्ष 1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

श्री उपाध्यक्ष—

अब बजट पेश होगा और उसके बाद अरुण कुमार जी बोलेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल की अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1979–80 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब बजट की प्रतियाँ माननीय सदस्यों में वितरित करा दी जाय।

(बजट की प्रतियाँ वितरित की गयीं।)

प्रदेश में सूखे तथा अन्य दैवी आपदाओं से सम्बन्धित चर्चा कल तक के लिए स्थगित करने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

जो कार्य सूची है उसके अनुसार एक तो यह सूखे पर चर्चा है, दूसरे कुछ विधेयक हैं अब सदन में अगर एक राय हो तो यह हो सकता है चर्चा जो यह सूखे पर चल रही है यह आज समाप्त हो जाय और विधेयक कल के लिये जायें। या यह हो सकता है विधेयक आज ले लिये जायें, चर्चा कल हो।

(कई माननीय सदस्यों ने एक साथ कहा कि चर्चा आज समाप्त हो जायें और विधेयक कल लिये जायें, कुछ माननीय सदस्यों ने आवाज उठायी कि चर्चा कल जारी रहे, विधेयक आज समाप्त कर लिये जायें।

यह चर्चा जो है ढाई घंटे तो हो चुकी है, अब कितनी देर और चलावेंगे आप? 7 बजे तक चलावें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

सूखा जब तक समाप्त न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो इन्द्र देव की कृपा जब होगी, तभी हो सकता है। 7 बजे तक चलाया जाय।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)---

हम लोगों की राय है कि विधेयक को आज ले लिया जाय, चर्चा कल चलाई जाय।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

आप साढ़े 7 बजे तक चला दें, मान्यवर।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, विधेयक आज ले लिया जाय और चर्चा कल चालू रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

इवबहादुर सिंह जी की राय है कि आज चर्चा समाप्त कर दी जाय और विधेयक को कल ले लें। तो हम कल 5 बजे के बाद विधेयक ले लेंगे और आज चर्चा समाप्त कर दी जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, जैसी कि अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों की राय है कि आज विधेयक ले लिया जाय और कल चर्चा में बहुत से हमारे माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं, तो कल चर्चा ले ली जाय।

एक सदस्य---

आज विधेयक ले लें, चर्चा कल के लिए बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा तो ठीक है, आज पहले विधेयक ले लेंगे और उसके बाद कल चर्चा फिर चलेगी।

श्री गनेशी लाल चौधरी---

कब तक चलेगी? यह तो आप निर्णय कर दीजिए। ढाई घंटे कल भी इस पर चर्चा चलेगी, श्रीमन्?

श्री उपाध्यक्ष---

अभी समय निश्चित नहीं करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979†

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, जैसा आपको मालूम है कि लगातार इस सरकार के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों को टाला जा रहा है। इसी माननीय सदन के अन्दर जिस समय माननीय गनेशदत्त बाजपेयी जी स्वायत्त शासन मंत्री थे, तो वह इस सदन को बराबर आश्वस्त करते रहे कि इसके चुनाव करा दिये जायेंगे। उसके बाद मान्यवर, वह तो चले गये, फिर माननीय सत्य प्रकाश मालवीय आये, मंत्री बने और उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराये जायेंगे। आज मान्यवर, हालत यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव दो महीने की नोटिस पर किये जा सकते हैं। लेकिन इस प्रदेश के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिए लगातार संशोधन किये जा रहे हैं और आज मान्यवर, कहते हैं कि सन् 1980 तक चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं। मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश जारी किया गया है उसका अननुमोदन करें।

---

†दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया सरकार म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराने के हक में नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के पास केवल एक झाड़ू के अलावा कुछ भी नहीं है। ये महात्मा गाँधी के अनुयायी, महात्मा गाँधी की राय थी कि शासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, आज क्या देखते है, नालियाँ सीवर बोर्ड के अन्दर चली गयीं, पीने का पानी जल निगम के अन्दर चला गया, सिवाय झाड़ू लगाने के कुछ नहीं रहा। टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया, इसका नतीजा यह है कि म्युनिसिपैलिटीज अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। इस लिए आवश्यक है कि नई परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी आय का क्या स्रोत है, क्या स्थिति है, इसके लिए तमाम म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्दर संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे एक सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्री नेगी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं.....

विधान सभा सदस्य, श्री खान मोहम्मद आतिफ खां, के साथ लखनऊ के रीजनल पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गयी है और माननीय सदस्य रो रहे हैं सदन के अन्दर। क्या कारण है? इन सारी बातों को देखने की आवश्यकता है।

(खान मोहम्मद आतिफ खां अपनी सीट पर बैठे हुए रो रहे थे)

श्री उपाध्यक्ष—

आखिर क्यों रो रहे हैं?

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मैं पास पोर्ट आफिस गया था कुछ काम के सिलसिले में। वहाँ के लोगों ने कहा कि निकल जाओ उल्लू, मैं बात नहीं करता। श्रीमन्, जब से यह सरकार बनी है, यह बेइज्जती हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह दुर्घटना जहाँ हुई है, जिन आफिसर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी जाँच तुरन्त करावें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इसकी जाँच की क्या बात है? माननीय सदस्य रो करके कह रहे है अपनी बात.....

(शोर)

एक सदस्य—

आँसू बहा रहे हैं, यह मामला गम्भीर न होता तो....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला केन्द्रीय सरकार का है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। यह अधिकारी लोग ऐसा करेंगे यह केवल माननीय सदस्य की बात नहीं है बल्कि यह सारे सदस्यों का अपमान है, सदन का अपमान है मेरा आपसे निवेदन है कि आप तुरन्त इस मामले की जानकारी करें और दोषी अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कोई न कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि आज इसके बारे में भारत सरकार का जो मुहकमा है, उसके सचिव से, मंत्री से बात करके कल इसके बारे में रिपोर्ट दें, सदन में।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

अभी मैंने मा0 आतिफ साहब से बात की है उन्होंने बताया कि पासपोर्ट अधिकारी ने यह भी कहा कि एम0एल0ए0 होंगे तो अपने घर के होंगे ऐसे एम0एल0ए0 टके-टके पर बिकते हैं। अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा उसने आदरणीय सदस्यों को और संपूर्ण सदन को कहा है। इसलिये मान्यवर, मैं उस अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना भी दे रहा हूं और लिखित रूप से दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह लिखकर भेज दीजिये।

*उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है, मैं स्वयं महसूस करता हूं कि कोई भी विभाग हो, चाहे यह दफ्तर हो, चाहे दूसरा दफ्तर हो उसमें अगर इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो वह बहुत अफसोस की बात है, इसके लिये मैं शर्मिन्दा हूं। जिस दफ्तर में सदस्य के साथ यह व्यवहार किया गया वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित है, राज्य सरकार का विभाग नहीं है। जो भी ऐक्शन लिया जा सकता है उस अधिकारी के खिलाफ लिया जायेगा। मैंने कहा कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का विभाग है फिर भी जितना भी हमारे अधिकार में होगा, अवश्य ही किया जायेगा।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें मैं निर्देश दे चुका हूं कि कल इस पर रिपोर्ट मा0 मुख्य मंत्री जी सदन को देंगे कि क्या कार्यवाही की गयी और जैसा मा0 राजेन्द्र कुमार जी ने कहा वह विशेषाधिकार की अवहेलना लिखकर मेरे पास भेज देंगे।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 (क्रमागत)

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, बड़े दुख के साथ, जो माननीय गोविन्द सिंह जी नेगी ने प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव रखा है जिसके ऊपर संशोधन विधेयक यहाँ सामने आया है, कहना पड़ता है कि हर बार हम लोगों से मंत्री जी ने टाइम माँगा है कि एक साल बढ़ा दिया जाये। इसको एक बार प्रवर समिति के पास भेज दें और एक बार बैठकर तसल्ली के साथ एक साल, दो साल, दस साल के समय के लिये प्रवर समिति को दें कि हमारी यह कठिनाई है इसलिये इतने समय में नहीं कर सकते हैं, इतना समय लगेगा। तब जो परेशानी आयेगी वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उचित होगी। लेकिन अभी तो इस सरकार ने हम लोगों के एक प्रवर समिति के प्रस्ताव को जो पहले भी हम कह चुके हैं स्वीकार नहीं किया। मेरा अन्दाज यह है कि आज तीसरी बार फिर इस संशोधन विधेयक के लिये समय माँगा है। म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाईड एरिया, टाउन एरिया का जो चुनाव होने का समय 9 अगस्त, 1979 निश्चित किया गया था उसको बढ़ाकर 30 सितम्बर, 1980 कर दिया गया है।

श्रीमन्, अब भी हमको शंका है कि 30 सितम्बर, 80 तक अगर आपको सदन इजाजत दे भी दे तो क्या आप चुनाव करा पायेंगे? हमको शंका है कि आप चुनाव करा पायेंगे इसलिये मैं दोबारा प्रेस करता हूं कि माननीय नेगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको सरकार स्वीकार करे और तसल्ली से बैठकर इस पर विचार किया जाय, अगर आपको कोई कठिनाई प्रवर समिति के सामने आयेगी और अगर आप कहेंगे, 1985 तक का समय मांगेंगे तो प्रवर समिति 1985 तक का समय दे देगी। हम जानते हैं कि इलेक्शन मंत्री जी नहीं करा पायेंगे जिस मंत्री के पास यह विभाग आता है उसका कुछ समय बाद ट्रांसफर हो जाता है। पता नहीं है कि इस सरकार का ही ट्रांसफर न हो जाय और अगर सरकार गुस्से में आ गयी तो पता नहीं कि यह हमारा ट्रांसफर न करा दे, इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सिंह नगी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और तसल्ली से बैठकर जितना समय आप चाहते हैं, हमको एतराज नहीं होगा। लेकिन एक दफे आप समय ले लें।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो नेगी जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले दिनों से निरंतर हटते चले जा रहे हैं। कोई विशेष बात नहीं है अगर आवश्यक हो तो कुछ समय के लिये हटाया जा सकता है। लेकिन आज इन स्थानीय निकायों की संपत्ति का, टैक्स का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वह जनता के हित में नहीं है। किस प्रकार से टैक्स वसूल किया जाता है और कैसी दरियादिली से उसको खर्च किया जाता है यह किसी भी स्वायत्तशासी संस्था के लिये उपयुक्त नहीं लगता है। श्रीमन्, प्रवर समिति में भेजने का सुझाव इसलिये नितांत आवश्यक है कि जिस समय सत्ता का विकेन्द्रीकरण का प्रश्न हमारे सामने था, जिन लोगों ने इसको दृष्टि में रख कर इन संस्थाओं को अधिकार दिया था, आज उनके पास क्या अधिकार रह गये हैं और क्या वह जनता की सेवा कर सकते हैं यह विषय विचारणीय है।

आज चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और जल निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों को स्वायत्तशासी संस्थाओं से ले लिया गया है, प्रवर समिति इन पर विचार करे कि क्या इन स्थितियों में स्वायत्त स्थानीय निकायों का रहना आवश्यक है भी या नहीं। यदि इनकी आवश्यकता है तो इनको किस प्रकार का कार्य करना चाहिये और कौन से साधन जुटाये जा सकते हैं यह विषय भी विशेष रूप से विचारणीय है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष हम इसकी अवधि बढ़ाते जायं यह उचित नहीं है। 8-8, 10-10 से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुये हैं श्रीमन्, यह जनतांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत इसलिये नेगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और प्रार्थना हूं एक प्रवर समिति बनायी जाय जो इन तमाम मुद्दों पर विचार करे कि क्या वास्तव जातांत्रिक तरीके से स्थानीय निकायों को अधिकार देकर जनता की सेवा में लगाया सकता है। हमारे ए0 डी0 एम0 और एस0 डी0 एम0 के हाथ में सत्ता देकर इनकासर कारी कर दिया गया है। श्रीमन्, यह प्रजातांत्रिक नियमों के विपरीत है इसलिये मी जोरदार में श्री नेगी के प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्कलाब लाने वाली जनता पार्टी जिसका यह विचार था कि जनसमूह में इंकलाब आये और इन्होंने प्रजातंत्र का एक बीड़ा उठाया था कि हम सब को आजादी देंगे लेकिन आज उसको छीन लिया है। आज हालत यह है कि नगर महापालिकाओं, नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज की इन्होंने आजादी छीन लिया और इस तरह आज वह नगर महापालिकायें नर्क हैं शहरों के लिये। सड़कों और बिजली का काम अधूरा है। पानी की समस्या शहरों में बड़ी विकट है। लेकिन फिर भी इसमें यह समय माँगते हैं कि प्रतिनिधियों का चुनाव 1980 तक हो। सारे प्रदेश में आज सफाई की बड़ी दुर्दशा है, लोग स्लम्प में रह रहे हैं जिसमें इस प्रदेश में 30 प्रतिशत लोगों को टी0 बी0 हो जाती है। चूंकि नगरमहापालिकाओं में जो सफाई आदि का इंतजाम होता था वह प्रतिनिधियों के हाथ में न होने के कारण प्रशासक उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह तानाशाह और ब्यूरोक्रेसी के तरीके से नार्मल व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सकते हैं जिससे पानी और मकान का टैक्स ठीक प्रकार से नहीं लगाया जाता है। इसलिये गोविन्द सिंह नेगी ने जो इसके समाधान करने के लिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही है उसमें मैं भी समझता हूं कि उसका सही तरीका यही है क्योंकि रोज यह समस्या रखी जाती है कि इलेक्शन के लिये समय बढ़ा दिया जाय। तो यह ठीक नहीं है। इसलिये इसका सीधा तरीका यही है कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो यह प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसका समर्थन करने के पहले मान्यवर, एक विशेष बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब चिन्ता की बात यह है कि कितनी बार ही यह बात कही गयी कि अध्यादेशों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में करना चाहिये इसलिये मेरा सरकार पर स्पष्ट आरोप है कि परिस्थिति को पहले से आँकने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। 15 जून तक इसके पहले सत्र चला था तो सरकार को जानकारी थी कि चुनाव समय पर नहीं करा पायेंगे इसलिये सरकार को विचार करने की बात थी कि विधेयक लाकर समय बढ़ा लें लेकिन उस समय यह नहीं किया गया चूंकि उस समय यदि यह प्रस्ताव लाया जाता तो विरोधी बातें कहीं जातीं। इसलिये जब सत्रावसान हो गया तो उस समय अध्यादेश द्वारा यह घोषित किया गया कि चुनाव के लिये फिर समय बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, सरकार के प्रजातंत्र विरोधी एवं चुनाव के टालने की बात का यह परिचायक है। उस समय यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस सदन में एक बार समय बढ़ा रहे लेकिन अब समय नहीं बढ़ायेंगे किन्तु फिर समय बढ़ा दिया गया। इसलिये सरकार की जो नीति और दृष्टि है वह स्पष्ट नहीं है। सत्रावसान के बाद अध्यादेश लागू कर दिया जायगा और अगली बार फिर एक बिल आयेगा। मै साफ तौर पर इस बात का आश्वासन करता हूं कि इस बात का इस सदन में वायदा कीजिए कि यह जो विधेयक है इसमें जो समय बढ़ाया जा रहा है इसके बाद आगे कभी भी चुनाव के लिए समय नहीं बढ़ाया जायगा।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वस्त सूत्रों से मंत्री सूत्रों से यह बात सामने आई है कि शायद चुनाव का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद शासन की ओर से नगरपालिकाओं के लिए सलाहकार समितियाँ बनाई जायेंगी जैसी कि जिला परिषदों में बनाई गई है। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से सरकार की इस कोशिश की भर्त्सना करता हूं और विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मंत्री जी उत्तर देने के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खड़े हों तो इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी तरह की कमेटियाँ नहीं बनाई जायेंगी मान्यवर, आज मैं इधर बैठा हूं इसलिये यह बात नहीं कह रहा हूं। जब मैं उधर बैठा करता था उस समय भी मैंने यह बात कही है कि किसी भी निर्वाचित पद पर शासन की ओर से नामांकन होने की प्रथा समाप्त होनी चाहिये। निर्वाचित पदों पर, खाद्यान्न समितियों में जिला परिषदों में, नगरपालिकाओं में नामांकित प्रतिनिधि हों यह प्रजातंत्र का गला घोटना है। इसलिए इस प्रथाको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है इसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति में चला जाय और वहाँ पर विचार करके सदन इस पर विचार करे। चुनाव का कराना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वे नियंत्रण के बाहर हो गयी हैं।

एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन मेरे सीतापुर नगरपालिका में एक सज्जन हैं जो अपने को मंत्रिमंडल के एक सदस्य का दामाद बताते हैं और मनमाना काम करते रहते हैं। किसी का यदि सस्पेन्शन हो गया तो चले आये किसी का ट्रांसफर करा दिया, ई0 ओ0 का ट्रांसफर रुकवा दिया। मान्यवर, यह भाई भतीजावाद, यह प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए।

दूसरी ओर सीतापुर नगरपालिका में ई0 ओ0 जिनके खिलाफ जाँच हुई मैजिस्ट्रेट ने आरोप सिद्ध कर दिये लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। बार-बार मैं मंत्री महोदय से मिला कि यह आप क्या कर रहे हैं तब कहीं उसको हटाया गया। लेकिन ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आरोप सिद्ध हो गये तो ई0 ओ0 के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई।

निर्माण कार्य बिल्कुल ठप्प। प्रशासन पैसा इसके लिये देता है, पैसा चला गया क्योंकि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। काम ठप्प, व्यवस्था ठप्प, इसलिये यह बात आवश्यक है कि नगरपालिकाओं मे काम सुचारु रूप से कराने के लिये वहाँ पर जन प्रतिनिधि जाय, संविधान में जो नागरिक अधिकार दिये गये हैं उनको दिया जाय, निर्वाचित लोग नगरपालिकाओं में जाय। इस बात के साथ मैं इस प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नेगी जी ने जो यह प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि यह बार-बार का जो टाइम माँगना है यह नहीं होना चाहिए। साथ-साथ नगरपालिकायें अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही हैं इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति पूरी तरह से इस पर विचार करे। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि नगरों में बसने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके रहन-सहन में सुधार हो, उनके मुहल्लों में प्रकाश पहुंचे, उनके मुहल्लों में पानी पहुंचे और इसका दायित्व नगरपालिकाओं पर है। लेकिन मैंने देखा कि नगरपालिकायें अपना दायित्व नहीं निभा रही हैं। तो इसमें सजा का भी प्राविधान होना चाहिये। मान्यवर हमारे सीतापुर में एक हरिजन और बाल्मीकियों का मुहल्ला है। जो बाल्मीकि दिन भर सफाई करते हैं, सीतापुर नगर के उनके मुहल्ले में मई जून के महीने में भयंकर आग लग गयी।

श्रीमन्, आप भी गये उनके मुहल्लों में। मान्यवर, वहाँ की औरतें नंगी काम करती रहीं, उनके आदमी काम करते रहे लेकिन नगरपालिका की तरफ से कोई भी काम उनके लिये नहीं किया गया। बहुत लड़ाई के बाद करीब 300 गज की दूरी पर एक पानी का नल लगाया गया। आज सीतापुर का बाल्मीकियों का वह मुहल्ला पानी से, रोशनी स तरस

[श्री गनेशी लाल चौधरी]
रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों के लिये जो नगरपालिकाओं और महानगर-पालिकाओं का दायित्व है कि हरिजन के मुहल्लों को स्वच्छ रखें, वहाँ पानी और बिजली पहुंचे उस दायित्व को वे पूरा नहीं कर पा रही हैं। उसके लिये सजा का प्राविधान इस अमेंडमेंट के जरिये से आना चाहिये। तो मैं चाहूंगा कि इन सारे मसलों पर अगर यह प्रवर समिति में चला जाय तो विचार हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ माननीय नेगी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

(इस समम सदन की बिजली चली गयी)
(बिजली आने पर)

श्री गनेशी लाल चौधरी--
मान्यवर, आखिरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--
अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--
मान्यवर, माननीय नेगी साहब ने प्रवर समिति के समक्ष भेजने का यह प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, ये जो समग्र क्रान्ति के लम्बरदार थे और जो लोक-तंत्र के पुजारी हैं, इनसे 2-4 प्रश्न जरूर करना पड़ता है। ये जो उधर बैठे हैं, चाहे चड्ढी वाले हों या लंगोट वाले हों, इनकी दोनों की सरकार को देखा और इकट्ठा भी देखा। बीच में बुर्के वाले बैठे हैं।

श्री रियासत हुसैन--
मान्यवर, अभी माननीय मित्रसेन जी ने चड्ढी वालों और लंगोटी वालों की बात कही। तो क्या उनके पास कुछ भी नहीं है?

श्री मित्रसेन--
मान्यवर, कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र हिन्दुस्तान है जहाँ पर स्वायत्त शासी संस्थायें इस जनतंत्र की रीढ़ हुआ करती थीं। पंचायतें, जिला परिषदें, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिकाएं आदि जनतंत्र की रीढ़ हैं। इनसे चुनावों को, अधिकारों को भंग करके जनता के मूल अधिकारों पर हमला किया गया है। रियासत हुसैन साहब कह रहे थे कि चुनावों की गारन्टी यह सरकार दे ही नहीं सकती तो वह सही कह रहे थे। सरकार का ही ठिकाना नहीं है। इसलिए रियासत साहब की बात सही है। इन संस्थाओं में शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। इन सारी व्यवस्थाओं पर आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अफसर बैठे हुये हैं। अफसरों की जो हालत है वह आप देख ही रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सारे मामले को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं नेगी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--
मान्यवर, मैं समझता हूं कि पूरा देश इस बात से सहमत होगा कि देश के मनीषियों ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर विशेष महत्व दिया था और उसी के सन्दर्भ में हमारे देश में स्वायत्त शासी संस्थाओं को मान्यता मिली है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय रहा कि विगत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई वर्षों से इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हो पाये इस प्रदेश में। सच तो यह है कि प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित मंत्री की इच्छा से पुर:स्थापित कर दिये जाते हैं और फिर वह अपनी मनमानी करते हैं। यह बात छिपी नहीं है और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम सभी जानते हैं कि किस-किस प्रकार से भ्रष्टाचार इन संस्थाओं में फैल रहा है। दिनों दिन भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। जब से यह सेक्युलर सरकार आयी है इस भ्रष्टाचार के बढ़ने की गति और तेज हो गयी है। प्रभारी अधिकारी जल कर और गृह कर लगाते जाते हैं और उनकी वसूली होती है। जनता प्रतिनिधि अगर वहाँ होते हैं तो वह जनता की सुख सुविधा का भी ध्यान रखते हैं और यह भी देखते हैं कि जनता पर भार न बढ़ने पावे। एक बात मैं और साफ कहना चाहता हूं कि जबसे वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री आये हैं उन्होंने इन संस्थाओं में मनमाने ढंग से तदर्थ नियुक्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। मिर्जापुर में राबर्टसगंज में इन्होंने सचिव के पद पर अपने भतीजे को नियुक्त कर दिया है। इतना ही नही ये अपने कार्यकर्त्ताओं को अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये नियुक्त कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार की नियुक्तियाँ न करें। इन शब्दों के साथ मैं नेगी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह इन संस्थाओं का शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने की घोषणा यहाँ करें।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्दसिंह नेगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव इस सरकार ने कई बार टाले हैं। कई बार तो यह तय हो गया कि फलाँ तारीख को चुनाव हो जायेंगे, राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्र भी स्वीकार कर लिये लेकिन ऐन मौके पर चुनाव स्थगित कर दिये गये। इन चुनावों के न होने से आज नगर महापालिकाओं में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जो चिन्ता का विषय है।

कानपुर नगरमहापालिका में उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। कैनाल पटरी पर अनधिकृत दूकानें बन गयी हैं। उन लोगों ने उनको बनाया है जिनके साथी आज सत्ता में बैठे हैं और उस क्षेत्र का नाम भी वहाँ के नागरिकों ने चौधरी नगर रख दिया है। राजेन्द्र कुमार जी कह रहे थे कि सीतापुर नगरपालिका में एक अधिकारी हैं जो अपने को मंत्रि परिषद् के सदस्य का दामाद बतलाते हैं। इसी प्रकार कानपुर प्राधिकरण में एक अधिकारी अपने को चौधरी चरण सिंह का निकटस्थ तथा ज्योतिषी बतलाते हैं। वह अधिकारी महीनों छुट्टी लेकर दिल्ली में पड़े रहते हैं। उनकी छुट्टी का कोई रिकार्ड भी नहीं रहता है। अधिकारियों पर वह बेजा दबाव डाल कर धमकाते भी हैं कि कोई बात उनके खिलाफ की गयी तो चौधरी चरण सिंह से कह देंगे। उनका दोबारा स्थानातरण भी किया गया। एक बार मालवीय जी ने किया और दूसरी बार गणेशदत्त बाजपेयी जी न किया। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दोनों बार उनका स्थानान्तरण चौधरी चरण सिंह ने रुकवा दिया। गणेशदत्त बाजपेयी जी ने जब कहा तो राम नरश यादव जी ने फाइल मंगवा कर उनके स्थानान्तरण को रुकवा दिया था। इस प्रकार की स्थिति कानपुर नगरमहापालिका में व्याप्त है। इन शब्दों के साथ मैं नेगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे यह सदन स्वीकार करें। यही प्रार्थना करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मान्यवर, नेगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में मैं भी चाहता हूं कि चुनाव हों, सरकार भी चाहती है कि चुनाव करायें जायं लेकिन अपोजीशन का भी फर्ज है कि वह उसमें सहयोग दे लेकिन बजाय सहयोग देने के वह रात दिन नो कानफिडेंस मोशन लाने में व्यस्त हैं और तरह-तरह की साजिशें करके सरकार को गिराने में मशगूल हैं। फिर सरकार कैसे काम करेगी, चुनाव करा सकेगी और शासन का काम ठीक से चल सकेगा ?

श्री रियासत हुसैन—

हमें अधिकार दे दिये जायं तो हम चुनाव कराये देते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

अपोजीशन खुद चुनाव नहीं कराना चाहता। यह इलेक्शन से डरते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। हम तो इलेक्शन कराना चाहते हैं लेकिन हमें काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता। अपोजीशन को चाहिये कि इसमें पूरा सहयोग दें। अगर सरकार को काम करने का मौका दिया जायगा तो प्रशासन ठीक तरह से काम करेगा चाहे वह म्युनिसिपल इलेक्शंन्स हों या दूसरे इलेक्शन्स हों वे सब करा दिये जायंगे। इसलिये मैं नेगी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

सिर्फ दो मिनट का समय दें .....

श्री उपाध्यक्ष—

केवल लोक हित (पब्लिक इन्टरेस्ट) की बात कहें।

श्री मान सिंह आजाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेगी जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। गांधी जी ने और अन्य राजनीतिक लोगों ने यहाँ पर चौखम्भा राज की स्थापना का सपना देखा था.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं।

*श्री मानसिंह आजाद—

आज चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं। क्यों जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। यहाँ पर लखनऊ नगर महापालिका में मैंने मंत्री जी से एक सड़क के बारे में पूछा था। यहाँ कहा, गेस्ट हाउस से टेलीफोन किया कि उस सड़क के बारे में क्या हुआ तो उसके जवाब में नगर महापालिका के अधिकारी ने कहा कि वह सड़क बनना शुरू हो गयी है और उसमें ट्यूबलाइट लगेगी। मैं कहना चाहता हूं कि उस सड़क में अभी एक भी कंकरीट नहीं पड़ी है और कोई बिजली की व्यवस्था उसमें नहीं की गई है। लखनऊ में इतनी गन्दगी फैल गई है, मच्छरों के मारे मलेरिया यहाँ पर फैल रहा है, हरिजनों के मुहल्लों में यह बीमारी बहुत हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं लेकिन आप की नगर महापालिका कुछ नहीं कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके स्वीपर्स हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं। जहाँ तक हाउस टैक्स की बात है, वाटर लाइन नहीं है, टोंटी भी नहीं है परन्तु उनके पास एक फार्म आ रहा है कि जल कर दीजिये। इसी विधान सभा में शासन द्वारा यही आदेश दिया गया था कि 360 रुपये की जिसकी मिल्कियत मकान की होगी उसको माफ किया जायेगा लेकिन आज भी उसे हाउस टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन चौधरी चरण सिंह की—यह कठपुतली की सरकार जनतंत्र को पसन्द नहीं करती है। तानाशाही की हुकूमत इस प्रदेश में है नहीं तो यहाँ पर स्वायत्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासी संस्थाओं का चुनाव अवश्य हो जाता। मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जनतंत्र को बचायें और चुनाव करायें जो कि जनता पार्टी के तत्वावधान में आपने कहा था।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

माननीय सदस्य जरा धीरे बोलें, ताकि सुना जा सके।

श्री मान सिंह आजाद---

इसलिये जो प्रस्ताव माननीय नेगी जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि आज जनतंत्र की हत्या चौधरी चरण सिंह ने और उनकी तानाशाही सरकार ने कर दी है और वीधान्भा राज को समाप्त किया है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं तमाम उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। मान्यवर, आपने देखा है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है उसमें सबने मेरा साथ दिया है। आज इन म्युनिसपैलिटियों के साथ किस ढंग की राजनीतिक अखाड़ेबाजी चल रही है इसकी मैं एक मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूं। एक जनता पार्टी के सदस्य माननीय हरगोविन्द सिंह हैं उन्होंने जोया में अपने क्षेत्र में एक टाउनएरिया को 16-4-79 को नोटिफाई कराया। बदकिस्मती से उनका झगड़ा माननीय ख्यालीराम शास्त्री से हो गया उसकी रिपोर्ट 9-5-79 को हो गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि जो टाउन एरिया नोटीफाई हुई थी वह 25-5-79 को डीनोटिफाई हो गयी। इस तरीके से आपसी गुटबन्दी की वजह से प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अन्दर कुछ ऐसे संशोधन रखने पड़ेंगे ताकि हमारी जो बेसिक इकाइयां हैं जनतंत्र की, उनके साथ खिलवाड़ न हो सके। मैं नहीं जानता कि कार्यवाहक मंत्री इसको स्वीकार करने की स्थिति में हैं कि नहीं क्योंकि उनके विभाग से यह संबंधित नहीं है। लिहाजा सदन से अपील करूंगा कि इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

मान्यवर, स्थानीय निकायों के पुनर्गठन और उनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और इस विषय में अपने सुझाव भी दिये। इसमें सन्देह नहीं है कि प्रदेश में जितनी भी नगर महापालिकायें, नगर पालिकायें और संस्थायें हैं उनकी कोई न कोई समस्या अवश्य रही है। उनका एक मात्र कारण यह नहीं है कि उनके चुनाव नहीं हुए। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिये यह विधेयक आ रहा है। इन सबको देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न है कि शीघ्रातिशीघ्र इनका चुनाव करवाया जाय और चुनावों के माध्यम से इन नगर महापालिकाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं की समस्या हल की जाय। मान्यवर, यह जो समय बढ़ाया जा रहा है यह केवल इन व्यवस्थाओं को जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है उनको पूरा करने के लिए है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं और यह भी स्वीकार करता हूं कि इन संस्थाओं के सुधार के लिए शीघ्र चुनाव हो जाने चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शासन की ओर से इस दिशा में कोई ढील नहीं दी जायेगी और शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करा दिये जायेंगे। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए प्रवर समिति का गठन किया जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और यह जो शासन की ओर से इस प्रकार का अच्छा सुझाव आया है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, नेगी जी ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह 4 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 और 3 में, जहाँ-जहाँ शब्द "दो वर्ष की अवधि" आये हों, उनके स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980 तक" रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश, नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1979" के स्थान पर, "अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" रख दिए जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, सन् 1979

4--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2 और 3 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979†

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है। मान्यवर, इसमें भी यही परिस्थितियाँ हैं, बोस जी बैठे हैं यहाँ, यह इसमें तीसरा संशोधन ला रहे हैं। उन्होंने तो एक डेडलाइन डिक्लेयर कर दी थी—शायद 30 जून की तारीख रखी थी कि इस तारीख तक जिला परिषदों के चुनाव अवश्य करा दिए जायेंगे, लेकिन वह तिथि भी टल गयी। स्वायत्त शासन मन्त्री तो यह भी कह सकते हैं कि पहले बाजपेयी जो थे, वह निकल गये, फिर सत्य प्रकाश जी आए, वह निकाले गए और यह कब तक रहेंगे, वह इसे नहीं जानते। लेकिन हमारे बोस जी इसके बारे में क्या जवाब देने की स्थिति में हैं कि कौन से कारण हैं कि वह इसके चुनाव को आगे टाले जा रहे हैं ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके बारे में कुछ कारण तो बतायें कि किस कारण से इस पर विचार किया जाय, किस लिए इस पर विचार किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह बाद में कहना चाहते होंगे, आप इसके लिए उन्हें बाध्य क्यों कर रहे हैं ?

---

†दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधात्री परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जब से जनता पार्टी का राज्य आया है, परम्पराएं वही हैं जो कांग्रेस की थीं। कांग्रेस ने परम्परा डाली थी कि अगर कहीं उनकी पार्टी का प्रमुख नहीं हैं, जिला परिषद् का अध्यक्ष उनका नहीं है तो वह उसको भंग कर देते थे। उसी परम्परा को जनता पार्टी वालों ने निभाया है। पहले तो जिला परिषदों को भंग कर दिया गया, क्योंकि उसके अध्यक्षों में जनता पार्टी का कोई नहीं था। उसके बाद क्षेत्रीय समितियाँ थीं और उनमें भी उनके अपने आदमी नहीं थे, इसलिए उनको भी भंग कर दिया गया और एक विशेष संशोधन के जरिए जो प्रमुख का पद था, वह भी समाप्त कर दिया गया। आज देहातों में हालत यह है कि जिला परिषद् का मतलब है जिला कलेक्टर और क्षेत्र समिति का मतलब है बी0डी0ओ0। इस तरह से पूरे ग्राम्य विकास के कार्य को नौकरशाही के हाथ में छोड़ दिया गया है। मैं नहीं समझता कि आखिर वे कौन से कारण और परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण आज वह जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के चुनाव कराने में असमर्थ हैं। आज केन्द्र में दो महीने की नोटिस में सारे देश में पार्लियामेन्ट के चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इनके नहीं। पिछली मई में 2 महीने की नोटिस पर 8 प्रदेशों की विधान सभाओं को भंग करके चुनाव करा दिए गये, तो मैं माननीय बोस जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप को कौन सी कठिनाई आ रही है कि आप लगातार 3 बार इस ऐक्ट में संशोधन करके, बावजूद स्पष्ट आश्वासन के, इनके चुनावों को बराबर टाले चले जा रहे हैं ?

दूसरी बात यह है कि आज जैसा नगरपालिकाओं का स्वरूप है, वैसा जिला परिषदों का भी है। पेय जल की योजना जिला परिषद् से चली गयी, जल संस्थान स्वास्थ्य जिला परिषद् के हाथ से चला गया, शिक्षा विभाग चला गया, माइनर इरीगेशन जिला परिषद् के हाथ से चला गया। आज कौन सा विषय जिला परिषद् के अन्दर है, सिवाय इसके कि टैक्स लगायें और कर्मचारियों को तनख्वाह दें। जो बुनियादी मकसद था जिला परिषदों के गठन का, देहाती क्षेत्र के अन्दर स्वायत शासी संस्थाएं बनेंगी, सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, आज नौकरशाही हावी है। तमाम उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के अन्दर भेज दिया जाय। उसके अन्दर विचार हो, अन्य राज्यों में जो बेसिक डेमोक्रेटिक यूनिट्स हैं उनकी क्या फंक्शनिंग होती है। उसका अध्ययन करके, किस प्रकार हमारे देश के अन्दर ग्रामीण समाज की स्थापना हो, संयुक्त प्रवर समिति में इस पर विचार करने के बाद, पूरा काम्प्रीहेंसिव बिल सदन के अन्दर लायेंगे। आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

*श्रीमन्, मैं माननीय नेगी द्वारा जो प्रवर समिति को भेजने का संशोधन है, उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आप हमारे और बोस जी का फैसला करवा दीजिए इसलिए कि तीसरी चौथी बार बोस जी ने स्वयं समय माँगा है। वैसे सब जानते हैं, वह भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब से जनता पार्टी का शासन आया, जितनी भी लोकल बाडीज हैं, उन सबको खत्म करने का प्रयास किया। जिला परिषद् खत्म, क्षेत्र समितियाँ खत्म, प्रमुख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खत्म किए और जिला परिषदों की फिर कमेटी बना दी। वह जो एडवाइजरी कमेटी कहलाती है जिसमें हम लोग भी मेम्बर हैं वह भी अपने-अपने जिलों में देखते हैं जब से नई समितियाँ बनी हैं, जिला परिषदों का काम बिलकुल ठप हो गया है। उसके अन्दर यह भी लिखा है, अब कलेक्टर उसका अध्यक्ष नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है। आपके पहले जब माननीय मुख्य मन्त्री तो इसी तरह अध्यक्ष थे, माननीय सदस्यों को लिखा था कि जिला स्तर की जो कमेटियाँ हैं, जिनका कोई माननीय सदस्य मेम्बर हो, उसका अध्यक्ष कलेक्टर को नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसी कमेटी कोई हो, तो आप लोग न रहें। यह बात ठीक है उस चीज को सामने रखते हुए उस जिला परिषद् के अन्दर हम लोगों से आप से मशविरा करके जिसे अध्यक्ष चुन लें वही अध्यक्षता करता है। लेकिन साथ ही साथ उसमें जिले के अधिकारी, जिला परिषद् के सेक्रेटरी, एग्जिक्विटिव आफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर जो उसके अधिकारी हैं उनमें अजीब भावना पैदा हो गयी है कि चूंकि जिला का अधिकारी उसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा है इस कमेटी में बैठकर कोई चीज पास हो, उसको पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जब हम लोग चिट्ठियाँ लिख कर भजेंगे कि मीटिंग बुलाया जाय तो शायद मीटिंग बुलाई जाती है। इस तरह से जिला परिषदों का सारा काम ठप हो गया है।

दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इसी सदन के अन्दर आज आपने इसका समय माँगा 9 अगस्त, 1980 तक। कल माननीय शिव मंगल सिंह मण्डी समितियों का टाइम बढ़ाने के लिए कहेंगे इसलिए कि अभी माननीय बोस जी ने अभी प्रधानों का चुनाव नहीं कराया। उन्होंने क्षेत्र समितियों का संगठन नहीं किया है, जिला परिषदों का संगठन नहीं किया है। इसलिए मण्डी समितियों का वोटर मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो बोस जी, आप जरा रहम खाइए। आपसे सम्बन्धित दूसरे भी हैं। बोस जी ने कार्यकाल बढ़ा दिया है, इसलिए मजबूरी में दूसरों को भी समय बढ़ाना होगा। आप एक बार बता दीजिए कि कितना समय आप चाहते हैं और उस समय के बाद आप चुनाव अवश्य करा दें। आप कहाँ तक प्रवर समिति के प्रस्ताव को रुकवायेंगे। एक बार निश्चय कर लो और घोषणा कर दो कि यह अन्तिम तारीख है और उसके बाद किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ायेंगे, तो ठीक है। बात यह समझ में आती है। इस तरह से आप सदन का समय क्यों बरबाद करते हैं? यह पूरे ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित है जहाँ पर 85 प्रतिशत जनता रहती है। आप उस पर रहम खाइए। इसको अगर आप प्रवर समिति के पास भेज दें तो जो इस दौरान जो कमियाँ सामने आई हैं उन पर भी विचार हो जायेगा और इस प्रकार से एक अच्छा बिल आ सकेगा। तब तक अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट भी आ जायेगी। इसीलिए मैं नेगी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

हम लोगों ने पास कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैंने तो इसको सदन पर छोड़ रखा है।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि हमारा इरादा चुनाव कराने का रहा है। चुनाव निदेशालय से चुनाव कराने की व्यवस्था के लिए कहा लेकिन उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव जून तक नहीं करा सकते हैं और जब तक इनका चुनाव नहीं होगा तब तक क्षेत्र समितियों के चुनाव सम्भव नहीं हैं। मैंने ग्राम पंचायतों के चुनाव की अवधि मार्च, 80 तक बढ़ाई थी। यह 9 महीने की अवधि है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव निदेशालय वह चुनाव नहीं करा सकेगा। हमारा तो इरादा बिल-कुल साफ है और पक्का है। इसलिए मैं ढोंगी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नेगी जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी करायेंगे, लेकिन मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रति-वेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2,3 खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

(2) यह 4 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, अंक "1979" के स्थान पर अंक "1980" रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 17 सन् 1979

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979†

*उप मुख्य मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर विधेयक के तहत आरम्भ में 30 एकड़ जमीन पर कर लगाया जाता था और 3600 रुपए उसकी रेन्टल वैल्यू होती थी। उसके बाद जमीन की सीलिंग कम कर दी गयी और वह कुल 18 एकड़ रह गयी। इस ऐक्ट के मातहत 18 एकड़ जमीन पर जो हमने कर लगाया और जितना खर्च साल भर में होता है उतनी आमदनी इस महकमें की या ऐक्ट के लगने से नहीं होती थी। इसलिए यह निश्चय किया है गया कि इसको समाप्त कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में हमें वित्त विभाग ने भी यह कहा कि इससे हमें कोई लाभ नहीं है। लोक लेखा समिति ने भी हमें यही सुझाव दिया कि इसको खत्म किया जाय। इसमें कुछ पुराने केसेज हैं जो चल रहे हैं। नये केसेज बहुत कम हैं। लकड़वाला की जो 1974 की रिपोर्ट है उसमें भी और स्वयं रेवेन्यू विभाग ने कहा है कि इसके रहने से कोई लाभ नहीं है। वर्ष 1974–75 में 16 लाख रुपए टैक्स लगाए गये और 4 1/2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। वर्ष 1975–76 में 13 लाख के करीब टैक्स लगा और 5 लाख रुपया खर्च हुआ। वर्ष 1976–77 में 11 लाख रुपए का टैक्स लगाया गया और खर्चा 4 लाख रुपये का हुआ। जो खर्चा हुआ वह सिर्फ एस0डी0एम0 तक की कोर्ट्स में हुआ। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। अगर आप देखें तो पायेंगे कि लगभग 4000 केसेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। अगर

---

†दिनाँक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण सिंह]

किसी पर टैक्स लगता है तो वह उसी साल में स्टे आर्डर ले आता है। तो इससे कोई लाभ नहीं है सिवाय नुकसान के और खर्चा उससे ज्यादा हो जाता है जितना हम वसूल भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको खत्म किया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 1963 में यह लार्ज होल्डिंग्स बिल उन लोगों पर लगा था जो 30 एकड़ तक जमीन रखते थे या जिनकी 3600 रुपए सालाना आमदनी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि इस ऐक्ट को यहाँ लाने की मन्त्री जी को जरूरत क्यों पड़ी। जमीन से सम्बन्धित सभी बिलों की जगह एक नया बिल लाने के लिए एक बिल पहले से ही प्रवर समिति के सामने विचाराधीन है और उसके लिए आज ही समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो अच्छी चीज है। जो माननीय मन्त्री जी लाए हैं, क्या आप इसको नहीं चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह कह रहा हूं कि यह बड़ी आसानी से प्रवर समिति के सामने जा सकता था। जिस वक्त यह ऐक्ट बना था उस समय से आज जमीन का लगान बढ़ कर पाँच गुना हो गया है। आज जमीन का लगान इर्रीगेटेड और अन-इर्रीगेटेड लैण्ड के हिसाब से लगाया जाता है। पहले जमीन के हिसाब से लगान होता था। जिस तरह की जमीन होती थी उस हिसाब से लगान लगाया जाता था। तो यह रेन्टल वैल्यू जो फिक्स की जाती है वह उसी लगान के हिसाब से की जाती है। आज लगान 5 गुना बढ़ गया है। इस तरह जिनके पास जमीन सीलिंग की वजह से घट कर 18 एकड़ या साढ़े 12 एकड़ रह गयी है वे काश्तकार भी इस इनकम में आ जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन बड़े काश्तकारों को बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि रेन्टल वैल्यू के हिसाब से यह लोग भी इसमें आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको इससे लाभ मिलेगा या नहीं ?

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन—

मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। इससे लाभ उन बड़े-बड़े काश्तकारों को होगा जिनकी जमीन सीलिंग कम हो जाने के कारण 18 एकड़ पर आ गई है, लेकिन लगान का रेट बढ़ जाने की वजह से और ऐनुअल रेंटल वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, वह 3600 को क्रास कर जायगी। श्रीमन्, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। 1971–72 में मौजूदा सीलिंग जो आई और अब 79 है, तो 79 तक जो इन लोगों के ऊपर, जिन पर असेसमेंट हो चुका है, इसके निरस्त होने से वह बड़े-बड़े काश्तकार बिलकुल साफ चले जायेंगे, जिनके ऊपर लगा हुआ है, अब तक का बकाया पड़ा हुआ है। इन सात सालों के अन्दर लार्ज लैन्ड होल्डिंग्स के ऊपर कितना रुपया आपका बकाया था ? क्या वसूल करेंगे आप ? उसको या इसके निरस्त करने के साथ-साथ वह भी निरस्त हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ये दो-तीन बातें जो हैं, इससे रैश मालूम होता है। जो बड़े काश्तकार हैं, साढ़े 12 एकड़, 18 एकड़ वाले वह नहीं बचेंगे, उनको बचाने के लिए यह सारा षड़यन्त्र किया जा रहा है। तो इसलिए श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि ऐनुअल रेंटल वेल्यू क्या है, अलग-अलग पूरे सूबे के अन्दर, अलग-अलग है, कितना रुपया विकास पर खर्च हो गया, कहाँ की जमीन कितनी इरीगेटेड हो गयी, कहाँ लगान क्या हो गया, यह इसमें ऐसे विषय आ गये जिसको कि साधारण तरीके से हल नहीं किया जा सकता। एक पार्टिकुलर आइटम पर जो भी प्रवर समिति का मशविरा होगा, उसी को रेवेन्यू बिल के सामने, उसमें इसका समावेश हो जायगा। इस ईशू पर विचार करने के बाद इसको केवल एक हफ्ते के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाय। 2–4 मुद्दे इसमें जो ऐसे हैं, जिसमें विरोधाभास है, तो वह सब चीजें सामने आ जायेंगी और उस प्रवर समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर जो बातें हैं, उसका समावेश हो जायगा। इसलिए मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय रियासत साहब ने कहा कि इस बिल का कोई औचित्य नहीं है, मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि किन परिस्थितियों में यह बिल लाया गया है हमारे माननीय श्यामधर मिश्र जी झांक रहे हैं सदन में, लगता है उनका प्रभाव इस शासन पर बहुत अधिक बढ़ गया है और इसीलिए माननीय उप मुख्य मन्त्री जी ने यह विधेयक पेश कर दिया है। निश्चित रूप में। मैं यह सोचता था कि आपका प्रभाव क्यों माननीय उप मुख्य मन्त्री के ऊपर ही है, परन्तु आज मैं समझा कि इस सरकार पर पूरे रूप से आपका प्रभाव है, जिसका फल है कि यह विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है और बड़े लोगों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुझे विश्वास है हमारे उप मुख्य मन्त्री जी नहीं उठाते, यदि आपकी प्रार्थना नहीं होती, आपका प्रोत्साहन नहीं होता।

जहाँ एक–एक पैसे की प्रदेश के विकास के लिए आवश्यकता है, वहाँ यह कह कर कि ज्यादा आमदनी नहीं है, इसे समाप्त किया जाय, यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक पैसा भी हमारा इस गरीब देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आप राहत दे रहे हैं, आप जब जनता पार्टी के राज्य में, जिसमें हम और आप भागीदार रहे हैं किरोसिन तेल, जो गरीब इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स लगा दिया गया है बजट को ठीक करने के लिए। वहीं आज बड़े किसानों को यह राहत दी जाय, यह उचित नहीं होगा। इसलिए म कहना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्य मन्त्री जो इस पर विचार करें और जहाँ यह कहा जाता है कि सीलिंग के कानून से यह हदबन्दी हो गयी है खाते छोटे हो गये हैं, यह बिल्कुल ही तथ्यहीन है। आपको भी अनुभव होगा, जो लोग सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में हैं उन्हें और बड़े-बड़े भू-पति, बड़े-बड़े पूंजीपति या उनके सरमायादारों के लोग हैं, उनको भी प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव होगा। खाते हो गए 18 एकड़ के लेकिन मौके पर 2–2 सौ एकड़ के फार्म चल रहे हैं। मैके नाइज्ड खोजी होती है। रेवेन्यू के अधिकारी सब फर्जी इन्दराज करते हैं। वहाँ 18–10 एकड़ के कुत्ते के नाम से, घोड़े के नाम से खाते खुले हैं। इसलिए उप मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करें। अगर आप इसे पास कराना चाहते हैं, पास करा लें, लेकिन आप मुस्तैदी से जो कानून लागू है, उसे अमली जामा पहनावें। जिस प्रकार से गया की जमीन बिहार के मुख्य मन्त्री श्री श्याम सुन्दर ने बंटवा दी, उसी प्रकार आप भी ऐसे कार्यक्रम चलवायें जिससे बड़े-बड़े लोग, जो बड़े-बड़े फार्मों को पकड़े हुए हैं, एक–दो जगह आप स्वयं जावें, फार्मों को बटवा दें। आप अमर हो जायेंगे। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता आपका नाम हमेशा लेगी। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा इरादा बोलने का नहीं था लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मैनेजर सिंह जी को जिन्होंने दल बदल करके . . . . . .

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने दल नहीं बदला है। जनता पार्टी से चुन कर आया था और जिस दिन दल-बदल करूंगा, त्याग-पत्र दूंगा इस सदन से।

श्री श्यामधर मिश्र—

जो मैं कह रहा था सुनिए, प्रेमपूर्वक सुनिए। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय मैनेजर सिंह जी जब बोलते हैं, बड़ी तेजी से बोलते हैं और ऐसे आकार, ऐसे ढंग से बोलते हैं कि जब गुस्से से बोलते हैं तो मालूम होता है प्रेम से बोल रहे हैं। जो मैनेजर सिंह, जुम्मा-जुम्मा एक दिन हुआ, जरा इनकी आवाज तो सुनूं। तो जब मैंने बिल पढ़ा, श्रीमन्, तो ये आवाज दे रहे थे, बृहत्तर टैक्स लगाए गए हैं। मैं तो समझता हूं कि 12 एकड़ हो, 18 एकड़ हो, 36 एकड़ हो, अभी रियासत भाई से समझने की चेष्टा की इतने में मैंने इसको पढ़ भी लिया, यह एक सही माने में एक बोझ था और श्रीमन्, ऐसा बोझ है जैसे गवर्नमेंट का वेल्थ टैक्स का बोझ है। 4 करोड़ तो टैक्स लगता है लेकिन इसका 16 लाख वसूल होता है। कितनी परेशानी होती है। जो बात आप कर रहे हैं इसकी मैं ताईद करता हूं। मैनेजर सिंह जी कह सकते हैं 12 एकड़ या 18 एकड़ सिंचित या असिंचित वृहत जोत में आत है। मै नहीं कहता। सीलिंग का कानून लागू किया गया। मैं नहीं कहता इसका दुरुपयोग नहीं हुआ, हुआ है और हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। 12 एकड़ से कितनी कमाई होती है, 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार जोकि इनकम टैक्स की सीमा से भी कम है। ऐसी हालत में मैनेजर सिंह जी, नये दल के मैनेजर सिंह जी क्या चाहते हैं। क्या गरीब मारा जाये, किसान मारा जाये? वह किसान विरोधी दल में चले गए। कुलक विरोधी लाबी, किसान विरोधी लाबी है। वह नया संघ बना है। किसका? श्रीमान तिवारी जी का। मैं बा अदब मैनेजर सिंह से कहूंगा कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, प्रेम पूर्वक। लेकिन अनावश्यक अकृपा भी न करें।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय रियासत हुसैन जी द्वारा रखा गया यह जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है मैं इसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। जो इसकी वास्तविकता है उसको छिपाया नहीं जा सकता। माननीय मन्त्री जी बड़े जोतदार हैं। वह हर तिकड़म कर सकते हैं बड़े जोतदारों की रक्षा के लिए। 30 एकड़ तक का जो 36 सौ रुपया लगान देते हैं उन पर यह टैक्स लगाया गया था। उस सीमा के अन्दर सिंचित असिंचित में जो प्राविधान हुए हैं उससे जो लगान में बढ़ोत्तरी हुई है उससे 12 एकड़, 13 एकड़ और 18 एकड़ के जोतदार भी इस कर के अन्दर आ जाते हैं। इससे राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय मन्त्री जी पता नहीं कैसे तर्क देते है कि घाटा हो रहा है। घाटे का सवाल ही नहीं है। जब 30 एकड़ तक के लोग थे तो लाभ था और अब जब 12 एकड़ के भी लोग आते हैं तो कैसे घाटा हो रहा है। जो रिपोर्ट है वह गलत है, यह तर्क अनर्गल है। 12 एकड़ तक जोतदार भी इस सीमा के अन्दर आ रहे है। उनको बचाने के लिए यह पवित्र मंशा उनके हित में हो सकती है, देश के किसानों के हित में नहीं। सीलिंग से क्या फायदा हुआ? आप जानते हैं। आप अपने जिले में बाहर भी बहुत देख चुके हैं। चोर-खाते खुले। सरकार के कानून की कितनी उपेक्षा हुई। ऐसी हालत में इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जहाँ रकार को मुनाफा है, जहाँ सरकार को राजस्व मिलता है तो जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि इससे जो बकाया पड़ा होगा क्या वह भी माफ हो जायगा, तो निश्चित

रूप से वह बकाया माफ हो जायगा। और तमाम जो प्र देश में राजस्व की कमी है तो ऐसे-ऐसे बिलों को लाकर के लोगों का दामन बचा लिया जाय वह अन्याय है, छोटे काश्तकारों के साथ सौतेला व्यवहार है। बड़े काश्तकारों के ऊपर जो कराधान लगा है उसको बने रहने देना चाहिए और इस विषय को प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण सिंह—

माननीय रियासत हुसैन ने जो बातें कहीं, मैंने यह समझा था कि आप खेती करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप खेती नहीं करते हैं, मोटर चलाते हैं और कोई बिजनेस करते हैं। ऐसा ही श्री मैनेजर सिंह के बारे में ख्याल हुआ वह भी शायद यह नहीं समझे कि आज प्रदेश के काश्तकार की क्या हालत है। आप 18 एकड़ की बात कहते हैं, आप कहते हैं कि उन पर टैक्स लगाना चाहिए। जब वह लगान से परेशान हो रहे हैं तो टैक्स कहाँ से देंगे। काश्तकारों की एक समस्या है, चाहे छोटे काश्तकार हों या बड़े काश्तकार हों, छोटे काश्तकारों का लगान माफ किया है लेकिन जो बड़े काश्तकार हैं आप उनको बेरहमी के साथ न देखिए। इस शक्ल में देखना चाहिए कि वह इसको दे सकेंगे या नहीं। मैं जरा आपकी जानकारी के लिए दो मिनट चाहूंगा। पी0 ए0 सी0 की मीटिंग में यह पूछा गया था।

श्री रियासत हुसैन—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। जो रेवेन्यू कोड बिल है उसमें जिन अधिनियमों का समावेश हो रहा है, उसमें यह बिल है कि नहीं ?

श्री नारायण सिंह—

मैं पी0 ए0 सी0 की मीटिंग के बारे में कह रहा था उसमें मीटिंग में सभापति ने पूछा था कि "इसमें एक बात बता दीजिए कि आपकी आमदनी क्या और खर्च क्या है। इसमें तो एसा लगता है कि आप माइनस में हैं और या फिर बराबर हैं तो क्यों न इसे समाप्त कर दें।" इस सम्बन्ध में, यह 5-7-78 को कहा है। इसके अतिरिक्त लकड़वाला कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें है कि 1973-74 में वृहत जोतकर से केवल 4 लाख रुपए का उपेक्षणीय राजस्व प्राप्त हुआ और 1973 की अधिकतम सीमा के कार्यान्वियन से इसमें अपेक्षाकृत और कम राजस्व प्राप्त होगा। अतः हम इसके उन्मूलन की सिफारिश करते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

इन दोनो रिपोर्ट की जो संस्तुतियाँ हैं वह पुराने लगान के बारे में है। अन इरीगेटेड और इरीगेटेड लैंड के आधार पर जो लगान बढ़ा है उसका आधार क्या है ?

श्री नारायण सिंह—

रेवेन्यू बिल जो हमारा चल रहा है उसमें यही नहीं और बहुत सी बातें आ रही हैं। ज्यादा टाइम न लेकर के मैं इतना निवेदन करूंगा कि आप इसको वापस ले लें इसकी जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार को फिजूल खर्च से बचाने के लिए यह किया गया ह। सिर्फ इसमें समझने भर की बात है।

(श्री रियासत हुसैन से)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

इस बिल का आधार पुराना लगान है। लेटेस्ट जो पोजीशन है उसके आधार पर नहीं है। मन्त्री जी ने यह तसलीम कर लिया कि जो रेवेन्यू कोड बिल है उसमें भी इस पर

[श्री रियासत हुसैन]

विचार किया जा रहा है । उसमें भी लार्ज होल्डिंग टैक्सिंग का बिल है जिसको उसमें शामिल किया है । इसलिए श्रीमन्, यह सिर्फ पुरानी रिपोर्ट के आधार पर है जो कि असंगत है । इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर (निरसन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, 4 और खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर (निरसन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, 1963 का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1963 का निरसन 2—पहली जुलाई, 1979 को, और उस दिन से उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, 1963 निरसित हो जायेगा ।

व्यावृत्ति 3—धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन से—

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, या उसके अधीन सम्यक रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात पर, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर, या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार इस प्रकार संस्थित किया, चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो ;

4——उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1979 का निरसन

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4 और खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण सिंह——

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष——

नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई है ।

पहली सूचना श्री श्रीनारायण, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री राघव राम मिश्र की है कि गोरखपुर जिले के विधायक श्री रवीन्द्र सिंह पर दिनाँक 27–8–79 को रेलवे स्टेशन पर, जब वे शामे अवध द्वारा लखनऊ की गाड़ी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, प्राण घातक गोलियों से प्रहार के सम्बन्ध में है जिसको मैंने स्वीकार किया और इसके बारे में माननीय मन्त्री जी वक्तव्य 3 सितम्बर को दे देंगे ।

दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है बाँदा में तहसील नरैनी के कृषकों की फसल को बरबाद किए जाने के सम्बन्ध में, इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और माननीय कृषि मन्त्री जी 3 सितम्बर को इसकी रिपोर्ट रखेंगे ।

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
30 अगस्त, 1979

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 206 पर)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ, सीतापुर के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है—

(1) विकास खण्ड खैराबाद

1—टकपुरवा
2—मुलायमपुर
3—चिलवारा
4—नरही
5—असौण्डर

(2) विकास खण्ड परसेण्डी

1—इटारी
2—रखौना
3—मुबारकपुर
4—नेवादा
5—उमरिया
6—निजामाबाद
7—परसेण्डी
8—टप्पा खजुरिया
9—जमुनापुर
10—गौरिया

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 207 पर)

वर्ष 1979–80 में विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेण्डी में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची

(1) विकास खण्ड खैराबाद

1—टकपुरवा
2—मुलायमपुर
3—चिलबारा
4—नरही
5—असोण्डर

(2) विकास खण्ड परसेण्डी

1—इटारी
2—रखौसी
3—मुबारकपुर
4—नेवादा
5—उमरिया
6—निजामाबाद
7—परसेण्डी
8—टप्पा खजुरिया
9—जमुनापुर
10—गौरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 207 पर)

सूची–1

जनपद फैजाबाद में वर्ष 1977–78 में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	ब्लाक
1	मेसा गौहेना	सोहावल
2	खानपुर	,,
3	विशुनपुर सारा	,,
4	भिखनपुर	मसोधा
5	नवीगंज	सोहावल
6	पलिया जगमोहन सिंह	मिल्कीपुर
7	जाख	हेरिस्टनगंज
8	परसावाँ	मिल्कीपुर
9	निमरी	हेरिस्टनगंज
10	पूरे लोचन तिवारी	सोहावल
11	अहिरन सिववन	हेरिस्टनगंज
12	टेमा शिवबख्श राय	,,
13	जगनपुर	सोहावल
14	बद्धि राम का पुरवा	पूरा
15	वैसिंघ	,,
16	सरजू का पुरवा	,,
17	पूरे पहलवान	,,
18	आशापुर तिलहिया	,,
19	विटरिया	,,
20	पुजारी का पुरवा	,,
21	नारा	,,
22	किशुनदासपुर	,,
23	पूरा राम प्रसाद मिश्रा	मसोधा
24	शिवदासपुर	,,
25	तोरो मापी	बीकापुर
26	बनकट	,,
27	लुत्फाबाद	,,
28	सराय मनौली	,,
29	तकनीमगंज	तारुन
30	बीकापुर पश्चिम	बीकापुर
31	बीघे मिश्र का पुरवा	भीटी
32	पाराराम	तारून
33	पारा गरीब साह	,,
34	बाबू का पुरवा	तारून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	ब्लाक
35	सूल्हेपुर	बीकापुर
36	गिन्जा	,,
37	सराय खरीवा	हेरिस्टनगंज
38	असकरनपुर	,,
39	तारापुर	तारून
40	नयापुरवा	मसोधा
41	साहबगंज	,,
42	अलमीपुर बर्जी	टाँडा
43	ककरहा	,,
44	हाजीपुर	,,
45	नरहरपुर	अकबरपुर
46	जैकाबाद	,,
47	पहितीपुर (औरंगनगर)	,,
48	सेठाकला	,,
49	दुल्हूपुर	,,

विधान सभा सदस्य फैजाबाद

सूची–2

जनपद फैजाबाद में वर्ष 1978–79 में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रम-संख्या	हरिजन बस्ती का नाम	ब्लाक
1	गालिबपुर	सोहावल
2	सेखपुर	,,
3	गछदोपुर	मसोधा
4	महोबा	,,
5	मखखापुर	पूरा
6	सरजू का पुरवा	,,
7	गंगोला	,,
8	अमसिन (प्रथम)	भया
9	अमसिन (द्वितीय)	,,
10	चमेला	हेरिस्टनगंज
11	गेहन	,,
12	हल्ला द्वारिका	,,
13	राम दासपुर	बीकापुर
14	गन्धनलाल का पुरवा	,,
15	हो रामनपुर	तारून
16	पिछौरा	,,
17	बेनी गददोपुर	,,
18	पाखनपुर	अकबरपुर
19	भुजगा	,,
20	वदीपुर	,,
21	वरसाइत	,,
22	जरुखा जौतखा (प्रतापपुर चमुखी)	,,
23	सिरसा	,,
24	लोरपुर	,,
25	हाजीपुर भरई	,,
26	आशापुर	टाँडा
27	जैनापुर	अकबरपुर
28	खिज्जरपुर	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 208 पर)

जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील में 31-5-1979 तक विद्युत् सुविधा प्राप्त हरिजन बस्तियों के नाम

1—असगरा
2—बसखारी पूरब
3—जहाँगीरगंज
4—नवराही कवराही
5—तिधरा तप्पनिवरी
6—फूलपुर
7—तिलोकपुर
8—कन्तपट्टी
9—नइकी चमरोटी (हसवर)
10—हरिहरपुर
11—अलऊपुर
12—बिशनपुर
13—भोरहरा
14—खेम पट्टी
15—अल्लाहादपुर
16—छज्जापुर
17—मुबारकपुर
18—कशमिरिया
19—मुडरा नार्थ
20—मेंहदिया
21—साबुकपुर
22—जुल्लापुर
23—मुडेरा
24—ओझीपुर
25—पुरानी चमरोटी (हसवर)
26—सहंसा
27—मोरानपुरा
28—नेहरूनगर
29—काजीपुरा
30—ककराही
31—मकोइया (पश्चिम)
32—मकदूमनगर
33—भांडियापुर
34—फतेहपुर
35—मोराही
36—हाजीपुर
37—अल्लीपुर
38—आशापुर
39—मोजनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 208 पर)

वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरवत जनपद सीतापुर के कर्मचारियों के वेतन पर, औषधियों के रूप में तथा किराए के रूप में तथा अन्य भत्तों के रूप में निम्नलिखित व्यय हुए

	1977–78	1978–79
	रु0	रु0
1—वेतन पर व्यय	95,118.36 (मंहगाई भत्ते सहित)	1,32,123.50
2—औषधियों पर व्यय	28,000.00	30,000.00
3—भवन किराये पर व्यय	798.37	629.70
4—नान प्रेक्टिसिंग वेतन भत्ता ..	2,745.50	640.00
5—कर्मचारियों को दिये गये नियत यात्रा भत्ते पर व्यय		
(1) सेनटरी इन्सपेक्टर ..	100.00	91.15
(2) ए0 एन0 एम0 ..	88.00	137.00
(3) ए 0 एन0 एम0 ..	56.00	53.52
(4) ए0 एन0 एम0 ..	..	60.00
(5) वैक्सीनटर	18.00	54.00
(6) वक्सीनेटर	18.00	54.00
(7) हल्थ विजीटर	..	120.00
(8) हेल्थ विजीटर	..	13.55
6—कर्मचारियों को दिये गये यात्रा भत्ते पर हुये व्यय:		
(1) प्रसार शिक्षक	..	64.85
(2) स्माल पाक्स सुपरवाईजर ..	..	148.40
(3) बेसिक सोशल वर्कर ..	..	200.50
(4) बेसिक सोशल वर्कर ..	..	56.15
(5) स्वास्थ्य सहायक	..	351.30
(6) लैब 0 टक्नीशियन	..	131.40
(7) वी 0 एच 0 डब्लू	..	54.00

अवधेश कुमार सिंह

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 225 पर)

दिनांक 3 मई, 1979 को श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर:—

प्रश्न	उत्तर
क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों के स्थायीकरण का मसला शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?	जी हाँ, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों के स्थायीकरण का मसला काफी समय से शासन के विचाराधीन है। चूंकि परिवार कल्याण योजना केन्द्र-सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना है और इस योजना का समस्त व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अत: इन पदों को स्थाई किये जाने के फलस्वरुप पेन्शन तथा ग्रेच्युटी आदि पर होने वाले व्यय भार को वहन करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है। भारत सरकार का उत्तर प्राप्त हो जाने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी। राज्य सराकार के स्वास्थ्य बजट पर भारित मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारियों के अस्थाई पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है। अभी कोई निश्चित समय बता पाना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा। रमा शंकर कौशिक, स्वास्थ्य मंत्री।

पी0एस0यू0पी0—एल0 326 वि0सभा (568)—1980—835।